लोक-सभा

वाद-विवाद

सोमवार,
१९ सितम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

(खंड ६, १९५५)

(१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशमै सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक ४१ से अंक ५१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

350 LSD

विषय - सूची

[खंड ६—अंक ४१ से ५१—१९ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५]

अंक ४१—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १८७० से १८७२, १८७४ से १८७८, १८८३, १८८४, १८८९, १८९६ से १९०३, १९०५ से १९०७, १९०९, १९१२, १९१६ से १९१८, १९२० और १९२१ . १७६१—१८०५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८६८, १८६९, १८७३, १८७९, १८८० से १८८२, १८८५ से १८८८, १८९० से १८९५, १९०४, १९०८, १९१०, १९११, १९१३ से १९१५, १९१९, १९२२ से १९२५ और १९२७ से १९३५ . . . . . १८०५—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९२ से १०२७ १८२७—५०

अंक ४२—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३६, १९३७, १९४१ से १९४४, १९४६ से १९४८, १९५०, १९५१, १९५५, १९५६, १९५८, १९५९, १९६२, १९६४, १९६७ से १९७०, १९३९ और १९४० . . २८५१—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . २८९२—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९३८, १९४५, १९४९, १९५२ से १९५४, १९५७, १९६०, १९६१, १९६३, १९६५, १९६६, १९७१ और १९७२ . . २८९७—२९०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०४५ . . २९०५—१६

अंक ४३—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७५, १९७७, १९७९, १९८०, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१, १९९२, १९९४ से १९९८, २००३ से २००६, २००८, २०१० से २०१४, २०१६, २०१८, २०२०, २०२३ और २०२५ . २९१७—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७८, १९८१ से १९८३, १९८५, १९८९, १९९०, १९९३, १९९९ से २००२, २००९, २०१५, २०१७, २०१९, २०२१, २०२२ और २०२६ से २०३२ २९६२—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४६ से १०७१ २९८०—९८

अंक ४४—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३३ से २०३६, २०३८ से २०४१, २०४४, २०४६, २०४८, २०५१, २०५५, २०५६, २०५८ से २०६२, २०६६ से २०७०, २०७२ से २०७७, २०७९ से २०८१ और २०८४ २९९९—३०४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४२, २०४३, २०४५, २०४७, २०४९, २०५०, २०५२ से २०५४, २०६३, २०६५, २०७१, २०७८ और २०८५ से २०९० ३०४४—५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७२ से १११९ ३०५६—९०

अंक ४५—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९१ से २०९४, २०९८ से २१००, २१०३, २१०५ से २१०९, २१११, २११६, २११९ से २१२१, २१२४ से २१२६, २१३१, २१३२, २१०२, २११७, २१२२, २११८, २१२९ और २१३० ३०९१—३१३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ से २०९७, २१०१, २१०४ २११०, २११२, २११४, २११५, २१२३, २१२७ और २१२८ . . . . ३१३९—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११३४ ३१४७—५८

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३३ से २१४६, २१४९, २१५१, २१५२, २१५५ स २१५७, २१५९, २१६१ से २१६६, २१६९ और २१७० . . . . . ३१५९—३२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१४७, २१४८, २१५०, २१५३, २१५४, २१५८, २१६०, २१६७, २१६८, २१७१ से २१७८, २१८० से २१८६ ३२०३—१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३५ से ११५७ . ३२१७—३२

अंक ४७—मंगलवार, २७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१८७ से २१९४, २१९६ से २२०२, २२०४ से २२०६, २२०९ से २२१२, २२१६ से २२१९, २२२१, २२२२ और २२२५ से २२३० . ३२३३—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ ३२८१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २१९५, २२०३, २२०७, २२०८, २२१३ से २२१५, २२२०, २२२३, २२२४ और २२३१ से २२६३ ३२८५—३३१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५८ से ११६८ और ११७० से १२१५ ३११२—४८

अंक ४८ – बुधवार, २८ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६६, २२६७, २२७०, २२७२, २२७३, २२७५, २२७६, २२७८, २२८० से २२८३, २२८६, २२८७, २२८९ से २२९१, २२९५, से २३००, २३०३, २३०५, २३०६, २३०७, २३०८, २३११, और २३१२ । ३३४९—३३९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ३३९१—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२६५, २२६९, २२७१, २२७४, २२७७, २२७९, २२८४, २२८५, २२८८, २२९२ से २२९४, २३०१, २३०२, २३०४, २४०९, २३१०, २३१३ से २३३८ ३३९४—३४२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२२२, १२२४ से १२५२, १२५४ से १२६६ ३४२०—३४४८

अंक ४९ – गुरुवार, २९ सितम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३३९ से २३४४, २३४६, २३४९ से २३५२, २३५४, से २३५८, २३६० से २३६२, २३६४, २३६६, २३६७, से २३६९, २३७२, २३९०, २३७४, २३७५ और २३९२ ३४४९—९२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १३ से १६ ३४९२—३५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३४५, २३४७, २३४८, २३५३, २३५९, २३६३, २३७०, २३७१, २३७६ से २३८४, २३८४-क, २३८५ से २३८९, २३९१, २३९१-क और २३९३ से २३९९ ३५०२—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १३००, १३००-क और १३००-ख ३५२१—४२

अंक ५०—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०१ से २४०६, २४०८ से २४१०, २४१३, २४४६ २४१४ से २४१६, २४१८ से २४२१, २४२३ से २४२५, २४२७ से २४३१, २४५५, २४३३ और २४६२ ३५४३—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ३५९०—३६०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित पश्न संख्या २४००, २४०७, २४११, २४१२, २४१७, २४२२, २४३२, २४३४ से २४४५, २४४७ से २४५४, २४५६ से २४६१, २४६३ से २४७३ ३६०३—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३६९ ३६२८—७८

अंक ५१—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ और २२ ३६७९—९४

अनुक्रमणिका १—१३

लोक-सभा

सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण

*१८७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है :—

(१) एरणाकुलम्—क्विलोन और

(२) मंगलौर हसन ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (१) सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और लाइन डाली जा रही है।

(२) क्षेत्र कार्य पूर्ण हो चुका है और दिसम्बर, १९५५ के आसपास प्रतिवेदन के प्राप्त होने की आशा है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : बनाई जाने वाली रेलवे लाइनों की मीलों में कुल कितनी लम्बाई होगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य दोनों लाइनों की इकट्ठी लम्बाई जानना चाहते हैं, अथवा प्रत्येक की अलग अलग ?

श्री कृष्णाचार्य जोशी : प्रथम की।

श्री शाहनवाज खां : एरणाकुलम् से क्विलोन तक की प्रस्थापित रेलवे लाइन की लम्बाई ९६०·५५ मील है। और दूसरी लाइन की लम्बाई लगभग १०८ मील है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस प्रस्थापित निर्माण पर लगभग कितना खर्च होने की आशा है ?

श्री शाहनवाज खां : एरणाकुलम्-क्विलोन लाइन की अनुमानित लागत लगभग ५.६९ करोड़ रुपये है। दूसरी लाइन के सम्बन्ध में प्राक्कलन मांगे गये हैं और आशा है वह शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे।

श्री बासप्पा : हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के सम्बन्ध म, क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है कि यह सर्वेक्षण मुदगेरे के रास्ते से होकर किया जाये अथवा वेलूर और हलबेद के रास्ते से किया जाये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे हैं, वह तो एक अलग ही लाइन है। यह तो मंगलौर-हसन के लिये थी। दूसरी लाइन तो शकलासपुर से कादूर के लिये है जो कि चिक-मंगलूर तथा अन्य स्थानों से होकर जाती है, उसमें भी दो लाइनें हैं—एक तो बेलूर के मार्ग से है और दूसरी मुदगेरे के मार्ग से है। हमने इन दोनों लाइनों का सर्वेक्षण किये जाने के लिये कहा है।

खाद्य और कृषि संगठन

*१८७१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और खाद्य और कृषि संगठन के मध्य हुए विभिन्न करारों के

परिणामस्वरूप भारत सरकार को १९५३-५५ में किस प्रकार की और कितनी प्राविधिक सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) उसी कालावधि में इन करारों के अधीन किये गये कार्यों पर सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन से उसके विस्तृत प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन परिषद्-ताओं विशेषज्ञों, सामान और भारत में अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के आयोजन के रूप में प्राविधिक सहायता प्राप्त हुई है। प्राप्त हुई सहायता की मात्रा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २]**

(ख) उपर्कथित कालावधि में भारत सरकार द्वारा किया गया खर्च लगभग १,८२,००० रुपये होता है।

श्री झूलन सिंह : क्या इस कुल खर्च में भारत सरकार द्वारा उस संगठन को अंशदान के रूप में दी गई राशि भी सम्मिलित है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं।

श्री झूलन सिंह : भारत सरकार द्वारा कितना अंशदान दिया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे ठीक ठीक संख्या स्मरण नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये भी एफ० ए० ओ० ने कोई सहायता पहुंचायी है, यदि पहुंचायी है तो क्या ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं ऐसा नहीं समझता।

डा० रामा राव : उन विशेषज्ञों में से कितने अभी तक भारत में हैं और वे किन विषयों में हमारी सहायता कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : उनकी संख्या अधिक है। यह असम्भव होगा कि.....

अध्यक्ष महोदय : वह तो यह जानना चाहते हैं कि भारत में कितने विशेषज्ञ हैं, वह नाम नहीं चाहते।

डा० पी० एस० देशमुख : लगभग १७।

गेहूं का चोकर

*१८७२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गेंहू के चोकर को निर्यात करने के लिये अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के निर्यात करने की अनुमति दी है ;

(ग) किन किन देशों को वह निर्यात की जायेगी ; और

(घ) क्या उससे देश में मवेशियों के चारे की पूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष में सितम्बर १९५५ के अन्त तक ३७,५०० टन के निर्यात की मंजूरी दी गई है।

(ग) उन सभी स्थानों को जहां निर्यात पर रोक नहीं है सिवाय पुर्त्तगाल सत्ता के अधीन स्थानों के जो भारत में हैं।

(घ) कुछ ज्यादा नहीं।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि गांवों में इस गेहूं के चोकर को अधिकतर ग़रीब खाते हैं और मवेशियों के खिलाने के यह काम आता है, और आजकल तो मवेशियों के लिये और गरीबों के लिये कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सके ? ऐसी स्थिति में क्या सरकार यह

विचार करती है कि इसका निर्यात न किया जाये ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जो व्हीट का ब्रेन गांवों में पैदा होता है उसको हम बाहर नहीं भेजते । जो व्हीट ब्रेन रोलर फ्लोर मिल्स में पैदा होता है उसको हम बाहर भेजते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि जहां जहां आटा पीसने के कारखाने हैं वहां से गरीब लोग और खासकर बनिये जो घोड़े रखते हैं गेहूं का चोकर ले आते हैं ? क्या इसको बाहर भेजने से उनको नुकसान नहीं होगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १९५३ में गेहूं के चोकर का मूल्य ११ रुपये मन था ; और जब १९५५ में इसका मूल्य घट कर चार रुपये मन हो गया तो हमें कुछ मात्रा में चोकर के निर्यात की अनुज्ञा देनी पड़ी ।

श्री सारंगधर दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गेहूं का चोकर उन्हीं देशों को भेजा जा रहा है जो कि अपने खाद्य के लिये गेहूं की बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं और जहां उनके पास पर्याप्त मात्रा में चोकर है और फिर भी वे अपने पशुओं को खिलाने के लिये बाहिर से चोकर मंगा रहे हैं और फिर पशु-खाद उनके खेतों में जाता है, क्या सरकार चोकर के निर्यात पर चाहे उसका मूल्य कम हो अथवा अधिक, प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार करेगी ताकि पौध-खाद्य वस्तु यहीं रहे और उससे पशुओं का पोषण किया जा सके ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : सभा को ज्ञात होगा कि सरकार गेहूं के मूल्य में सहायता दे रही है, और इसलिये यदि हम गेहूं की बनी वस्तुओं के मूल्यों को और अधिक गिरने देते हैं तो इससे हमें और भी अधिक सहायता देनी पड़ेगी । गेहूं के चोकर, चावल के पयाल और अन्य प्रकार के संकेन्द्रणों की मात्रा हाल ही में बहुत अधिक हो गई है और जिस थोड़ी सी मात्रा का हमने निर्यात किये जाने की अनुज्ञा दी है उससे हमारे देश के आंतरिक उपभोग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है ।

भूमि-विहीन श्रमिकों का बसाया जाना

***१८७४. श्री के० पी० सिन्हा** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने १००० भूमि-विहीन श्रमिकों को सुल्तानपुर फ़ार्म में बसाने सम्बन्धी योजना को त्याग दिया है ; और

(ख) उन क्षेत्रों में पहले ही से बसे हुए भूमि-विहीन श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) नहीं, श्रीमान् । योजना को परिवर्तित कर दिया गया है जिसके अनुसार मूल योजना में निश्चित १००० परिवारों के स्थान पर अब भूमि-विहीन श्रमिकों के ५०० परिवारों को बसाने का उपबन्ध रखा गया है ।

(ख) एक सौ ।

श्री के० पी० सिन्हा : इन खेतों में गत-वर्ष प्रति एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादन हुआ था ?

डा० पी० एस० देशमुख : में नहीं समझता कि यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न होती है। मेरे पास उत्पादन के आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु यह उत्पादन कुछ कम रहा है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या इन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से विकसित किया जा चुका है, अथवा अभी कुछ विकास करना शेष है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन पर ट्रैक्टर चलाये जा चुके हैं और वे अब बीज बोने के योग्य हैं ।

पंडित सी० एन० मालवीय : यह फार्म सन् १९५३ में एसटेबलिश किया गया था। उस वक्त इसको पूरा करने का कितने का एस्टीमेट था ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस पर लाखों रुपया खर्च होने वाला था।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या यह सही है कि इस फ़ार्म में सन् १९५४ में २७०० एकड़ भूमि में पैडी बोया गया जिसमें से सिर्फ १५० एकड़ में पैडी पैदा हुआ और खर्चा पर एकड़ १५० रुपये आया, जब कि आमदनी मुश्किल से २० रुपये प्रति एकड़ हुई। अगर यह सही है तो इस नुक़सान का ज़िम्मेवार कौन है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस फ़ार्म के वर्किंग में हमको बहुत मुसीबत हुई थी और जो मेम्बर साहब ने बयान किया शायद वह सही है। वहां पर जो पानी का इन्तिज़ाम हम करना चाहते थे वह नहीं हो पाया, उस कारण से और दूसरे कारणों से उस फ़ार्म के वर्किंग में बहुत दिक़्क़त पेश आयी थी। इसी वजह से फ़सल कम हुई।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या यह सही है कि बारना का बांध बन जाने के बाद क़रीब चार हज़ार एकड़ भूमि डूब जायेगी, और क्या इस वजह से गवर्नमेंट सोचती है कि इस स्कीम को दूसरा रूप दे दिया जाये ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इस स्कीम को तो दूसरा रूप दे दिया गया है। पहले यहां पर १००० आदमियों को बसाने की तजवीज़ थी, लेकिन अब ५०० आदमियों को ही बसाने की तजवीज़ है। पहले वे बहुत लम्बे अर्से में बसने वाले थे लेकिन अब उनको जल्दी बसा दिया जायेगा और इस बात का भी लिहाज़ रखा गया है कि जो इलाक़ा डूबेगा उसका इस स्कीम पर कोई असर न पड़े।

बाध्य होकर उतरना

*१८७५. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में आज तक इण्डियन एयर लाइन्स के विमानों को कितनी बार विवश होकर भूमि पर उतरना पड़ा है ; और

(ख) क्या इन सभी मामलों में सरकार द्वारा जांच की गई थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) १० (३१ अगस्त १९५५ तक)

(ख) हां, श्रीमान्।

श्री भागवत झा आज़ाद : इन विवश होकर उतरने की घटनाओं के कारण सम्पत्ति या मनुष्य जीवन को पहुंची, यदि ऐसा हुआ हो तो, कुल हानि कितनी थी ?

श्री राज बहादुर : विवश होकर उतरने की घटनायें दुर्घटनाओं की परिभाषा में नहीं आती हैं। वास्तव में विवश होकर उतरने की परिभाषा रवाना होने के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अ-पूर्वविचारित रूप से उतरना की गई है। इसलिये सम्पत्ति अथवा जीवन की हानि अथवा नाश का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री भागवत झा आज़ाद : यह तो मैं भी जानता हूं कि विवश होकर उतरना किसे कहते हैं। पर मैं यह जानना चाहता था कि विवश होकर उतरने के परिणामस्वरूप वायुयान को कोई हानि पहुंची थी ?

श्री राज बहादुर : उत्तर स्पष्ट था; कोई हानि नहीं पहुंची थी।

श्री भागवत झा आज़ाद : विवश होकर उतरने की इन घटनाओं के—जैसा कि जांच से ज्ञात हुआ है—क्या कारण थे, और क्या

यह मानवीय शक्ति की अथवा मशीनरी की विफलता के कारण हुए थे अथवा मौसम के कारण ?

श्री राज बहादुर : मानवीय पक्ष की विफलता का प्रश्न उत्पन्न हो नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या विवश होकर उतरने की घटनाओं को, मध्य अथवा सामान्य दुर्घटनायें समझा जाता है ; क्या विवश होकर उतरन की घटनाओं के सम्बन्ध में कोई जांच की जाती है ?

श्री राज बहादुर : संधारण की कार्य-कुशलता के हेतु इन मामलों की जांच की जाती है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स के चालकों को अनु-देश पुस्तिका तथा मार्ग नकशा पुस्तिका नहीं दी जाती हैं जो कि एयर इंडिया इन्टर नेशनल के चालकों को दी जाती हैं, और इस कारण उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

श्री राज बहादुर : यदि माननीय सदस्य का आशय उससे है जिसे कॉक पिट जांच सूची कहते हैं, तो यह निश्चित ही उनको दी जाती है तथा इस बात पर आग्रह किया जाता है जांच सूची सम्बन्धी अनुदेशों का कड़ाई के साथ पालन किया जाये ।

नदी घाटी परियोजनाओं में ट्रैक्टरों का प्रयोग

***१८७६. श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के ट्रैक्टरों का कोई समूह किसी नदी घाटी परियोजना में कार्य कर रहा हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कृष्य-करण की गई तथा सिंचाई योग्य बनाई गई भूमि का एकड़ों में क्षेत्रफल क्या है ; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में प्रति एकड़ कितना शुल्क लिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या सरकार का विचार केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कुछ एककों को भूमि का कृष्यकरण करने और उसे सिंचाई योग्य बनाने के हेतु सुरक्षित करने का है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, हम यह विचार कर रहे हैं कि कुछ ट्रैक्टरों को मैडबन्दी करने, नालियां डालने इत्यादि कामों के लिये काम में लाया जाये ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या हैदराबाद सरकार ने केन्द्र से तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत कम दरों पर भूमी का कृष्यकरण करने के लिये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कुछ एककों को भेजने की प्रार्थना की है, और यदि हां, तो केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस का ज्ञान नहीं है ; मुझे पूर्व सूचना की आव-श्यकता होगी ।

रेलवे में अपराध

***१८७७. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च १९५५ में पूर्वोत्तर रेलवे के रीगा स्टेशन पर एक सशस्त्र डकैती पड़ी थी ;

(ख) क्या स्टेशन मास्टर मारा गया था और १०,००० रुपये के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली गई थी ; और

(ग) क्या अपराधियों को पकड़ा गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां; परन्तु यह

डकैती स्टेशन मास्टर के क्वार्टरों में हुई थी, रेलवे स्टेशन पर नहीं।

(ख) अस्पताल ले जाये जाते समय स्टेशन मास्टर चोटों के कारण मर गया था।

सम्पत्ति की हुई वास्तविक हानि अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है ; परन्तु यह बताया गया है कि २७४ रुपये और स्टेशन मास्टर की जाड़े की वर्दी डकैत ले गये थे।

(ग) पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : उस केस में क्या फैसला हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : यह केस अभी पुलिस के ज़ेर तफतीश है।

पंडित डी० एन० तिवारी : बहुत से रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गांवों के क़रीब नहीं हैं और जहां कि अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा पुलिस का इन्तज़ाम किया जायेगा कि ऐसी लूटमार न हो ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : ऐसे लूटमार के वाक़यात अक्सर नहीं होते, कभी कभी होते हैं। दूसरी बात यह है कि हर एक स्टेशन पर पुलिस का इन्तज़ाम रखना मुमकिन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी इतना इन्तज़ाम नहीं कर सकतीं। अलबत्ता जहां इस तरह का कोई अन्देश ज्यादा मालूम पड़ता है, वहां हम उस वक्त के लिये कोई इन्तज़ाम ज़रूर कर सकते हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसे स्टेशन जो गांवों के क़रीब न हों, ऐसे बहुत से नहीं हैं, केवल थोड़े से ऐसे स्टेशन हैं जो गांवों के क़रीब नहीं हैं, और जहां बराबर ऐसा अन्देशा रहता है, तो क्या वहां स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वैस्ट करके कोई प्रोटैक्शन का इन्तज़ाम किया जा सकता है या नहीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : माननीय सदस्य शायद केवल अपनी रेलवे की बात सोच रहे हैं। लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि ऐसे स्टेशन जो गांव के क़रीब न हों, दूसरी रेलवेज़ पर भी बहुत हैं और काफ़ी उनकी तादाद है, इसलिये उतने बड़े पैमाने पर तो इन्तज़ाम नहीं हो सकता, मगर हमने कई जगह पर खास तौर से ऐसा इन्तज़ाम किया है जहां के स्टेशन मास्टर्स वगैरह ने यह कहा कि वहां अन्देशा है या खतरा है।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन पांच व्यक्तियों में से कितने रेलवे कर्मचारी हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मेरे विचार से उनमें से कोई भी रेलवे कर्मचारी नहीं है।

यातायात नियम

*१८७८. **श्री गिडवानी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकार के परामर्शक इंजीनियर (सड़क विकास) द्वारा भारतीय सड़क कांग्रेस के १९वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उसने सड़कों को उनके सहारे सहारे बेतरतीबी से मकान बनाये जाने और अनधिकार क़ब्ज़े से मुक्त रखने के लिये नय सड़क विधान बनाय जान का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने की प्रस्थापना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने एक प्रारूप आदर्श सड़क विधेयक राज्यों को परिचालित

किया है, जिसमें सड़कों के सहारे सहारे मकानों के बेतरतीबी से बनाये जाने की रोकथाम करने तथा सड़कों पर किये गये अनधिकार कब्जों को हटाने से सम्बन्धित उपबन्ध सम्मिलित किये गये हैं, तथा यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें उन उपबन्धों के आधार पर विधान बनाने के प्रश्न पर विचार करें। कुछ राज्यों ने अपेक्षित विधान बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की भी है।

कोलम्बो योजना

*१८८३. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया रेलवे के माल तथा सवारी डिब्बे भारत को संभरित करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या होगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभाचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) छोटी लाइन के २००० माल डिब्बे और बड़ी लाइन की डिजिल से चलने वाली २४ गाड़ियां।

श्री विश्वनाथ राय : क्या माल डिब्बों और रेल-कारों का यह संभरण कुछ समय के लिये भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा ?

श्री शाहनवाज खां : यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से संतुष्टि तो करेगा नहीं परन्तु इससे हम को पर्याप्त सहायता मिलेगी।

श्री विश्वनाथ राय : क्या भारत को इन माल डिब्बों और यात्री डिब्बों के लिये कुछ देना होगा ?

श्री शाहनवाज खां : इनका संभरण कोलम्बो योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है और रेलवे मंत्रालय वित्त मंत्रालय को भुगतान करेगा।

श्री विश्वनाथ राय : कितनी धन राशि दी जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : मैं ठीक ठीक आंकड़े नहीं बता सकता हूं। पर यह राशि ३·२ करोड़ रुपये है और ४·३ करोड़ रुपये के बीच होगी।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं सभा सचिव द्वारा दिये गये उत्तर को शुद्ध करना चाहता हूं। रेल-कारों के लिये कोई ६४ लाख रुपया दिया जायेगा और माल डिब्बों का मूल्य कोई १६८ लाख रुपये होगा।

रेलवे न्यायाधिकरण

*१८८४ **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए नियुक्त किये गये एक सदस्य वाले न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां; तो इस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) न्यायाधिकरण अभी तक केवल दो बैठकें कर सका है। पहली बात यह है कि भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय संघ ने अपनी मांगों की लिखित सूची प्रस्तुत करने में विलम्ब

किया था। चूंकि बहुत सी मदों को निर्देश मदों में सम्मिलित करने की मान्यता के बारे में मतभेद था, न्यायाधिकरण ने अप्रैल, १९५५ में यह निर्णय किया था कि रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ और रेलवे बोर्ड मिलकर इस पर विचार करें। जुलाई १९५५ में ऐसा किया गया था और पांच में से तीन मदें तय हो गई थीं। न्यायाधिकरण अन्य मदों पर अगली बैठकों में विचार करेगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : अब भारतीय रेल कर्मचारियों के दो राष्ट्रीय संघ हैं। पहला वह है जिसके अध्यक्ष श्री वसवदा हैं और दूसरा यह जिसके महासचिव श्री एस० गुरुस्वामी हैं। क्या वह समझौता जो कि पहले संघ से किया गया है दूसरे संघ ने मान लिया है ?

श्री अलगेशन : पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संघ दो नहीं हैं। केवल एक संघ है, जिसे अभिज्ञात किया गया है। यह सत्य है कि अभिज्ञात संघ और इसके कुछ सदस्यों के बीच कुछ मतभेद है। जहां तक प्रश्न को निपटाने का सम्बन्ध है, इसमें कोई मतभेद नहीं है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इन दो संघों में से कौनसा अभिज्ञात है, श्री वसवदा वाला या दूसरा ?

श्री अलगेशन : वास्तव में मैं यह स्वीकार नहीं करता कि संघ दो हैं। मैंने कहा है कि संघ केवल एक है, जिसके अध्यक्ष का नाम माननीय सदस्य ने लिया है। संघ और इसके कुछ सदस्यों के बीच कुछ मतभेद है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक संघ और भी है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : रेलवे मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण में कहा था कि संघ के परामर्श से कुछ और मदें रेलवे न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट की जानी हैं। क्या अब ऐसा किया गया है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैंने कहा है, न्यायाधिकरण की एक बैठक में यह तय किया गया था कि बोर्ड और संघ कुछ मामलों पर विचार करें। इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। मैं इसे एक क्रांतिकारी पग कहूंगा क्योंकि यह पहली बार है जबकि संघ और बोर्ड की इकट्ठी बैठक हुई और इस बैठक में बहुत से ऐसे मामले तय कर लिये गये थे, जिन पर कई वर्षों से झगड़ा चला आता था।

श्री पी० सी० बोस : यह समझौता किन मदों के बारे में हुआ था ?

श्री अलगेशन : मोटे तौर पर पांच मदें न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट की गई थी, जिनमें से तीन के बारे में समझौता हो गया था। मेरे विचार में मेरे लिए निर्देश मद पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है।

चावल बैंक

*१८८९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में "चावल बैंक" स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) इन बैंकों के कृत्य क्या हैं ; और

(घ) आरम्भ में ऐसे कितने बैंक स्थापित किये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं, इस समय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस समय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। क्या बाद में स्थापित करने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ग्रामीण सर्वेक्षण ऋण समिति ने ऐसे बैंक स्थापित करने के लिए एक सिफ़ारिश की है, जिस पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को विदित है कि किसी राज्य सरकार ने इस प्रकार को कोई योजना बनाई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : किसी राज्य ने ऐसी योजना नहीं बनाई किन्तु उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बीजों आदि के लिए गल्ले के गोले हैं ।

पशुओं पर होने वाले अत्याचार के निवारण सम्बन्धी जांच समिति

***१८९६. श्री किरोलिकर** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने जो कि देश में पशुओं पर अत्याचार रोकने के लिए बनाई गई विभिन्न विधियों के वर्तमान उपबन्धों की पर्याप्तता पर और अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए स्थापित की गई थी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब सभा पटल पर रखी जायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती ।

श्री किरोलिकर : इस कमेटी में कितने और कौन कौन से मेम्बर हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसमें कुल १३ या १४ सदस्य हैं, जिन के नाम यह हैं :

श्री वी० के० कृष्ण मेनन	. अध्यक्ष
श्रीमती सावित्री देवी आरुंडेल	. सदस्य
डा० एम० डी० डी० गिल्डर	. ,,
श्री काका साहेब कालेलकर	सदस्य
प्रो० एन० आर० मलकानी	. ,,
श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन	,,
श्री दीवान चन्द शर्मा	. ,,
श्री जी० श्री निवास मूर्ति (भारतीय चिकित्सा स्कूल के)	. ,,
आयुक्त, पशुपालन, भारत सरकार	. ,,
बन महा निरीक्षक, भारत सरकार	. ,,
डा० के० मित्रा, सहायक महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार	,,
डा० सैयद महमूद के स्थान पर पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय	. ,,

डा० पी० सुब्बारायन को अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किया गया है ।

श्री आर० एल० मेहता आई० ए० एस० उपसचिव, खाद्य और कृषि मंत्रालय इसके सचिव थे, किन्तु इन के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : जब यह जानवर एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जाते हैं, तो उनको पानी पिलाने, खाना देने और छांह में रखने का कोई प्रबन्ध किया जाता है या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जो भी दिक्कतें होंगी, कमेटी उन पर ग़ौर करेगी ।

करों का भुगतान

***१८९७. सरदार इकबाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम के रूप में करों के भुगतान की प्रणाली अब भी पाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली किन राज्यों में प्रचलित हैं ;

(ग) किस प्रकार के कर श्रम के रूप में दिये जाते हैं ; और

(ख) इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ख). यह प्रणाली हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, पेप्सू, कच्छ, त्रिपुरा, सौराष्ट्र, पंजाब और मनीपुर में नहीं पाई जाती । अन्य राज्यों के बारे में जानकारी मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त पहले श्रम आयोग को जिस के अध्यक्ष श्री रामस्वामी मदलियार थे, प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन में यह माना है कि श्रम के रूप में करों के भुगतान की प्रणाली पाई जाती है ? यदि हां, तो भारत में किस प्रकार की प्रणाली है ?

श्री आबिद अली : उस जानकारी के अनुसार जो कुछ समय पूर्व इकट्ठी की गई थी—मुझे नवीनतम स्थिति का ज्ञान नहीं है—अजमेर, हैदराबाद और सम्भवतः भोपाल में भी पंचायतों को अधिकार दिया गया था कि वे करों के बदले श्रम करवा सकते हैं । संगत उपबन्ध सम्बन्धित पंचायत अधिनियमों में मिलेंगे ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि यह एक सामन्तशाही प्रणाली है और इसे दूर करने के लिए सरकार को पग उठाने चाहिएं ?

श्री आबिद अली : यह अपनी अपनी राय का मामला है ।

श्री हेडा : हैदराबाद में यह प्रणाली कब और किस रूप में प्रचलित थी ?

श्री आबिद अली : ऐसा करने का अधिकार पंचायतों को था । समय के बारे में मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार को विदित है कि आदिम जाति क्षेत्रों में करों का भुगतान बेगार के द्वारा होता है और इसे रोकने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

श्री आबिद अली : हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली ।

डाक

*१८९८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरकारों द्वारा डाक ले जाने के बदले मोटर द्वारा डाक ले जाने का प्रबन्ध १९५४–५५ में कितने मील की दूरी के लिये किया गया ;

(ख) इसका कितने हरकारों पर प्रभाव पड़ा ;

(ग) हरकारों पर और मोटर व्यवस्था पर कितना मासिक व्यय होता है ; और

(घ) इस प्रबन्ध से डाक की प्राप्ति के समय में कितने प्रतिशत की बचत हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण पत्र जिसमें मांगी हुई सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रक्खा जाता है । [देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री के० सी० सोधिया : यह जो ५०० के करीब हरकारे अलग कर दिये गये हैं, उन के लिये कोई दूसरा काम ढूंढा गया है ?

श्री राज बहादुर : जिन हरकारों को अलग किया गया है उनमें से जो मुस्तकिल मुलाजमत में थे, उन की गिनती २०५ थी और जो अतिरिक्त विभागीय सेवा वाले थे उनकी गिनती ११५ थी । उन में से ४९ को छोड़ कर, जो कि अतिरिक्त विभागीय थे, शेष को किसी न किसी स्थान पर रख दिया

गया है। सिर्फ एक अस्थायी और क मुस्तकिल अब तक नहीं रक्खे जा सके हैं।

श्री के० सी० सोखिया : सन् १६५१ से अब तक कितने हरकारे अलग लिये गये ?

श्री राज बहादुर : सन् १६५१ से कितने हरकारे अलग किये गये, इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री के० सी० सोखिया : इस में कुल बचत कितनी हुई ?

श्री राज बहादुर : १८० रनर्स लाइन्स हटाई गई हैं, जिन का विस्तार २१११ मील था। उन के बदले में मोटर बसों के द्वारा इन्तजाम किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था क्या वह करीब करीब पूरा हो गया है, और अगली पंचवर्षीय योजना में भी क्या इस तरह की कोई बात रक्खी जा रही है ?

श्री राज बहादुर : इस में लक्ष्य का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह होता है कि चूंकि मोटर या किसी और तरह की सुविधा यातायात की नहीं है इसलिये वहां हम पैदल डाक ले जाते हैं, जब यह सुविधा उपलब्ध हो जाती है और मोटर या दूसरे यातायात के साधन मिल जाते हैं तो उनका उपयोग किया जाता है।

श्री वीर स्वामी : मद्रास राज्य में कितने हरकारों पर इस व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है और क्या उन्हें अल्प सेवाओं में काम दिया गया है ?

श्री राज बहादुर : विवरण में पूरी और विस्तृत जानकारी दी गई है।

कानपुर में केन्द्रीय नियन्त्रण प्रयोगशाला

*१८६६. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का केन्द्रीय नियन्त्रण प्रयोगशाला कानपुर को बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस प्रयोगशाला में क्या काम किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का सम्बन्ध घी और खाद्य तेलों के गुण-नियन्त्रण है।

सूर्य ग्रहण के अवसर पर डाक व्यवस्था

*१६००. **डा० सत्यवादी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरुक्षेत्र में पिछले 'सूर्य ग्रहण' के अवसर पर डाक, तार और टेलीफोन की क्या व्यवस्था की गई थी ; और

(ख) इस व्यवस्था पर कितना रुपया खर्च किया गया था ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ४]

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो यह खर्च आपने बताया इसके मुकाबले में कितनी आमदनी महकमे को हुई है ?

श्री राज बहादुर : आमदनी विशेष रूप से अलहदा नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह भी होता है कि जो आमदनी इन विशेष

अस्थायी डाक और तारघरों से होती है वह साधारणतया दूसरे स्थायी डाक घरों और तार घरों से भी हो जाती ।

अमेरिका से उपहार पार्सल

*१९०१. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारत में अमेरिका से उपहार पार्सलों की एक बड़ी खेप प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं ;

(ग) इन की कुल मात्रा क्या है;

(घ) ये उपहार पार्सल किस को भेजे गये हैं ;

(ङ) इन का वितरण कौनसी एजेंसी कर रही है ;

(च) क्या सरकार का इन के वितरण पर कोई नियन्त्रण है ;

(छ) यदि हां, तो किस तरह ; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) हाल में प्राप्त उपहार पार्सलों में से अधिकांश भारत-अमेरिका करार के अधीन प्रात हुए हैं और इनमें ये वस्तुएं हैं : खाद्यान्न, मक्खन, मक्खन तेल, बिनौलों का तेल, सूखा दूध, पनीर, शार्टनिंग (केक पेस्ट्री बनाने में काम आने वाली क्रीम आदि) दवाइयां, हाथ के औज़ार, अस्पताल का सामान आदि ।

(ग) ये उपहार पार्सल कार्टन, क्रेटों, बोरियों, ड्रमों आदि में बन्द प्राप्त होते हैं । ३० जून, १९५५ को समाप्त होने वाले ६ वर्षों में लगभग ५ लाख ३० हज़ार पैकेज प्राप्त हुए थे ।

(घ) उपहार पार्सल भारत में प्रवेश के पत्तन के प्रादेशिक निदेशक (खाद्य) के द्वारा भारत में अभिज्ञात प्रापक एजेंसियों को भेजे जाते हैं, जो पार्सल वसूल करके उन्हें अभिज्ञात प्रापक एजेंसियों द्वारा बताये गये स्थानों पर भेज देता है ।

(ङ) एक विवरण जिसमें भारत के अभिज्ञात प्रापक एजेंसियों के नाम, जो उपहारों की प्रापप्ति और वितरण का प्रबन्ध करते हैं, दिये गये हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ५]**

(च) से (ज), भारत-अमेरिका करार के अधीन, उपहार पार्सलों के वितरण का उत्तरदायित्व अभिज्ञात प्रापक एजेंसियों पर है । तथापि इन एजेंसियों से ये अपेक्षित है कि वे निर्धन लोगों में इन उपहारों के वितरण उपभोग का प्रबन्ध बिना जाति या पंथ के विभेद के और निःशुल्क करें । इस प्रयोजन के लिए उन राज्य सरकारों को, जिन के क्षेत्राधिकार में उपहारों का वितरण उपयोग होता है, अपने आप को संतुष्ट कर लेने से बाद इस बात के लिए प्रमाण पत्र जारी करने पड़ते हैं कि उपहारों का वितरण वास्तव में निर्धारित तरीके मे किया गया है ।

श्री बी० एन० मिश्र : चूंकि ये उपहार विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन में घी और अन्य चीज़ें भी होती हैं, क्या वितरण से पहले यह देखा जाता है कि ये असली है और उपभोग के योग्य है ?

श्री कृष्णप्पा : माननीय सदस्य को आश्वासन दिया जाता है कि सभी उपहार सामान्यतया अमेरिका से आते हैं और ये असली होती है और इन में मिलावट नहीं होती ।

जब कोई सन्देह हुआ तो इन की जांच की जायेगी और केवल उस माल को वितरित किया जायेगा जो अच्छी हालत में हो।

श्री बी० एन० मिश्र : उपहार के रूप में जो माल भारत में आता है, उसके आयात की अनुमति दी जाती है और इन्हें निःशुल्क वितरित किया जाता है। क्या सरकार को मालूम हुआ है या उसे कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि ये उपहार बाज़ार में बेचे जाते हैं और इनका निःशुल्क वितरण नहीं होता।

श्री कृष्णप्पा : ऐसी कोई शिकायत नहीं है। किन्तु इस बात की कुछ शिकायतें हैं कि इन के वितरण में विभेद किया जाता है। उदाहरणतया कुछ ईसाई संस्थाए और कुछ पादरी इन्हें केवल ईसाईयों में वितरित कर रहे हैं। ऐसे मामलों में हम कार्यवाही कर रहे हैं कि इन का उचित वितरण किया जाये।

डा० रामा राव : क्या सारा माल भारत सरकार प्राप्त कर के ३१ एजेंसियों में वितरित करती है या कुछ एजेंसियां सीधा अमेरिकनों से माल प्राप्त करती हैं ?

श्री कृष्णप्पा : अमेरिका में भेजने वाली एजेंसियां लगभग ७ हैं। हमने भारत में ३१ एजेंसियों को अभिज्ञात किया है और ये उपहार इन ७ एजेंसियों द्वारा भेजे जाते हैं। भारत सरकार—खाद्य और कृषि मंत्रालय—इन्हें पत्तनों पर प्राप्त करती है और प्रमाणित करती है कि ये उपहार हैं, क्योंकि इन पर सीमा शुल्क नहीं लगता।

श्री काजरोलकर : घी और मक्खन तेल में क्या अन्तर है ?

श्री कृष्णप्पा : अमेरिका में घी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता ; यह भारतीय नाम है। वे इसे मक्खन तेल कहते हैं जो कि मक्खन से तैयार किया हुआ तेल होता है।

पश्चिमी बंगाल को गेंहूं और चावल का संभरण

*१९०२. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चालू वर्ष के लिए चावल और गेहूं मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष अब तक पश्चिमी बंगाल को कितना चावल और गेहूं भेजा गया है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या अकाल और कमी से पीड़ित क्षेत्रों को सहायता की योजना के अधीन सरकार ने पश्चिमी बंगाल को कोई आवंटन किया है, ताकि इन क्षेत्रों में चावल सस्ती दरों पर बेचा जा सके।

श्री कृष्णप्पा : प्रश्न यह था कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र से कोई खाद्यान्न मांगा है। उत्तर था कि नहीं। उसके पास काफ़ी खाद्यान्न है। उसके पास १९०,००० टन खाद्यान्न है। एक लाख टन फालतू खाद्यान्न उसने केन्द्र को वापस कर दिया है। हमने यह चावल इस वर्ष उड़ीसा के कमी वाले क्षेत्रों में भेजा है। जलपायगुरि और कूच-बिहार के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में चावल के रियायती दरों पर वितरण के बारे में मुझे यह कहना है कि यह वर्तमान नियमों के अनुसार किया जा रहा है और २ करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन रहते ही हम ५० प्रतिशत हानि पूरी कर रहे हैं।

विमान दुर्घटना

*१९०३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का एक भारवाहक डकोटा सिमरा हवाई अड्डे से उड़ना आरम्भ करते समय ३० अगस्त, १९५५ को दुर्घटना-ग्रस्त हुआ ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह एक्सीडेंट एंजिन के दोष के कारण हुआ या इसका कोई और कारण था ?

श्री राज बहादुर : अभी इस एक्सीडेंट की जांच हो रही है, इसलिए अभी यह कहना समय से पूर्व होगा कि यह किस कारण से हुआ ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या वह पुनः पूछ-ताछ करेंगे ?

श्री राज बहादुर : एक जांच समिति की नियुक्ति की गई है । मैं नाम नहीं बता सकूंगा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच नहीं कि इण्डियन एयर लाइन्स के अधिकांश विमान चालकों के पास विमान परिवहन प्रमाण पत्र (नेवीगेशन सर्टिफिकेट) नहीं है, यह कि उन्होंने कोई विमान परिवहन पाठ्यक्रम (नेवीगेशन कोर्स) भी नहीं पढ़ा है और यह कि अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक विमान समवाय संगठन के नियमानुसार जिसका भारत सदस्य है, ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ना अनिवार्य है ?

श्री राज बहादुर : सी० ए० टी० सी० में विमान-परिवहन प्रशिक्षण देने के लिये व्यवस्था है और विमान चालकों को सामान्य रूप से वह प्रशिक्षण दिया जाता है । मैं समझता हूं कि अधिकांश विमान चालक अब इस अर्हता को प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री कामत : जांच समिति की नियुक्ति हो चुकी है किन्तु नाम नहीं दिये गये हैं । ऐसा कैसे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसके लिये पूर्व सूचना चाहते हैं ।

श्री कामत : यह बड़े आश्चर्य की बात है ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि दुर्घटना नेपाल के राज्य क्षेत्र में हुई थी । साधारणतः विदेशी सरकार के क्षेत्राधिकार में जब कोई दुर्घटना होती है, तो उस सरकार द्वारा ही उसकी पूछताछ अथवा जांच पड़ताल की जानी चाहिये । किन्तु चूंकि नैपाल में पूर्ण विकसित कोई असैनिक उड्डयन विभाग नहीं है, इस कारण हम दुर्घटना के कारण की विभागीय जांच कर रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश की सीमा पर वन लगाया जाना

*१९०५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ४ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की सीमा पर ५ मील चौड़ी जंगल की पटरी तैयार करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को आर्थिक सहायता (सबसिडी) देने के प्रश्न पर क्या तब से कोई निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिये अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) १,५९,८०० रुपयों की वित्त सहायता दी गई है ।

(ग) सन् १९५३–५४ में योजना के शुरू होने के वक्त से १५,४०० एकड़ ज़मीन में और सड़कों की ५२½ मील लम्बी पटरी पर पौधे उगाने का काम किया गया है । इस के अलावा २९ मील लम्बी पटरी की और करीब ३०० एकड़ ज़मीन की मिट्टी भी सुधारी जा चुकी है ।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया था कि इस योजना के पूरे होने में करीब १५ वर्ष लगेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस समय जो प्रगति हो रही है क्या वह जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है क्या वह उसके अनुसार हो रही है और क्या उससे माननीय मंत्री जी सन्तुष्ट हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : शायद बहुत तेज़ी से काम हो रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यू० पी० सरकार ने इस कार्यक्रम में और तेज़ी लाने के लिए कोई और सहायता की मांग की है, यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन्होंने दूसरी योजना भी भेजी है जिस के बारे में उन्होंने पूरी तफसील नहीं भेजी । उसके बारे में हमने फिर से रैफ्रैंस किया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य नहीं है कि यह वही इलाका है जहां पर कि सुप्रसिद्ध डाकू मान सिंह का दल पिछले दिनों डाके डालता रहा है और क्या गवर्नमेंट के दिमाग में यह बात आई है कि अगर इस तरह का जंगल वहां उगाया गया तो और डकैतियां बढ़ने की सम्भावना हो सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : डाकू मान सिंह तो अब चला गया है । मैं नहीं समझता इस तरह का कोई और खतरा जंगल उगाने के कारण से पैदा हो सकता है ।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों का मूल्य

*१९०६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अभी खाद्यान्नों के मूल्य क्या हैं ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न बेचने के लिये प्रबन्ध किया गया है ;

(ग) क्या रियायती दरों पर खाद्यान्न बेचने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) सभा के टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ६**]

(ख) जी हां, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और उड़ीसा की सरकारों ने अनाजों को रियायती भावों पर बेचने का इन्तज़ाम किया है ।

(ग) और (घ) अगर सारा नुकसान दो करोड़ रुपयों से ज्यादा न हो, तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को रियायती भावों पर अनाज के बेचने से हुए नुकसान का ५० प्रतिशत हिस्सा देगी । अगर नुकसान दो करोड़ रुपयों से ज्यादा हो, तो केन्द्रीय सरकार नुकसान का ७५ प्रतिशत हिस्सा देगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि जो रियायती दर पर अनाज बेचने की दुकानें खोली गई हैं, उनकी क्या तादाद है और वे अनाज कितने रियायती दामों पर दिये गये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

श्री एस० एन० दास : विभिन्न राज्यों में कितनी दुकानें खोली गई हैं, और आर्थिक सहायता की दर क्या है और किस भाव पर अनाज बेचा जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इन क्षेत्रों में कुल खोली गई दुकानों की संख्या हम नहीं जानते क्योंकि इनमें से अधिकांश अस्थायी दुकानें हैं । संभरण किये गये अनाज की कुल मात्रा के सम्बन्ध में मैं आंकड़े देने को तैयार हूं । बिहार में वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य १६ रुपये ८ आने प्रति मन है जबकि उन क्षेत्रों में हम १३ रुपये प्रति मन के भाव से बेच रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : विवरण में अनाज का वर्तमान भाव है । इन बाढ़ों से पूर्व अनाज का क्या भाव था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : देश में कंट्रोल समाप्त हो जाने के पश्चात् जो भाव प्रचलित थे, वे ही इन बाढ़ों से पूर्व इन क्षेत्रों में भी थे । बाढ़ों के पश्चात्, बाढ़ों के कारण कुछ क्षेत्रों में एक या दो रुपये प्रति मन भाव बढ़ गया था और हम १३ रुपये प्रति मन के हिसाब से रियायती भाव पर बेच रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : ये मूल्य उन राज्यों की तुलना में कैसे हैं जहां बाढ़ नहीं आई है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : तुलना के लिये मैं कुछ आंकड़े पढ़ कर सुनाऊंगा । उत्तर प्रदेश में सामान्यतः गेहूं १२ रुपये से लेकर १४ रुपयें प्रति मन के भाव पर बिक रहा है, जबकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार एक रुपये का ३। सेर के भाव से बेच रही है । उत्तर प्रदेश में ज्वार का सामान्य भाव ६ रुपये १२ आने ९ पाई से ७ रुपये ८ आने तक है जबकि राज्य सरकार एक रुपये की ५।। सेर के हिसाब से बेच रही है, बिहार में चावल का सामान्य भाव १६ रुपये ८ आने से १८ रुपये ८ आने प्रति मन है जबकि बिहार सरकार १३ रुपये मन के भाव से बेच रही है ।

श्री एन० बी० चौधरी : सरकार ने किन किन राज्यों को ५०:५० अथवा २५:७५ अनुपात के आधार पर राज्य द्वारा आर्थिक सहायता अथवा अन्य अनुदान दिये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इन सभी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को जैसे आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ।

'आपका अपना टेलीफोन' योजना

***१९०७. श्री हेडा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे नगर कौन-कौन से हैं जिनमें 'आपका अपना टेलीफोन' योजना समाप्त कर दी गई है ;

(ख) क्या उन नगरों में अब नये टेलीफोन कनेक्शन मिल रहे हैं ; और

(ग) क्या 'आपका अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत टेलीफोन लगवाने वालों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 'आपका अपना टेलीफोन' योजना १२ स्थानों, नामतः बरनाला, भटिंडा, धूरी, धूरी, इरोड, गुदूर, इन्दौर, कोटकापूरा, मेरठ, राजकोट, सूरत और वेरावल में खत्म कर दी गई है । 'आपका अपना टेलीफोन' योजन

हैदराबाद बंगलौर और कलकत्ता के स्वचालित एक्सचेंजों के क्षेत्रों में शिथिल कर दी गई है ।

(ख) हां, केवल पेयर्स और सहायक सामान के उपलब्ध होने पर ।

(ग) नहीं ।

श्री हेडा : किन नगरों में यह प्रणाली अब भी विद्यमान है ?

श्री राज बहादुर : यह प्रणाली अब भी १० स्थानों में विद्यमान है ।

श्री हेडा : क्या सरकार का कोई विचार सारे ही शहरों से इस योजना को वापस ले लेने का है, और यदि हां, तो उसके विचार में यह किस समय तक वापस ले ली जायेगी ?

श्री राज बहादुर : ज्यों ही हम अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था कर सकेंगे और हमारे पास जितने टेलीफोनों के कनेक्शन मांगे गये हैं उनके लिय यथेष्ट और उपयुक्त तथा पर्याप्त सामान हो जायगा त्यों ही हम 'आपका अपना टेलीफोन' योजना वापस ले लेंगे ।

श्री हेडा : इस योजना के अधीन अब तक कुल कितनी धन राशि एकत्रित की गई है ?

श्री राज बहादुर : मैं अपनी याददाश्त से बता रहा हूं कि यह राशि लगभग ४ करोड़ रुपये होगी ।

रेलवे चिकित्सा सेवा

*१९०९. **श्री बहादुर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों के डिब्बों, प्रतीक्षालयों, प्लेटफार्मों तथा शौचालयों में सफाई का प्रबन्ध बड़े निम्न स्तर का है;

(ख) क्या प्रत्येक श्रेणी की रेलवे चिकित्सा सेवा में समुचित संख्या में चिकित्सा कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बीच कोई सम्पर्क स्थापित है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं । रेलों के डिब्बों, प्रतीक्षालयों, स्टेशन प्लेटफार्मों तथा शौचालयों में पर्याप्त सफाई का प्रबन्ध रहता है ।

(ख) हां ।

(ग) हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बहादुर सिंह : क्या यह सामान्य शिकायत है कि रेलवे के क्षय रोगियों को कुछ भी सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : रेलों ने स्वास्थ्य मंत्रालय से टी० बी० सेनीटोरियम में विशेषकर रेलवे कर्मचारियों के लिये कुछ स्थान रक्षित रखे जाने का प्रबन्ध किया है और मैं समझता हूं कि इस प्रबन्ध के लिये रेलों को बधाई दी जानी चाहिये थी ।

श्री बहादुर सिंह : रेलवे चिकित्सा सेवा पर कुल कितना व्यय होता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : श्रीमान्, मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री बहादुर सिंह : क्या आगे चल कर इस रेलवे चिकित्सा सेवा को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कर देना अधिक बचतपूर्ण नहीं होगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहूंगा किन्तु माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि रेलवे में लगभग दस लाख व्यक्ति सेवायुक्त हैं और ७५ प्रथम श्रेणी के अस्पताल, ३९९ दवाखाने और लगभग

२०,००० चिकित्सा-कर्मचारी रेलवे कर्मचारियों के हित के लिये कार्यकर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह कार्य बड़े सुचारू रूप से चल रहा है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या हमारे अत्यधिक उत्साही सभा-सचिव को कभी पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर से कटिहार तक यात्रा करने का मौका पड़ा है और यदि हां, तो क्या उन्हें मालगाड़ी और सवारी गाड़ी के डिब्बे उतने ही साफ-सुथरे मिले हैं जैसे कि वह अन्य रेलों में समझते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : मुझे अभी तक तो ऐसा अवसर नहीं पड़ा किन्तु मैं शीघ्र ही उस आनन्द को प्राप्त करने की आशा करता हूं।

मालगाड़ी के डिब्बों की कमी

*१९१२. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर (मध्य प्रदेश) के बीड़ी और तम्बाकू विक्रेता संस्था ने सागर रेलवे स्टेशन पर बीड़ी भेजने के लिये अधिक मालगाड़ी के डिब्बों की मांग करने के लिये अभ्यावेदन किया है ;

(ख) क्या उस पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां।

(ख) और (ग). अभ्यावेदन में किये गये सुझावों पर मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा ध्यान-पूर्वक विचार किया गया किन्तु कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोटा में वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

श्री कामत : क्या यह सच है कि इस संस्था ने सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि सागर स्टेशन पर बीड़ी का स्टाक जमा हो जाने से उन्हें बड़ी हानि हो रही है, और उन्होंने अधिक मालगाड़ी के डिब्बों के लिये तथा बीड़ी के भेजे जाने को प्राथमिकता देने की मांग की है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कुछ स्टाक इकट्ठा हो सकता है किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बीड़ी के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुयें भी हैं जिनके भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती है। हम मालगाड़ी के डिब्बों का आवंटन वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार करते हैं जैसे खाद्यान्न, दालें, लकड़ी तथा कुछ अन्य वस्तुओं को भी अधिक मात्रा में भेजना पड़ता है। हम १२० मालगाड़ी के डिब्बे अनियन्त्रित गन्तव्य स्थानों के लिये और ८४ डिब्बे नियंत्रित गन्तव्य स्थानों के लिये देते हैं। यह उनका कोटा है।

श्री कामत : क्या मैं यह समझूं कि बीड़ी विक्रेता संस्था द्वारा किया गया अभ्यावेदन आंशिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है अथवा पूर्णतः रद्द कर दिया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां: रेलवे का कहना यह है कि वे बीड़ियों के लिये डिब्बों का आवंटन काफी उदारतापूर्वक कर रही है।

श्री कामत : क्या सरकार को विदित है कि इस सम्बन्ध में सरकार के इस रुख के कारण बीड़ी उत्पादन में लगे हुये लगभग १ लाख मज़दूरों को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं इस कथन को बिल्कुल सत्य नहीं समझता क्योंकि हमने बीड़ी के आवागमन के लिये काफी संख्या में मालगाड़ी के डिब्बों का आवंटन किया है और यदि किसी समय कुछ माल इकट्ठा हो भी गया तो हमने उसे निकालने का भी प्रयत्न किया है।

श्री कामत : क्या सारा स्टाक निकाला जा चुका है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता, किन्तु मैं इस सम्बन्ध में अग्रेतर जांच करूंगा ।

शिशु कल्याण

***१९१६. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) संसार के शिशु कल्याण के लिए जारी किये गये आज्ञापत्र (चार्टर) के आदर्श और उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस काम में अब तक कितनी राशि व्यय की गयी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य "शिशुओं के अधिकारों के घोषणा-पत्र" के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं जिसे "जिनेवा का घोषणा-पत्र" कहते हैं । यदि हां, तो मांगी गयी जानकारी की एक टिप्पणी सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ७]**

श्री कृष्णाचार्य जोशी : विवरण से पता लगता है कि इस काम का उत्तरदायित्व केवल स्वास्थ्य मंत्रालय पर ही नहीं है बल्कि अन्य मंत्रालयों पर भी है । अन्य कौन कौन से मंत्रालय किस प्रकार से इस संबंध में भी काम कर रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी मंत्रालय बच्चों को देख-भाल और उनके मानसिक तथा सामाजिक विकास में सहायता कर रहे हैं । अतः मैं नये तुले शब्दों में यह नहीं बता सकती कि अन्य मंत्रालय किस प्रकार इस काम के लिए जिम्मेदार हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस योजना के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रसूति तथा शिशु कल्याण सम्बन्धी कामों के लिए कोई खास रकम निश्चित नहीं की गयी है । स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो योजनायें चलाई जा रही है उनका विवरण उस टिप्पण में है जो माननीय सदस्यों को दी गयी है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : किन किन राज्यों ने यह योजना प्रारम्भ की है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : भारत में १२ राज्यों ने शिशुओं के कल्याण और स्वास्थ्य की उन्नति के लिए विस्तृत प्रसूति तथा शिशु कल्याण योजनायें चलाई हैं । ये राज्य, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रावनकोर-कोचीन, हैदराबाद, आसाम, आंन्ध्र, मैसूर, बम्बई पश्चिमी बंगाल और सौराष्ट्र हैं । अन्तिम चार राज्य शीघ्र ही योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे ।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या शिशु कल्याण का विकास करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के बीच कोई सम्पर्क है और यदि हां, तो क्या है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं पूर्व सूचना चाहूंगी ।

फसलों का कीड़ों से बचाव

***१९१७. श्री विभूति मिश्र** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की जांच करवाई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में कितने प्रकार के कीड़े फसलों को हानि पहुंचाते हैं ;

(ग) उनसे प्रति वर्ष कितनी हानि होती है ; और

(घ) इन कीड़ों से फसलों का बचाव करने के लिये किन उपायों का पता लगाया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ८]**

श्री विभूति मिश्र : यह जो विवरण में फसलों को कीड़े से बचाने के उपचार दिये गये हैं, क्या इनके प्रचार का गांवों में सरकार प्रबन्ध कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस विषय की जानकारी काश्तकारों को देने के लिए राज्य सरकारों ने काफी प्रयत्न किये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : धान के लिए इस विवरण में दिया गया है ;

"५ प्रतिशत बी० एच० सी० का छिड़काव ; ०.२५ प्रतिशत डी०डी० टी०का छिड़काव ; खेतों में पानी भर कर कीड़ों के बच्चों को मिट्टी के तेल से मिले पानी से मारना ।"

अगर ये सब दवाइयां एक एकड़ भूमि में उपयोग की जायं तो कितना खर्च पड़ेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका कुछ अन्दाज़ा नहीं है । अगर कहीं यह बीमारियां शुरू हों और उसी वक्त इनका इलाज कर लिया जाय तो उससे दूसरे काश्तकारों को फायदा होता है । अगर एक एकड़ में कुछ ज्यादा पैसा भी लग जाता है तो उससे जो फायदा होता है वह बहुत ज्यादा होता है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि यह जो कीड़ा लगता है इसके लिए कोई सस्ती और गांव वालों की समझ में आसानी से आने वाली दवा निकाली जाय ?

डा० पी० एस० देशमुख : अगर कोई सस्ती दवा हो जिससे इलाज हो सकता हो तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे ।

यात्री सुविधायें

*१९१८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर-पूर्वी रेलवे खण्डीय मंत्रणा समिति की यात्री सुविधा उपसमिति की बैठक में कुरसियांवा में ३१ मई, १९५५ को उत्तर-पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा कही गयी इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि इस समय यात्रियों की सुविधाओं का कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार महाप्रबन्धक द्वारा कही गयी बात से सहमत है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर पूर्वी रेलवे में यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) महाप्रबन्धक ने बताया है कि पिछले वर्षों से चले आने वाले बहुत से कामों को इसलिए इच्छानुकूल आगे नहीं बढ़ाया जा सका कि रेलवे इंजीनियर उन खण्डों के कामों में फंसे हुये थे, जिनमें लाईनें टूट-फूट गयी थीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यथा सम्भव काम को आगे बढ़ाया जा रहा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैंने पहले प्रश्न में भी इस विषय पर सप्लीमेंटरी प्रश्न किया था । मैं यह जानना चाहता था कि आनरेबल मिनिस्टर के अलावा क्या ओ

अधिकारी भी वहां गये हैं और उन्होंने देखा है कि वहां पर पैसेंजर एमेनिटीज़ का स्तर कितना लो है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हाथी के पैर में सब का पैर आ जाता है । मिनिस्टर साहब ने देख लिया तो सब ने देख लिया ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि एन० ई० रेलवे की पैसेंजर ऐमेनिटीज़ की और रेलवेज़ के बराबर लाने में कितने दिन और लगेंगे और उसके लिए क्या प्रयत्न हो रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने ज़रा गलती की है । मेरा पैर हाथी का पैर तो हो ही नहीं सकता । जहां तक सुविधाओं का सवाल है, नार्थ ईस्टर्न रेलवे, हमारे जमाने से नहीं, कम्पनी के जमाने से इस मामले में काफी पीछे रही है । कम्पनी ने जाने से पहले अपना काम खराब कर दिया था और उसको सुधारने में समय लगेगा । हम एन० ई० रेलवे को रुपया देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, बल्कि और रेलवेज़ से हम एन० ई० रेलवे को ज्यादा रुपया दे रहे हैं । ऐसी हालत में माननीय सदस्य को कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए । मगर उसको सुधारने में कुछ समय तो लगेगा और हम उधर की हालत को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कम्पनी के समय में एन० ई० रेलवे का पैसेंजर भाड़ा और लाइनों से कम था, इसलिए अगर लोगों को कुछ तकलीफ होती थी तो वे उसको बरदाश्त कर लेते थे । लेकिन आज भाड़ा सब रेलों के बराबर है और ऐमेनिटीज़ और लाइनों से बहुत नीचे हैं । ऐसी हालत में क्या गवर्नमेंट भाड़े में कुछ कमी करने की बात सोच रही है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मेरे ख्याल में यह कहना कि कम्पनी के ज़माने में भाड़ा बहुत कम था, ठीक नहीं है । मुझे इस रेलवे पर सफर करने का बहुत ज्यादा तजुर्बा है । बनारस से इलाहाबाद के बीच किराये में सिर्फ डेढ़ या दो आने का फर्क था । वह अन्तर बहुत ज्यादा नहीं था । अब अगर किराया डेढ़ आना बढ़ गया है तो हमने कम्पनी के जमाने से बहुत ज्यादा सुविधायें भी दे दी हैं ।

श्री विभूति मिश्र : पहले जब इस लाइन पर २ पाई प्रति मील किराया था तो दूसरी लाइनों पर ढाई पाई फी मील था । अब इस लाइन पर दूसरी लाइनों के बराबर किराया हो गया है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसी हिसाब से तीसरे, दूसरे और पहले दर्जे में इस लाइन पर ऐमेनिटीज भी बढ़ गयी हैं, अगर ऐसा नहीं है तो क्या इनमें सुधार होने की आशा की जा सकती है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं देखूंगा । लेकिन अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हम कम्पनी का इन्तिजाम फिर से ला दें तो वह हमारे लिए मुमकिन नहीं है ।

अन्दमान द्वीपसमूह में सड़कें

*१९२०. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार अन्दमान द्वीप-समूह के तीन मुख्य द्वीपों को मिलाने के लिए एक ट्रंक सड़क बनाना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जी हां, उस क्षेत्र का ठीक सर्वेक्षण करने के बाद ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि उस सड़क की लम्बाई क्या होगी ?

श्री अलगेशन : मैं मोटे तौर पर बता सकता हूं कि उसकी लम्बाई १६० मील और १७० मील के बीच होगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस समय अन्दमान द्वीपसमूह के तीन मुख्य द्वीपों में परिवहन की क्या सुविधायें हैं ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं बता चुका हूं, सड़क का काम शुरू करने से पहले द्वीपों का ठीक सर्वेक्षण कियाजायेगा । भारत का परिमाप विभाग सर्वेक्षण कर रहा है और हम उस ट्रंक सड़क को खण्डशः बनाने का विचार कर रहे हैं । एक साधारण रूपरेखा बना ली गयी है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जायेगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : चूंकि तीनों द्वीपों के समहों के बीच काफी पानी है अतः क्या सरकार व्यापार के लिए परिवहन की कोई विकल्प प्रणाली जैसे परिवहन की मौजूदा 'भाउली' प्रणाली है, निकालने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : सड़क को तीन स्थानों पर समुद्र पार करना पड़ेगा और हमें सड़क ऊपर से बनानी पड़ेगी । हमें इस मामले के व्यौरे का पता नहीं है ।

रेलवे वर्कशाप पुर्नविलोकन समिति

***१९२१. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री ८ अगस्त, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशाप पुर्नविलोकन समिति द्वारा पेश किये गये अन्तरिम प्रतिवेदन पर रेलवे बोर्ड ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो कैसी कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) जी हां; यह एक विभागीय समिति थी और प्रतिवेदन विभागीय प्रक्रिया और पुनर्समायोजनों के सम्बन्ध में है । आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही की गयी है और की जा रही है ?

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस समिति ने अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है क्योंकि ८ अगस्त को एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि समिति का प्रतिवेदन अगस्त के अन्त तक आ जाने वाला था ।

श्री अलगेशन : जी हां, वह आ गया है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री अलगेशन : वह बिल्कुल टेकनिकल हैं । मैं उसे समझ नहीं पाता हूं, शायद माननीय सदस्य समझ सकें । वह कई पृष्ठों पर हैं अतः मैं सभा को परेशान नहीं करना चाहता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस समिति ने यह भी पता लगाया है कि कुछ वर्कशापों की सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं किया गया है ?

श्री अलगेशन : मैं समिति के प्रतिवेदन के व्यौरों में नहीं जाना चाहता । यह एक विभागीय समिति है जिसे केवल विभागीय कार्यवाही करने के लिए बनाया गया था । बोर्ड ने बहुत सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और विभिन्न रेलवे प्रशासनों को आदेश जारी कर रहा है ।

श्री कामत : क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रशासनीय व्यौरे का प्रश्न है । मैं प्रशासनीय व्योरों में हस्तक्षेप को प्रोत्साहन देना ठीक नहीं समझता । जब तक कोई सिद्धान्त का मामला न हो, मैं उसे संसद् में नहीं लाना चाहता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : दो वर्ष पूर्व रेलवे मंत्री ने आय-व्ययक सत्र के दौरान अपने भाषण में कहा था कि यह समिति

मौजूदा रेलवे वर्कशापों की सामर्थ्य के पूर्ण उपयोग के प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त की जा रही है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति को पता लगा है कि कुछ वर्कशापों की सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हम माननीय सदस्य को उस समय कुछ जानकारी दे सकेंगे जब समिति अपना अन्तिम प्रतिवेदन पूर्ण कर लेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल के डिब्बे

*१८६८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ के दौरान भारत में छोटी लाइन के कुल कितने डिब्बे बनाये गये ; और

(ख) किन स्थानों पर वे बनाये गये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) २९७ पूरे डिब्बे।

(ख) भारतीय रेलवे वर्कशापों में।

भाड़े में रियायत

*१८६९. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष विभिन्न नदी घाटियों और सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों की यात्रा करने वाले किसानों और नवयुवकों के दलों को ले जाने वाली विशेष गाड़ियों में भाड़े में रियायत की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने दलों ने इन रियायतों का फायदा उठाया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) इन दलों ने ३० जून, १९५५ तक इन रियायतों का लाभ उठाया।

आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न

*१८७३. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न पैदा होता है ; और

(ख) वर्ष १९५४–५५ के दौरान ऐसे राज्यों से केन्द्रीय सरकार ने कितनी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त किया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पेप्सू, पंजाब, आन्ध्र, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल और मनीपुर।

(ख) १० जुलाई, १९५४ से चावल पर पूर्ण नियंत्रण होने से आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न वाले राज्यों से आवश्यकता से कम खाद्यान्न वाले राज्यों को बुनियादी योजना के आधार पर खाद्यान्न भेजा जाना बन्द कर दिया गया था और खाद्यान्न एक राज्य से दूसरे राज्य को व्यापारीय आधार पर बिना किसी रोक टोक आता जाता था। १० जुलाई, १९५४ तक ४८०,००० टन खाद्यान्न केन्द्रीय बुनियादी योजना के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाले राज्यों से कमी वाले क्षेत्रों को भेजा गया था।

नौवहन सम्मेलन

*१८७९. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री २८ फरवरी, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय नौवहन समवायों को भारत-पाकिस्तान /. ब्रिटेन महाद्वीपीय व्यापार क्षेत्रों के बीच के व्यापारों का नियंत्रण करने वाले नौवहन सम्मेलनों में भरती कर लिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : अभी तक नहीं।

त्रिदलीय करार

*१८८०. **श्री बीरेन दत्त :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ अक्टूबर, १९५३ को त्रिपुरा में धर्मनगर के चाय बागान में एक त्रिदलीय करार हुआ ;

(ख) क्या मजदूरों ने श्रम पदाधिकारी के पास ऐसी कोई शिकायत की थी कि प्रबन्ध द्वारा उस करार का उल्लंघन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रबन्ध के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) इस मामले में आपसी समझौता हो गया था ।

बाड़ाबील-जोदा रेलवे लाइन

*१८८१. **श्री आर० एन० एस० देव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि प्रस्तावित बाड़ाबील-जोदा लाइन को दुमना तक जो उड़ीसा के क्योंझर ज़िले में एक खान केन्द्र है, बढ़ा दिया जाय ;

(ख) क्या जोदा और दुमना के बीच कोई यातायात या इंजीनियरिंग सवक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

परिवहन सुविधाओं का अभाव

*१८८२. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी विभागों ने शिकायत की है कि रेलवे की आवश्यक परिवहन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास कार्य रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन विभागों ने शिकायत की है उनके नाम क्या हैं और उनके किन कामों में हानि हुई बताई जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) वैसे तो समय समय पर राज्य सरकारों ने शिकायतें की हैं कि उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें रेलवे परिवहन पूरी मात्रा में नहीं मिलता पर ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि रेलवे परिवहन के अभाव में कोई विकास कार्य रुक गया हो ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खाद्य पदार्थों का वितरण

*१८८५. **श्री केलप्पन :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीकी करार के अन्तर्गत गरीबों और जरूरतमन्दों में वितरित करने के लिए आने वाले खाद्य पदार्थों को मंगाने की किन भारतीय मान्य अभिकरणों को अनुमति है ;

(ख) मद्रास राज्य में विशेषतया मलबार जिले में किन अभिकरणों के द्वारा वितरण किया जाता है ; और

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ९ जुलाई १९५१ के भारत-अमरीकी करार के अन्तर्गत आने वाले सहायता प्रदाय जिस में खाद्य पदार्थ भी सम्मिलित हैं को प्राप्त

करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अभिकरणों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है [**देखिए परिशिष्ट १० अनुबन्ध संख्या ५**]

(ख) भाग (क) के उत्तर में बताये गये अभिकरण उपहार में आयी हुई चीजों को विभिन्न वितरकों के द्वारा देश भर में वितरित करने का प्रबन्ध करते हैं। मद्रास राज्य और मलबार जिले में वितरण करने के लिए कोई विशेष अभिकरण नहीं रखा गया है।

(ग) करार में मुख्यतया इस प्रकार की व्यवस्था है :--

(१) संयुक्त राज्य अमरीका के मान्य अभिकरणों द्वारा उपहार की चीजों को जहाज में भेजने, उसका भाड़ा और भारत के पत्तन तथा पहुंचने तक का सभी छोटा-मोटा व्यय संयुक्त राज्य अमरीका सरकार देगी ; और

(२) भारत में उस पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा और पत्तन-क्षेत्र से उसे उठा कर भारत के मान्य अभिकरणों द्वारा बताये गये स्थानों तक उसे भिजवाने का व्यय भारत सरकार देगी। उपहार की वस्तुओं को मान्य अभिकरणों द्वारा बिना किसी मूल्य के गरीबों और जरूरत-मन्दों में बिना किसी जाति या वर्ण का भेद किये वितरित किया जाता है।

रेलवे कमचारी

*१८८६. **श्री वी० मिश्र :**
श्री आर० एन० सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४८ में ईस्ट पंजाब रेलवे के भूतपूर्व कैश कॉन्ट्रैक्टर ने उस समय अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन दिया जब कि उसे अपना ठेका समाप्त होने की सूचना दे दी गई थी ;

(ख) सरकार ने जब इस काम को अपने हाथ में लिया तब कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने के लिये क्या इस वृद्धिगत वेतन को मान्यता दी गई थी ;

(ग) क्या सरकार ने इसका निश्चय करने के लिये कोई कार्यवाही की थी कि भूतपूर्व कैश कान्ट्रैक्टर द्वारा वेतन की दरें कितनी बढ़ाई गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). ठेकेदार के लेखों से रेलवे ने यह पता चलाया कि उसके कर्मचारियों में से १० लोगों को १-१०-१९४८ को एक अनुचित वृद्धि दी गई थी। वेतन निश्चित करते समय यह वृद्धि काट ली गई।

एलोरा और अजन्ता की गुफायें

*१८८७. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलोरा और अजन्ता जाने वाले पर्यटकों को कोई सुविधायें दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों में वहां के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या अनुपात है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ग) जी हां।

(घ) १९५० से १९५४ तक प्रति वर्ष के पर्यटकों का विवरण सभा-पटल पर रखा

जाता है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ९]

पश्चिम तटीय पत्तन

*१८८८. **श्री वी० पी० नायर :**
श्री पुन्नूस :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रावनकोर-कोचीन और मद्रास सरकारों ने पश्चिम-तटीय पत्तनों के सुधार के लिये प्रस्ताव भेजे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : हां, श्रीमान् ।

टेलीफोन एक्सचेंज

*१८९०. **श्री संगण्णा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जिला कोरापट (उड़ीसा) में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो उन एक्सचेंजों की संख्या कितनी होगी ; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) दो ।

(ग) १९५६ में ।

सहकारी आन्दोलन

*१८९१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू करने में सहकारी संगठनों से अच्छा सहयोग प्राप्त करने के लिये सहकारी आन्दोलन को गैर सरकारी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हमारे देश में सहकारी आन्दोलन की क्षीण प्रगति का एक कारण वित्ताभाव और राज्य सहयोग की कमी है । सरकार एवं गैर-सरकारी सहकारियों ने यह महसूस किया है कि राज्य की ओर से जब तक सक्रिय भाग न लिया जाय तब तक कोई ठोस उन्नति नहीं हो सकती किन्तु इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सरकारी दिलचस्पी और राज्य के भाग लेने से कहीं सहकारी संस्थायें शिथिल न हो जायं । अतः उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिये, स्थानीय गैर-सरकारी नेतृत्व को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

केन्द्रीय पैट्रोल उपकर निधि

*१८९२. **श्री जांगड़े** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय पैट्रोल उपकर निधि से मध्य प्रदेश सरकार को सड़क बनाने के लिये १९५३, १९५४ और १९५५ म कुछ राशि दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई थी ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त निधि से रायपुर जिले (मध्य प्रदेश) के शिवरी नारायण से सारंगगढ़ तक सड़क बनाने की मंजूरी दी गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १०]

(ग) जी हां ।

रेल का पुल

*१८९३. **श्री वल्लाथरास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने समय से, त्रिचनापल्ली (मद्रास राज्य) की त्रिचीईरोड लाइन पर

फोर्ट रेलवे स्टेशन से कुछ फर्लांग दूर उत्तर में कुदामिरित्ति नदी पर रेल का पुल विक्षत अवस्था में पड़ा हुआ है ;

(ख) पुल के दोनों ओर विशेष संकेत देने के प्रबन्ध के लिये प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ; और

(ग) पुल की मरम्मत न कराने अथवा उसके स्थान पर नया पुल न बनवाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस पुल की मेहराब के एक लम्बे हिस्से में कुछ दरारें पड़ गई थीं और ३१-३-१९५१ से १-७-१९५५ तक वहां रेल की रफ्तार पर पाबन्दी लगा दी गयी ।

(ख) लगभग २५०० रुपये प्रति वर्ष ।

(ग) नया पुल बनाना आवश्यक नहीं समझा गया । कुल दो मेहराबों में १९४४ और १९४६ में कुछ दरारें पड़ गईं जिनका पुनर्निर्माण करा दिया गया है और २-७-१९५५ को काम पूरा हो गया ।

काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम दर्ज कराना

*१८९४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री ३१ मार्च, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उन उम्मीदवारों में से भर्ती की जाती है जो काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम दर्ज कराते हैं और जो सीधे आवेदन करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां भी अन्य राज्यों की ही भांति यह नियम बनाने का प्रस्ताव है कि जितने स्थान रिक्त हों, उनकी जानकारी अनिवार्य रूप से काम दिलाऊ दफ्तर को दी जाये ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : (क) जी नहीं । तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ के भाग (ग) के उत्तर में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में स्थान-पूर्ति के विषय में जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वह बिहार पर भी लागू होती है । संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम को छोड़ कर बिहार में केन्द्रीय कार्यालयों में जितनी जगह खाली होती हैं, उनकी जानकारी काम दिलाऊ दफ्तर को दी जाती है और वहीं के द्वारा भरी जाती हैं । सीधी भर्ती केवल उस समय की जाती है जब वहां उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मयूरभंज लाइट रेलवे (छोटी लाइन)

*१८९५. **श्री सुबोध हासदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हाल ही में उड़ीसा से कोई अभ्यावेदन आया है कि मयूरभंज लाइट रेलवे (छोटी लाइन) में सुधार किया जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या उसे बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) बारीपाडा नगरपालिका के सभापति और सदस्यों का एक अभ्यावेदन २१-४-५४ को प्राप्त हुआ था जिसमें छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर जोर दिया गया था ।

(ख) अभ्यावेदकों को यह बताया गया कि इस प्रश्न पर १९५० में विचार किया गया था और आर्थिक दृष्टि से इसे उचित नहीं समझा गया था ।

(ग) अन्य छोटी लाइनों को भी इसी के साथ-साथ बड़ी लाइनों में बदलने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जा रहा है।

रेलगाड़ी का पटरी पर से उतर जाना

*१६०४. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांदा-कानपुर लाइन पर बरुआ सुमेरपुर स्टेशन के निकट २७ अगस्त, १६५५ को मालगाड़ी के १२ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गये और जमीन में धंस गये ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) २६-८-५५ को लगभग ३ बजे जब ७५५ डाउन मालगाड़ी, मध्य रेलवे के बांदा-कानपुर लाइन पर रागौल और भरुआ सुमेरपुर के बीच जा रही थी, उसके इंजन से १४वें नम्बर से लेकर २५ वें नम्बर तक के १२ डिब्बे पटरी से उतर गये। इन में से ८ डिब्बे उलट गये।

(ख) ऐसा जान पड़ता है कि इंजन से १५वें नम्बर पर जो डिब्बा लगा था उसके बायें ओर का अगला बीयरिंग स्प्रिंग टूट गया था जिसकी वजह से डिब्बे पटरी से उतर गये।

कम्पोस्ट खाद

*१६०८. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की कोई खोज करवाई है कि यदि देश के कुल मलमूत्र का उपयोग किया जाये तो देश की खाद समस्या किस हद तक पूरी की जा सकती है ;

(ख) यह खाद किन किन फसलों के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है ;

(ग) इस समय देश में कितनी खाद बाहर से आती है ; और

(घ) देश में कितनी कम्पोस्ट खाद तैयार की जाती है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां। यह अन्दाज़ा है कि अगर कुल मल मूत्र कूड़ा करकट से मिला कर खाद बनाया जाये, तो करीब १२ लाख टन नाइट्रोजन मिल सकेगी।

(ख) अनाज के और व्यापारिक फसलों के लिये कम्पोस्ट खाद बहुत फायदेमन्द साबित हुई है।

(ग) माननीय सदस्य शायद ओर्गनिक खाद के बारे में पूछ रहे हैं। इसका आयात नहीं होता है।

(घ) यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि शहरी केन्द्रों में चालू साल में २२ लाख टन खाद पैदा की जायेगी। देहातों में खाद की पैदावार के आंकड़े मालूम नहीं हैं।

रेलवे साइडिंग

*१६१०. **श्री बी० वाई रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री १० सितम्बर, १६५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'भद्राचलम् रोड रेलवे स्टेशन' तथा 'कोलरीज़ स्टेशन' के बीच रेलवे लाइन के निर्माण में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस मार्ग के लिये आवश्यक स्लीपर और पटरियां मध्य रेलवे द्वारा एकत्र कर ली गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सूचना

एकत्र की जा रही है और समय पर सभा-पटल पर रखी जायगी ।

लक्ष्मीपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन

*१९११. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे पर लक्ष्मीपुर हाल्ट स्टेशन को फ्लेग स्टेशन में बदलने में काफी विलम्ब होने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कब तक निश्चय किये जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) नवम्बर १९५५ में होने वाली खण्डीय रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में चर्चा किये जाने के बाद इस बात का निश्चय किया जायगा ।

क्षेत्राधिपतियों के वित्तीय अधिकार

*१९१३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन-निर्माण के हेत क्षेत्राधिपतियों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां २४-१०-१९५२ से ।

(ख) आवास-स्थान — १०,०००) रुपये से २०,०००) रुपये तक ।

आवास के अतिरिक्ति अन्य स्थान— २०,०००) रुपये से ५०,०००) रुपये तक ।

चीनी की मिलें

*१९१४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पंजाब सरकार ने उस राज्य में चीनी की अधिक मिलें खोलने के निमित्त सहायता पाने के लिये आवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निश्चय किया गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने निश्चय किया है कि पंजाब में आज्ञप्त दो सहकारी चीनी-फक्ट्रियों में से प्रत्येक की अंशपूंजी के लिये राज्य सरकार को बीस-बीस लाख रुपये का ऋण दिया जाये । इसमें यह शर्त रहेगी कि किसान भी इतना ही धन अंश के रूप में उन्हें दें ।

गाड़ी का पटरी से उतरना

*१९१५. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन पर दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली गाड़ियां कई बार पटरी से उतर जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिवव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला खनिकों का कल्याण

*१९१९. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन-व्यय में वृद्धि के कारण कोयला खान के मालिक विधिवत् कल्याण कार्य लागू नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे खानें कौन सी हैं जहां श्रमिकों को ऐसी सुविधायें नहीं दी जाती हैं ; और

(ग) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : (क) सरकार को इस की कोई जानकारी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

एलोरा और अजन्ता

*१९२२. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन की सुविधा हेतु एलोरा और अजन्ता के बीच सीमेन्ट की सड़क बनाने के लिये हैदराबाद को कुछ आर्थिक सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो सहायता की रक़म कितनी है ; और

(ग) सड़क बनाने में लगभग कितना समय लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). अजन्ता और एलोरा तक अच्छे संचार के हेतु जिन कार्यों के लिये १८ लाख रुपये की सहायता दी गई है उसका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ११**] अजन्ता और एलोरा के बीच सीमेन्ट की सड़क का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) एक वर्ष के भीतर डामर की सड़कें तैयार हो जायंगी। वघूर नाले पर पुल बनाने का काम १९५६-५७ के उत्तरार्द्ध में प्रारम्भ किया जायगा और १९५७ के अन्त तक पूरा किया जायेगा।

तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*१९२३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची (बिहार) स्थित तार विभाग के प्रदेशीय इंजीनियर के कार्यालय और आवास तथा वहां के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का बनना प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वे किस जगह बनाये जा रहे हैं;

(ग) कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ;

(घ) सरकार इस वर्ष कितने क्वार्टर तैयार करना चाहती है ; और

(ङ) वे कब तक दिये जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं।

(ख) स्थान पसन्द किये जा रहे हैं।

(ग) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये प्रारम्भ में अट्ठाईस क्वार्टर-खण्ड बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) एक भी नहीं।

(ङ) लगभग दो-तीन वर्ष में।

रेलवे सुरक्षा पुलिस

*१९२४. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा पुलिस का पुनर्संगठन करने के लिये कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) नई योजना के अधीन क्या इस यूनिट को नई शक्तियां दी गई हैं ; या दी जाने वाली हैं ; और

(ग) इस यूनिट के कैडर का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १२]**

टेल्को

*१९२५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने टेल्को को जो सुविधायें दी हैं वे उस कम्पनी के द्वारा अन्य उद्देश्यों के काम में लाई जा रही हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : इंजिनों और बॉयलरों के अलावा टेल्को, सड़क कूटने के इंजिन और रेल के डिब्बों के ढांचे भी बनाते थे ; और अब वह डीज़ेल ट्रक भी बनाते हैं । फैक्टरी को दी गई कुछ सुविधायें सब चीज़ों के बनाने के प्रयोग में लाई जाती हैं और ऐसी चीज़ें बनाने के कारण फैक्टरी को इंजिन और बॉयलर बनाने म कुछ कम खर्च पड़ता है ।

रेलवे की जमीन

*१९२७. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के अधिकार में कुल कितनी भूमि है ;

(ख) उसमें कृषि-योग्य पड़ती भूमि का क्षेत्रफल क्या है ; और

(ग) क्या उस भूमि को लीज़ पर देने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). शायद माननीय सदस्य का मतलब स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के दोनों तरफ की ज़मीन से है । रेलवे के पास इस समय ऐसी कुल कितने एकड़ ज़मीन है, इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) जी हां, रेलवे की फालतू ज़मीन किसानों को लगान पर उठाने के लिए राज्य-सरकारों को सौंप दी जाती है ।

कलकत्ता में टेलीफोनों का स्वयंचालीकरण

*१९२८. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वयंचालीकरण योजना की विभिन्न स्थितियों के पूरा होने के पश्चात् कलकत्ता के टेलीफोन विभाग के कई टेलीफोन संचालक, इंजीनियरिंग कर्मचारी, तथा कई अन्य कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हो जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ; और

(ग) क्या उन्हें विभाग में खपाने की कोई अन्य योजना है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां ।

(ख)

टेलीफोन संचालक (आपरेटर)	७३४
इंजीनियरिंग कर्मचारी वर्ग	कोई भी नहीं
निर्माण कार्य करने वाले तथा दैनिक मजदूरी वाले अन्य कर्मचारी	२६०

(ग) जी हां । अतिरिक्त आपरेटरों को विभाग में वैकल्पिक कार्य देने की एक योजना है । जहां तक स्वयंचालीरकरण कार्य में लगे हुये निर्माण कार्य करने वाले तथा दैनिक दर

से मज़दूरी पाने वाले अस्थायी कर्मचारियों का प्रश्न है, उन्हें यथासम्भव उपलब्ध रिक्त स्थानों पर लिये जाने का प्रयत्न किया जायेगा।

भारतीय नौवहन

*१९२९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९२३ के सामुद्रिक पत्तनों के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की संविधि और अभिसमय से भारतीय नौवहन के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है ;

(ग) संविधि के कौन से उपबन्धों से बाधा होती है ; और

(घ) किन देशों ने इस अभिसमय को स्वीकार किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १३]**

धूमन संयंत्र

*१९३०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान सरकार को एक धूमन संयंत्र उपहारस्वरूप दिया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अभी नहीं। किन्तु इस वर्ष के अन्त तक अफ़गानिस्तान की सरकार को एक धूमन संयंत्र उपहार में देने का विचार है।

गोदाम

*१९३१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूट पैदा करने वाले राज्यों ने संघ सरकार से महत्वपूर्ण बिक्री केन्द्रों पर उपयुक्त गोदामों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि दी गई है; और

(ग) अब तक ऐसे कितने गोदाम निर्मित किये गये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जूट पैदा करने वाले राज्यों ने केवल जूट के गोदामों के लिये सहायता की प्रार्थना नहीं की है क्योंकि सामान्य गोदाम योजना के अधीन अन्य पदार्थों के अन्तर्गत जूट का भी प्रबन्ध हो जायेगा।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोयला खान बोनस योजना

*१९३२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार १९४८ की कोयला खान बोनस योजना को आसाम के कोयले खानों के श्रमिकों तक भी बढ़ाने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) इस योजना के लागू होने पर कितना व्यय किया जायेगा ; और

(घ) अब तक उनका इस योजना से अलग रहने का क्या कारण था ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : (क) और (ख). १ अक्टूबर, १९५५ से आसाम कोयला खान बोनस योजना १९५५, आसाम के कोयला खानों में लागू होगी। योजना की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाती है।

(ग) बोनस योजना के लागू होने से खान के मालिकों को जो व्यय करना पड़ेगा उसका अनुमान करना बहुत शीघ्रता होगी।

(घ) १९४८ की कोयला खान बोनस योजना के अधीन उल्लिखित बोनस की तिमाही पद्धति आसाम के कोयला खान के श्रमिकों के लिये हितकर नहीं समझी गई। इस कारण दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारियों के लिये बोनस की साप्ताहिक प्रणाली तथा मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिये बोनस की तिमाही प्रणाली जारी की गई।

आंधी की सूचना देने वाला रेडार (तेजोन्वेष)

*१९३३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के हवाई पत्तन में निरीक्षण करने के यंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिये आंधी की सूचना देने वाला रेडार खरीद लिया गया ;

(ख) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वह कब तक खरीदा जाने वाला है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इसके लिये आवश्यक आर्डर दिये गये हैं और आशा है यह एक वर्ष के अन्दर आ जायेगा।

यात्रियों को सुविधायें

*१९३४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जब गाड़ियां स्टेशनों पर ठहरती हैं तब यात्री सामान्यतया शौचादि करते हैं, और इस तरह इस स्थान को गन्दा तथा वायु-मंडल को दूषित बना देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, लेकिन कुछ थोड़े से यात्री ऐसा करते हैं।

(ख) डिब्बों में नोटिस लगाकर यात्रियों से प्रार्थना की जाती है कि जब गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो तो संडास का इस्तेमाल न करें।

रेलवे के कर्मचारी

*१९३५. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में सकरीगलीघाट पर कितने कर्मचारी कार्य करते हैं ;

(ख) वहां इस समय कुल कितने कर्मचारी-आवास हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों को वहां मालगाड़ी के डिब्बों में रहना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १४५३।

(ख) ३४५

(ग) जी हां।

(घ) ८७

उपनगरीय मंत्रणा समिति

९९२. श्री गिडवानी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के सभापति ने बम्बई के प्रेस सम्मेलन में १९ मार्च, १९५५ को यह घोषित किया है कि शीघ्र ही एक उपनगरीय मंत्रणा समिति बनाई जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो वह कब तक बनाई जायेगी ;

(ग) उसके क्या कार्य होंगे ; और

(घ) समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। कलकत्ता, बम्बई, तथा मद्रास में उपनगरीय यात्री सुविधा समितियां बनाने का विचार किया जा रहा है।

(ख) से (घ). इन मामलों पर अन्तिम निश्चय किया जा रहा है।

घाटल में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

९९३. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटल के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वह कब से कार्य करना प्रारम्भ करेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). भारी लागत तथा हानि को ध्यान में रख कर इस समय यह योजना स्थगित कर दी गई है। अगले वर्ष के प्रारम्भ में इस पर पुनः विचार किया जायेगा।

परिवार आयोजन

९९४. श्री वी० बी० गांधी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार परिवार आयोजन की योजना को बढ़ाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कितनी धनराशि की व्यवस्था की जायेगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न विचाराधीन है।

मछली पकड़ने की नावों को चलाने का प्रशिक्षण

९९५. श्री एन० बी० चौधरी : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजिनों से चलने वाली मछली पकड़ने की नावों को चलाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षार्थियों को कौन-सी सुविधायें दिये जाने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी विशेषज्ञों के नाम तथा राष्ट्रीयता क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) मछली पकड़ने तथा नावों को चलाने की कला नौ शिल्प के सिद्धांत, मल्लाहगीरी तथा नौवहन की कला, समुद्र पर चलने वाले डीजिल इंजिनों का संधारण तथा संचालन तथा यांत्रिक नावों से मछली पकड़ने की क्रिया को सीखने की सुविधायें दी जाती हैं। प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति, भोजन भत्ता तथा निवास स्थान भी दिया जाता है।

(ख) श्री पी० ए० लूसाइन जो कि बेल्जियम देश के निवासी हैं।

हुबन क्लोवर

९९६. **श्री देवगम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुबन क्लोवर के बीजों को भारत में बढ़ाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन बीजों को विभिन्न राज्यों को हरी खाद के रूप में उपयोग करने के लिये वितरित करने का विचार कर रही है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हुबन क्लोवर के बीजों की कोई गवेषणा या वृद्धि नहीं की है । किन्तु यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश में १९५४ में बाहरी पौधे पर (बीज अमेरिका से प्राप्त किये गये थे) इसे धान की पिछली फसल के साथ पैदा करने की उपयुक्तता पर प्रयोग किये गये हैं । यह ज्ञात हुआ है कि पिछले वर्ष ५ मन बीज प्राप्त किये गये । भारत सरकार को इस मामले में किसी अग्रेतर विकास की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिना टिकट यात्रा

९९७. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बिहार के सिंहभूम ज़िले में नव वर्ष के दिन यात्री गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारी उक्त दिन रेलवे प्राधिकारियों के लिये बिना टिकट यात्रा को रोकना उनके सामर्थ्य के बाहर हो जाता है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उक्त दिन सिंहभूम ज़िले में दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजखरसावन गुवा शाखा पर बहुत से स्थानीय व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हैं ।

(ख) स्थानीय व्यक्ति बड़ी संख्या में अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से मिलने के लिये उक्त दिन को त्यौहार का दिन मान कर यात्रा करते हैं ।

(ग) भारी यातायात की व्यवस्था के लिये तथा बिना टिकट यात्रा पर नियंत्रण करने के लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं । पुलिस की सहायता भी प्राप्त की जाती है । किन्तु यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए पूरी तरह रोक लगाना सम्भव नहीं हो सका है ।

(घ) नियंत्रण को अधिकाधिक प्रभावशाली करने के लिये पुलिस की अधिक सहायता लेकर कार्य करने का विचार किया जा रहा है ।

लौह अयस्क पर भाड़ा

९९८. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ मामलों में लौह अयस्क पर रेलवे भाड़ा घटाने कां विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बिना टिकट यात्रा

९९९. **श्री देवगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में ऐसे कितने मामले पकड़े गये जिनमें टिकट चैकर और अन्य रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों के स्वयं पैसे हड़प कर बिना टिकट यात्रा करने में सहायता दी ;

(ख) ऐसे मामलों में कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गये ;

(ग) कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ; और

(घ) उन्हें किस प्रकार की सजायें दी गईं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) २५।

(ख) ३।

(ग) १६।

(घ)

किस तरह का दंड दिया गया	दंडित कर्मचारियों की संख्या
नौकरी से हटाये गये	३
वेतन में सालाना तरक्की रोकी गयी	९
पद गिराया गया	१
लानत-मलामत की गयी	२
चेतावनी दी गयी	१
जोड़	१६

नये रेलवे स्टेशन

१०००. **श्री देवगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि सिंहभूम जिले के राजखरसावन और गुआ के बीच दो नये स्टेशन अर्थात् सिंहपुखरिया और तालाबुरू बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये स्टेशन कब बनाये गये थे ;

(ग) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि इन दो स्टेशनों पर बुकिंग आफिसों के न होने के कारण यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं ; और

(घ) क्या सरकार को यह बात भी मालूम है कि टिकट चैकर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से पैसे ले लेते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) चौबासा और झिकपानी के बीच सिंहपुखरिया एक ट्रांसपोर्टेशन क्रासिंग स्टेशन है और झिकपानी और केंडपोसी के बीच तालाबुरू इसी तरह का दूसरा स्टेशन है। ये दोनों स्टेशन राजखरसावन-गुआ शाखा पर हैं। ये स्टेशन अभी यातायात के लिए खोले नहीं गये हैं।

(ख) ये १५-७-१९४९ को बनाये गये थे।

(ग) और (घ). कुछ लोग इन स्टेशनों पर गाड़ियों में चढ़ जाते हैं ; लेकिन टिकट-परीक्षक मुनासिब किराया लेकर उनके लिए अतिरिक्त-किराया-टिकट बना देते हैं। टिकट-घर खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

रेल के किराये

१००१. **श्री देवगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें बुकिंग क्लर्कों ने यात्रियों से रेलवे टिकटों पर छपे हुए किराये से अधिक धन लिया हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) कभी-कभी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं।

(ख) जिन कर्मचारियों के खिलाफ़ शिकायत साबित हो जाती है उन पर अनुशासन की कार्यवाही की जाती है।

इसकी रोकथाम के लिए निगरानी रखने वाले कर्मचारियों से खासतौर पर कहा गया है कि वे समय-समय पर जांच करते रहें और बिना सूचना दिये भी खिड़कियों पर जाकर देखें कि यात्रियों से अधिक किराया नहीं लिया जा रहा है। साथ ही, टिकट बांटने के लिए कुछ और खिड़कियां खोली गयी हैं और टिकट बाबू रखे गये हैं। कुछ शहरों में नगर टिकट-घर भी खोले गये हैं जिससे टिकट लेते समय खिड़कियों पर भीड़ न हो और यात्रियों से अधिक किराया लेने का मौका न मिले।

नर्मदा पर पुल

१००२. श्री कामत : क्या परिवहन मंत्री १७ अगस्त, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर, जहां पर कि इस समय नाव के द्वारा यातायात होता है, मार्ग वाला एक और पुल बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो पुल के निर्माण का ठीक स्थान कहां पर है ;

(ग) निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा; और

(घ) कब तक इसके समाप्त होने की सम्भावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) पुल का स्थान राज्य सरकार के परामर्श से इस समय विचाराधीन है।

(ग) और (घ). इस स्थिति में यह निश्चयपूर्वक नहीं बताया जा सकता।

डाक सम्बन्धी प्रतिबन्ध (पुर्तगाली भारत)

**१००३. { श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री जेठालाल जोशी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाली भारत में वहां की वर्तमान स्थिति के कारण किस प्रकार के डाक सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) वहां पर मनी-आर्डरों को भेजने के लिये आजकल क्या प्रबन्ध है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत-सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

(ख) पुर्तगाली भारत के साथ मनी-आर्डर व्यवस्था आजकल प्रचलित नहीं है।

नाविकों के लिये चिकित्सा सुविधायें

१००४. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न पत्तनों में नाविकों के लिये कौन कौन सी चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) क्या सरकारी डाक्टरों द्वारा नाविकों की नियमित रूप से डाक्टरी परीक्षा की जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) हां।

यात्री सुविधायें

१००५. श्री झूलन सिंह : क्या रेलवे मंत्री २५ नवम्बर, १९५३ को दिये ग

अतारांकित प्रश्न संख्या १७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिघवा दुबोवली में एक अतिरिक्त यात्री प्रतीक्षालय बनाने की प्रस्थापना की अब जांच की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) दिघवा दुबोवली के प्रतीक्षालय के विस्तार का काम किया जा रहा है ।

वनस्पति

१००६. श्री इब्राहीम : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से अप्रैल, १९५५ तक तैयार की गई वनस्पति की कुल मात्रा कितनी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : ७७,५४८ टन ।

डाक तथा तार कर्मचारी

१००७. श्री इब्राहीम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के डाक तथा तार विभाग के स्थायी तथा अस्थायी लिपिकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) स्थायी तथा अस्थायी सेवाओं में काम करने वाले अनुसूचित जाति कर्मचारियों की क्रमशः कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या उतनी ही है जितने कि सेवाओं में उनके लिये रक्षित स्थान हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क)

	स्थायी	अस्थायी
	१८२२	७६७
(ख)	५३	५२

(ग) नहीं, अभी नहीं ।

(घ) सुरक्षण चूंकि अभी हाल ही में दिया इस लिये इसको प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा ।

स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्था

१००८. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्था के पास स्वयं अपना एक सांख्यकीय विभाग है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा किस प्रकार के आंकड़े रख अथवा एकत्रित किये जाते हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) हां ।

(ख) विभाग द्वारा वह आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं जो कि अध्यापन तथा गवेषणा प्रयोजनों के लिये आवश्यक हैं । यह विभाग प्रसूति तथा शिश कल्याण के डी० पी० एच० डिप्लोमा, लोक स्वास्थ्य परिचर्या प्रमाणपत्र, औद्योगिक स्वास्थ्य डिप्लोमा, मास्टर ऑफ़ इंजीनियरिंग (लोक स्वास्थ्य) तथा इस संस्था द्वारा संचालित अन्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को जीवन समंकों तथा सांख्यिकीय प्रणालियों का भी प्रशिक्षण देता है ।

इस विभाग के गवेषणा कार्यकलाप विभिन्न प्रकार के हैं । यह चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य का काम करने वालों को उनकी गवेषणा के सांख्यिकीय नमूने तय्यार करने, और आंकड़ों का सांख्यिकीय निर्वचन करने में सहायता देता है । यह नये सांख्यिकीय यंत्रों का,

जिनका कि प्रयोग चिकित्सा तथा जैविक क्षेत्रों में किया जा सकता है निर्माण करने के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से गवेषण भी करता है तथा अस्पतालों तथा अन्य स्रोतों की संख्या का विश्लेषण भी करता है।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

१००९. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा कृष्यकृत भूमि का राज्यवार क्षेत्रफल कितना है ; और

(ख) उसी काल में इस संगठन से कितनी आंय प्राप्त की गई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५४-५५ की कार्यकारी फसल में कृष्यकृत भूमि के क्षेत्रफल ये है :

उत्तर प्रदेश	४९,०७५
मध्य प्रदेश	५८,७१२
मध्य भारत	५१,६८४
भोपाल	२६,८०२
आसाम	९७५
	१,८७,२४९ एकड़

यह आंकड़े अस्थायी हैं और पुनर्परिमापों के आधार पर इनमें पुनः सर्वेक्षण के आधार पर जो कि किया जा रहा है संशोधन किये जा सकत हैं।

(ख) १९५४–५५ में किये गये काम से १,०९,४५,००० रुपये की आय वाजिब है। वसूली अभी की जानी है।

रेलों में अपराध

१०१०. **पंडित डी० एन० तिवारी :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई,१९५५ में पूर्वोत्तर रैलवे के लोहना रोड स्टेशन पर एक गार्ड को निर्माली जाने वाली गाड़ी के साथ नहीं जाने दिया गया था और गाडी बिना गार्ड के ही गई थी ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) इस मामले में अपराधियों के विद्धरु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन : (क) यह सच है कि १५–५–५५ की ३३९ अप गाडी लोहाना रोड स्टेशन से अगले स्टेशन झनझरपुर तक बिना गार्ड के गई थी ; परन्तु उसे गाड़ी के साथ जाने से बलात् नहीं रोका गया था। भीड़ इतनी अधिक थी कि गार्ड के ब्रेकवान के सामान वाले डिब्बे में यात्री घुस गये थे। उनको निकालने के लिये जब गार्ड स्टेशन मास्टर की सहायता लेने के लिये गया हुआ था तो ड्राइवर ने गाडी चला दी थी जिसके परिणामस्वरूप गार्ड पीछे रह गया था।

(ख) हां।

(ग) चूंकि इस का उत्तरदायित्व किसी यात्री विशेष पर रखा नहीं जा सकता था इस लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

१०११. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५५ से भारत की टेलीफोन फक्टरियों ने कितने टैलीफोन सेटों का निर्माण किया है ;

(ख) १ जनवरी १९५५ से सरकार को टेलीफ़ोन लगाये जाने के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये और उसके कारण क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इण्डियन टेलीफ़ोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड ने १-१-५५ से ३०-६-५५ तक २३,४२५ टेलीफ़ोन यंत्रों का निर्माण किया ।

(ख) इस अवधि में प्राप्त आवेदन-पत्रों की सख्या १७,१७३ है ।

(ग) वह आवेदन-पत्र जिनका तुरन्त परिपालन नहीं किया जा सकता है अस्वीकृत नहीं किये जाते ह वरन् उनको प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है । इस अवधि में कुल कितने व्यक्तियों को टेलीफ़ोन के कनेक्शन दिये गये उनकी संख्या १०,१८८ थी । एक्सचजों की अतिरिक्त क्षमता तथा केबुल द्वै (पेअरों) इत्यादि के अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के लिये टेलीफ़ोनों की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

बिना टिकट यात्रा

१०१२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में कितने बिना टिकट यात्री पकड़े गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ७,५८६,८०८ ।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि

१०१३. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान श्रम कल्याण निधि संगठन द्वारा प्रबन्धित केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद में कितनी नर्सें सेवायुक्त हैं ;

(ख) उनके काम के घंटे क्या हैं और उनको कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ; और

(ग) क्या उन सब के रहने के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ग) हां ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की वस्त्र समिति

१०१४. श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५५ के अन्तिम सप्ताह में जेनेवा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ वस्त्र समिति के पांचवें अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मिल मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के नाम तथा उनके अन्य विवरण क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : शिष्टमण्डल की नामावलि विचाराधीन है ।

हिन्दी में तार

१०१५. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जनरल पोस्ट आफिस में हिन्दी में तारों के लिये जो कर्मचारी सेवायुक्त हैं, उनकी संख्या उस काम के लिये अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

१०१६. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कुल कितने कारखाने और कारखानों के कर्मचारी आ चुके हैं ; और

(ख) अब तक किन किन विशिष्ट उद्योगों पर यह योजना लागू की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) लगभग ४००० कारखाने और ९,२३,००० कर्मचारी अब तक इस योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं ।

(ख) यह योजना कुछ चुने हुए उद्योगों तक ही सीमित नहीं है वरन् कुछ चुने हुए क्षेत्रों के उन सभी कारखानों पर लागू होती है जो कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की परिभाषा में आते हैं ।

ब्रांच पोस्ट मास्टर

१०१७. श्री धूसिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गोरखपुर डिवीज़न में ब्रांच पोस्ट मास्टरों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) :

(क) विभागीय	१
अतिरिक्ति विभागीय	४४७
(ख) विभागीय	कोई नहीं
अतिरिक्त विभागीय	१

रेलगाड़ियों का चलना

१०१८. श्री बी० डी० शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भटिंडा-अम्बाला लाइन पर कौलसाहारी स्टेशन पर आने जाने वाली सभी ट्रेनों को यात्री रोक लेते हैं, ताकि वे चतुर्भुजी शिशु को देख सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १२-८-५५ और १७-८-५५ के बीच यात्रियों ने कुछ गाड़ियों को रोक लिया था ।

(ख) अपराधियों का पता लगाने की कोशिश की गयी, लेकिन चूंकि किसी यात्री ने यह नहीं बतलाया कि किन लोगों ने गाड़ी रोकी थी, इसलिये कोई कार्यवाही न की जा सकी ।

तम्बाकू कारखाना

१०१९. डा० सत्यवादी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में कितने कारखाने तम्बाकू कारखाने के रूप में काम कर रहे थे तथा उनमें कितने मज़दूर काम करते थे ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : १९५४ की आखिरी छमाही में देश में तम्बाकू के १,६८६ रजिस्टर्ड कारखाने थे जिनमें प्रतिदिन औसतन १,०१,०४६ कामगर काम करते थे ।

केन्द्रीय सहकारी संगठन

१०२०. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ सहायता कार्य के प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा बिहार के कौन कौन से केन्द्रीय सहकारी गठनों से खाद्यान्नों के जमा करने और बांटने का काम नहीं लिया गया है ; और

(ख) इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). संग्रह अभिकर्ताओं की नियुक्ति के आमंत्रण के विस्तृत प्रचार किये जाने पर भी चूंकि किसी ने अपनी सेवायें प्रस्तुत नहीं कीं इसलिये बिहार सरकार द्वारा कोई भी केन्द्रीय सहकारी समिति बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में संग्रह अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं की गई। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बहुत से फुटकर वितरण अभिकर्ता नियुक्त किये गये थे। यद्यपि बिहार सरकार द्वारा सहकारी समितियों तथा ग्राम पंचायतों को अधिमान दिया गया था, इस सम्बन्ध में जानकारी तुरन्त प्राप्य नहीं है कि कितनी सहकारी समितियों को फुटकर वितरण अभिकर्ता नियुक्त किया गया था।

छपरा रेलवे स्टेशन

१०२१. श्री एम० एन० सिंह : क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा, समस्तीपुर और सोनपुर स्टेशनों पर २४ घंटे में कितनी पैसिंजर गाड़ियां आती जाती हैं ; और

(ख) १९५३, १९५४ में और अगस्त १९५५ तक उपरोक्त प्रत्येक स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की औसतन संख्या क्या थी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

स्टेशन का नाम	आने वाली सवारी गाड़ियां	जाने वाली सवारी गाड़ियां
छपरा	२४	२४
समस्तीपुर	२५	२५
सोनपुर	२६	२६

(ख) रोज जाने वाले यात्रियों की संख्या

	१९५३	१९५४	१९५५ (अगस्त तक)
छपरा	२३१३	२१९६	२४३०
समस्तीपुर .	२६००	२७७०	२८९०
सोनपुर .	११९९	८०३	१४१७

रोज आने वाले यात्रियों की संख्या

	१९५३	१९५४	१९५५ (अगस्त तक)

आने वालों की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी यहां से जाने वाले यात्रियों की।

जन पथ-प्रदर्शक (सोशल गाईड)

१०२२. श्री एम० एन० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा, समस्तीपुर और सोनपुर के रेलवे स्टेशनों पर कितने जन पथ-प्रदर्शक नियुक्त किये गये हैं;

(ख) उन्हें प्रतिदिन कुल कितने घंटे काम करना पड़ता है ; और

(ग) रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता करने के लिये जन पथ-प्रदर्शकों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) छपरा—कोई नहीं

समस्तीपुर—३

सोनपुर—३

(ख) हर एक को ८ घंटे।

(ग) सोशल गाईड (जो अब पैसेंजर गाईड कहलाते हैं) उन स्टेशनों पर रखे जाते हैं जहां बहुत से लोग गाड़ियां बदलते हैं या जहां अधिकतर तीर्थ यात्री और देहात के लोग भारी संख्या में आते-जाते हैं। ऐसे लोगों को

आमतौर पर रेलवे स्टेशनों और रेलवे द्वारा दी गयी सुविधाओं की जानकारी न होने से विशेष सहायता की जरूरत होती है।

छपरा रेलवे स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय

१०२३. श्री एम० एन० सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर और सोनपुर स्टेशनों के पूछताछ कार्यालयों के कर्मचारियों की अपेक्षा छपरा स्टेशन के पूछताछ कार्यालय में कर्मचारी कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कर्मचारियों के काम के घंटे क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) रोज़ दो पारियां लगती हैं, एक ६ बजे सुबह से २ बजे दिन तक और दूसरी २ बजे दिन से १० बजे रात तक।

खनन उद्योग में अनुपस्थिति

१०२४. श्री एन० बी० चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से अगस्त, १९५५ तक की अवधि में कोयला खानों के क्षेत्र में अनपस्थिति कितनी थी ; और

(ख) यह आंकड़े अन्य खनन उद्योगों जैसे कि सोना और अभ्रक की अनुपस्थिति के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) जून, १९५५ तक जानकारी उपलब्ध है और वह यह है :

अप्रैल, १९५५	.	१४.२४ प्रतिशत
मई, १९५५	.	१४.०१ प्रतिशत
जून, १९५५	.	१४.१३ प्रतिशत

कोयला खानों की अनुपस्थिति के आंकड़े, नियमित रूप से मासिक कोल बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं।

(ख) कोयला खानों में अनुपस्थिति की दर सोने की खानों की अपेक्षा कुछ अधिक है जैसा कि जनवरी से लेकर मार्च, १९५५ तक के विवरण से जिनके कि आंकड़े प्राप्य हैं, ज्ञात होता है। अभ्रक की खानों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

अनुपस्थितता :—

	कोयला खानों में प्रतिशत	सोने की खानों में प्रतिशत
जनवरी, १९५५	१४·२६	१३·६
फरवरी, १९५५	१२·८५	१२·४
मार्च, १९५५	१४·७८	१३·०

यह आंकड़े इण्डियन लेबर गज़ट में भी प्रकाशित किये गये हैं।

खेल

१०२५. श्री के० के० दास : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में अब तक इन खेल संगठनों को सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी :—

(१) नेशनल स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडिया।

(२) अखिल भारतीय लॉन टैनिस संस्था।

(३) भारतीय टेबल टैनिस संस्था।

(ख) यह अनुदान किन प्रयोजनों से दिये गये हैं ; और

(ग) यदि इन के साथ कोई शर्तें हैं, तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में इन खेल संगठनों को यह वित्तीय सहायता दी गई है :—

संगठन का नाम	१९५४–५५ तथा १९५५–५६ से अब तक दी गई वित्तीय सहायता १९५४-५५ रुपये	१९५५-५६ रुपये
(१) राजकुमारी स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम .	२ लाख	२ लाख
(२) अखिल भारतीय लॉन टैनिस संस्था	कुछ नहीं	१७,२१०
(३) भारत की टेबिल टैनिस संस्था .	४,३१०	कुछ नहीं

(ख) (१) खेलों का प्रशिक्षण देने के लिये।

(२) १०,००० रुपये एशियन लॉन टैनिस शैम्पियनशिप के लिये और ७,२१० रुपये डेविस कप मैचों के लिये।

(३) एशियन टेबिल टैनिस शैम्पियनशिप में प्रतियोगिता करने के लिये।

(ग) इन अनुदानों के साथ यह शर्तें हैं :—

(१) दी गई रक़मों के बारे में ब्यौरेवार लेखे दिये जायें;

(२) जब रकम व्यय हो जाये तो उपयोगिता प्रमाणपत्र दिये जायें ; और

(३) रकम का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाये जिस के लिये कि वह दी गई है।

चाय बागानों में हड़तालें

१०२६. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**
श्री के० के० बसु :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री बी० सी० दास :
श्री जी० एल० चौधरी :
श्री एम० इस्लामुद्दीन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीपुर द्वार और तराई क्षेत्र के चाय बागानों के श्रमिकों ने हड़ताल कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे श्रमिकों की संख्या क्या है और उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) कितने बागानों पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त, १९५५ के अन्त में द्वार तथा तराई के बाग़ानों के श्रमिकों ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में, जैसे कि वेतनों का पुनरीक्षण, बोनस, भविष्य निधि योजना का चाय उद्योग पर लागू किया जाना, ईंधन का संभरण, स्थायी आदेशों का पुनरीक्षण, काम करने के घंटे, छुट्टियों आदि के बारे में, हड़ताल की थी। द्वार में ३०–८–५५ को लगभग ८०,००० श्रमिक हड़ताल पर थे और ८९ बाग़ानों में से ५६ में पूर्ण रूप से हड़ताल थी और ३३ में आंशिक हड़ताल थी। तराई में ३१–८–५५ को १७ बाग़ानों में पूर्ण हड़ताल थी और पांच में आंशिक हड़ताल थी। तराई क्षेत्र में ८–९–५५ को हड़ताल खुल गई थी और द्वार में भी कई स्थानों पर हड़ताल खोल दी गई थी और उस तारीख को कालचीनो क्षेत्र के ग्यारह बाग़ानों में और अलीपुर के एक बाग़ान में कोई ७,००० श्रमिक हड़ताल पर थे।

रेलवे कर्मचारी

१०२७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुज़फ्फ़रपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में महत्वपूर्ण कर्मचारी जैसे गार्ड और सहायक स्टेशन मास्टर को रहने के लिये क्वार्टर नहीं मिले हैं जब कि साधारण कर्मचारी जैसे क्लर्कों आदि को क्वार्टर मिले हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गार्डों और सहायक स्टेशन मास्टरों को वहां अब तक क्या सुविधायें दी गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी नहीं। मुज़फ्फ़रपुर के सभी सहायक स्टेशन मास्टरों को मकान दे दिये गये हैं लेकिन अभी तक सब गार्डों को मकान नहीं मिल सके हैं। रीजनल आफ़िस के कुछ क्लर्कों को भी मकान दिये गये हैं, जो खास तौर पर उन्हीं के लिये बनाये गये थे। १९ में से चार गार्डों को और ६ सहायक स्टेशन मास्टरों में सभी को मुज़फ्फ़रपुर में मकान दे दिये गये हैं। तीन सहायक स्टेशन मास्टर अभी तक इन मकानों में नहीं जा सके हैं, क्योंकि उन में रहने वालों ने अभी तक मकान खाली नहीं किये हैं।

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सोमवार,
१९ सितम्बर, १९५५

खंड ७, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

Preservation 3-4-92
Fumigated On 11-11-83
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ३४३१
सभा का कार्य . . . . . ३४३१–३२, ३४३३—३५
१९५५– ५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—उपस्थापित . ३४३२
समिति के लिये निर्वाचन—
केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२
पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—
पुरःस्थापित ३४३२–३३
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में—
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ३४३५—५८
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव— स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६
खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३४८३—३५३२
अंक ३८—मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४
बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४–३५
उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८
कार्य मंत्रणा समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३५३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९
हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमां के बारे में प्रस्ताव—
असमाप्त . . . ३५४०—३६७९
राज्य-सभा से संदेश ३६७९–८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ — स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया . .	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी . . .	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . .	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव— सशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (सशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . .	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित .	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी प्रोज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ .	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक-सभा

सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्यान्ह

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मझे सभा को यह सूचना देनी है कि निम्नलिखित विधेयकों पर, जिन को चालू सत्र में दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया था, राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है :

(१) औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(२) औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा से नदी बोर्ड विधेयक, १९५५ के बारें में राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश मिला है:--

'मुझे लोक-सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य-सभा ने १५ सितम्बर, १९५५ को हुई अपनी बैठक में संग्लन प्रस्ताव पारित किया है जो नदी बोर्ड विधेयक, १९५५ को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में है और मुझे यह प्रार्थना करनी है कि उक्त प्रस्ताव में लोक-सभा की सहमति और उक्त प्रवर समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक-सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित किये जायें ।"

प्रस्ताव

"कि अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन

और विकास के लिये नदी बोर्डों की स्थापना की व्यवस्था करने वाले विधेयक को सभाओं के ४५ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें १५ सदस्य इस सभा के हों, अर्थात् :--

१. श्री जी० रंगा
२. श्री एम० गोविन्द रेड्डी
३. श्री एस० वेंकटारमन्
४ श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
५. श्री एच० पी० सक्सेना
६. श्री कृष्णकान्त व्यास
७. सैयद मजहर इमाम
८. श्री एम० एच० एस० निहालसिंह
९. श्री जगन्नाथ दास
१०. श्री विजय सिंह
११. श्री एन० डी० एम० प्रसाद राव
१२. श्री सुरेन्द्र महन्ती
१३. श्री एस० एन० द्विवेदी
१४. श्री एन० आर० मलकानी
१५. श्री जय सुख लाल हाथी

और ३० सदस्य लोक-सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि अन्य प्रकरणों में प्रवर समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो सभापति बनायें;

कि यह सभा लोक-सभा से सिफारिश करती है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये,

[सचिव]

कि समिति इस सभा को २१ नवम्बर, १९५५ तक प्रतिवेदन देगी ।"

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक

सयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया

विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं राज्य-सभा में निलम्बित, हिन्दुओं में वसीयत रहित उत्तराधिकार से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित जिलों में भुखमरी

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर-उत्तर) : नियम २१६ के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न की ओर खाद्य और कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :

"पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त जिलों में भुखमरी ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में भुखमरी नहीं फैली है । यह भी सही नहीं कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रोंमें निरपेक्ष सहायता देना बन्द कर दिया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने मई अर्थात् बाढ़ों से तीन मास पूर्व बाढ़ के खतरे का सामना करने के लिये उपाय करना आरम्भ कर दिया था । १०,००० रुपये के हिसाब से १६ बाढ़ पीड़ित जिलों के लिये १,६०,००० रुपये की राशि बस्ती, देवरिया और गोरखपुर को पहले से ही प्रबन्ध करने और आवश्यकता होने पर सहायता देने के लिये दी गई थी । बाढ़ केन्द्र स्थापित किये गये थे जिन में सारभूत पदार्थ जैसे चने, गुड़, नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल, औषधियां तथा पशुओं के लिये चारा रहता था ।

मुख्य मंत्री द्वारा १,९५,००० रुपये की राशि कुछ जिलों को जिनमें बस्ती, देवरिया और गोरखपुर भी सम्मिलित थे, बाढ़ पीड़ितों को शरण देने के लिये इमारत बनवाने के हेतु दी गई थी ।

इस वर्ष की बाढ़ें, १९ से २२ जुलाई, १९५५ तक लगातार चार दिनों अत्यधिक वर्षा होने के कारण आईं । इस का परिणाम यह हुआ कि ऐसे क्षेत्रों में तमाम पानी भर गया जिन में छोटी छोटी नदियां तथा स्थानीय नदियां बहती थीं जो इतने अधिक पानी को उचित समय में नहीं बहा सकती थीं । राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मई से ही उपाय किये जाने के बावजूद भी इस को दूर नहीं किया जा सका । नवीनतम सूचना से पता लगता है कि सभी जगह स्थिति में सुधार हो रहा है ।

बाढ़पीड़ित क्षेत्रों की सहायता के लिये राज्य सरकार ने अब तक उन जिलों को निम्नलिखित राशियां दी हैं :

(रुपये)

निरपेक्ष सहायता	२२,००,०००
मकानों के पुनर्निर्माण के लिये आर्थिक सहायता	१०,५०,०००
भूसे के लिये आर्थिक सहायता	१,८५,०००
अधिनियम १२ के अधीन तकावी मकानों का पुनर्निर्माण सहित (व्याज मुक्त)	१,०९,०३,८६०
अकृषकों को मकानों के पुनर्निर्माण के लिये ऋण (ब्याज मुक्त)	१०,५०,०००
मुख्य मंत्री की संकट निवारण निधि में से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मकानों के पुनर्निमाण के लिये आवंटन	१,९५,०००
प्रधान मंत्री सहायता निधि में से आवंटन	७१,५००
	१,५५,४७ ८६०

इस के साथ ही ६ लाख रुपये परीक्षण निर्माण कार्यों के लिये मंजूर किये गये हैं।

इन जिलों में खाद्यान्न, नमक, चीनी आदि का स्टाक तत्काल पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया था। बच्चों और कमजोर लोगों को दूध का पाउडर भी बांटा जा रहा है। केन्द्रीय सरकार की ओर से खरीदा गया गेहूं और ज्वार का स्टाक भारत सरकार के परमर्श से रियायती दर पर दिया गया था। गेहूं एक रुपये के ३$^{1}/_{4}$ सेर और ज्वार १ रुपये की ५$^{1}/_{2}$ सेर के भाव से दी गई थी। ढोने तथा लाने ले जाने आदि का सारा आनुषंगिक व्यय सरकार ने ही किया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अब तक लगभग ८५,००० मन गेहूं और ज्वार भेजी गई है। बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने के साथ ही व्यापार मार्गों के द्वारा खाद्यान्नों का आवागमन बहुत काफी हुआ है और सरकारी दुकानों से खाद्यान्नों की मांग में कुछ कमी हो गई है।

प्रत्येक स्थान पर लोग फसलों को बचाने में उत्साह से कार्य कर रहे हैं अथवा नई फसलें बोने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार द्वारा उन लोगों को काम देने की व्यवस्था की जा रही है जिन के पास जीविका कमाने का कोई साधन नहीं है जिस से वे अपनी जीविका कमा सकें। निर्माण कार्य शीघ्रता से किये जा रहे हैं। उन में से कुछ जैसे सड़कें, पुल, नहरें, सार्वजनिक इमारतों आदि का कार्य, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है, समय से पहले ही आरम्भ किया जा रहा है। काम देने के अन्य सम्भव साधनों की भी खोज की जा रही है।

कुछ समय पूर्व देवरिया जिले में कुछ भुखमरी से होने वाली मृत्युओं की सूचना राज्य सरकार को दी गई थी किन्तु स्थानीय प्राधिकारियों से की गई जांच से पता चला कि ये आरोप निराधार हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों संबंधी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों पर अग्रेतर चर्चा प्रारम्भ करेगी।

दोनों प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिये नियत १० घंटों में से अब केवल १ घंटा ४५ मिनट शेष रह गये हैं। यह चर्चा आज १-४५ म० प० पर समाप्त हो जायेगी। इस के पश्चात् प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के श्वेत पत्र पर चर्चा होगी जिस के लिये छः घंटे नियत किये गये हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर माननीय रक्षा मंत्री लगभग १५ मिनट बोलेंगे। अन्त में उत्तर देने के लिये गृह-कार्य उपमंत्री लगभग ४५ मिनट लेंगे। इस प्रकार सामान्य चर्चा के लिये बीच में ४५ मिनट रह जाते हैं।

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : ये दो प्रतिवेदन जिन पर सभा चर्चा कर रही है उन दो वर्षों के सम्बन्ध में हैं जिन में गृह-कार्य मंत्रालय से मेरा भी कुछ सम्बन्ध था और प्रतिवेदनों में जिन विषयों का विस्तार में उल्लेख है, वे मुझे अत्यधिक प्रिय रहे हैं। प्रतिवेदनों में उठाये गये मुख्य प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उन पर माननीय गृह-कार्य मंत्री द्वारा पर्याप्त कहा जा चुका है और मेरे साथ ही गृह-कार्य उप मंत्री द्वारा भी और कुछ कहा जायेगा। मैं जो अनेक बार इस सभा में

[डा० काटजू]

कह चुका हूं उसी की पुनरुक्ति करना चाहूंगा अर्थात् कि सफलता का मार्ग उत्तरोत्तर शिक्षा बढ़ाना है । इस कारण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को छात्रवृत्तियों के द्वारा तथा अन्य अनेक प्रकार से शिक्षा प्रसार करने का यथा-शक्ति प्रयत्न करना चाहिये । यह पहली चीज है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां तक अस्पृश्यता निवारण का सम्बन्ध है यदि हम इस सम्बन्ध में प्राधिकारपूर्ण रुख अपनायें तो वह हमारी गलती होगी । वांछनीय यह है कि हम गांधी जी के उपाय अर्थात् मनाने के तरीके का पालन करें । तथाकथित उच्च वर्गों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये अभी तमाम अवसर और गुंजाइश है ।

ये प्रारम्भिक बातें कहने के लिये मैं ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया । मैं ने सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व करने के विषय में हस्तक्षेप किया है । कुछ माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की है और यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । यह समस्या केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों तक ही सीमित नहीं है । यह उस से बड़ी समस्या इस अर्थ में है । जब अंग्रेज यहां सत्तारूढ़ थे, तो उन्होंने व्यावहारिक रूप से भारत को दो भागों में बांट रखा था । एक युद्धप्रिय क्षेत्र और दूसरा अयुद्धप्रिय क्षेत्र । अयुद्धप्रिय क्षेत्रमें रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वह सवर्ण हो अथवा निम्न जाति का, सैनिक जीवन के लिये प्रथानुसार अयोग्य समझा जाता था । हो सकता है कि युद्धप्रिय क्षेत्रों को अपवर्जित करते समय वे उन लोगों को भी अपवर्जित करते हों, जिन्हें युद्धप्रिय समझा जाता था, अर्थात् कथित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग ।

एक क्षेत्र और है जिस पर चर्चा में बहुत कम ध्यान दिया गया है और वह क्षेत्र अब भारत में सम्मिलित कर लिया गया है । उस समस्या की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । भारत का $^{1}/_{6}$ भाग भारतीय रियासतों में था, जिस की जनसंख्या मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता इन में से कुछ रियासतें बड़ी थीं और साधनपूर्ण थीं । किन्तु उन में बहुत सी, सैंकड़ों छोटी छोटी रियासतें थीं जिन का राजस्व ३० लाख, ४० लाख, १२ लाख या किसी का तो २ लाख रुपये था । सौराष्ट्र में लगभग २०० छोटी छोटी रियासतें थी । हैदराबाद, ग्वालियर और काश्मीर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें अपनी सेना रखती थीं और इस कारण उन में सेना रखने की प्रथा थी । उन रियासतों के रहने वाले चाहते तो सेना में सम्मिलित हो कर सैनिक जीवन बना सकते थे । किन्तु आगे चल कर बहुत सी छोटी रियासतें और उन में रहने वाले लोगों को सशस्त्र सेना की सेना से अपवर्जित कर दिया गया था । यह सच है कि लिखित रूप में किसी भी भारतीय रियासत के निवासी के लिये सेना के लिये सेवा देने पर कोई रोक नहीं थी, भले ही वह रियासत कितनी ही छोटी क्यों न हो । छोटी सी रियासत जावड़ा को ही लीजिये जो मेरा जन्मस्थान है । जावड़ा कोई भी व्यक्ति भर्ती के लिये कह सकता था । किन्तु ऐसा किया किसी ने नहीं । मुझे अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि मध्य भारत में से जिस में जावड़ा सम्मिलित है, भर्ती बहुत कम होती है । अतः रक्षा मंत्रालय में आज मेरे सम्मुख समस्या है समान अवसर देना । इस देश के प्रत्येक निवासी को समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । अतः यह उस का अधिकार और वांछित विशेषाधिकार है कि वह सैनिक सेवा के लिये अपने आप को प्रस्तुत करे और ३६ करोड

लोगों की सेवा करे। जब कि आप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान भी ब्रिटिश भारत के उन तथाकथित अयुद्ध-प्रिय क्षेत्रों के लोगों की ओर आकृष्ट हो जाता है जिन को पिछले २०० वर्षों से प्लासी के युद्ध से सैनिक सेवा से अपवर्जित किया गया है। दूसरे मेरा ध्यान छोटी भारतीय रियासतों के लोगों की ओर भी आकृष्ट हो जाता है, जो अब मध्य भारत, राजस्थान–पेप्सू, में अधिक नहीं हैं,–मध्य प्रदेश और उड़ीसा की अंग बन गई हैं। सम्भवतः माननीय सदस्यों को विदित होगा कि २६ रियासत संविलयन के समय उड़ीसा में सम्मिलित कर दी गई थीं। इन २६ रियासतों के नाम तक हमें भली भांति ज्ञात नहीं हैं। उन की जनसंख्या ४० लाख है और वहां का क्षेत्रफल २६,००० वर्गमील है। वे सैनिक सेवा से बिल्कुल अपवर्जित कर दिये गये हैं। मैं इस बात का अत्यधिक इच्छुक हूं कि भर्ती का आधार विस्तृत हो और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह युद्धप्रिय हो अथवा अयुद्धप्रिय, ऊंची जाति का हो, अथवा नीची जाति का, अपनी सेवायें प्रस्तुत करने का समान अवसर मिलना चाहिये। सब से अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यही है।

दूसरी बात यह है कि हम किसी प्रकार की जोखिम नहीं ले सकते। प्रश्न न्यूनतम अर्हता वाले व्यक्ति को लेने का नहीं है। सेना में हम शारीरिक स्वस्थता को अधिक महत्त्व देते हैं जिस में एक निश्चित शरीर की ऊंचाई और साहसी स्वभाव की आवश्यकता होती है। उस स्तर तक न आने वाले व्यक्ति को हम नहीं लेते हैं। इस में ब्राह्मण, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति या हिन्दू, अहिन्दू का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न यह है कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाये। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक हमारे स्थायी निदेशों का सम्बन्ध है–मैं ब्रिटिश-काल की बात नहीं कह रहा हूं—प्रत्येक प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। सेना मुख्यालयों, नौ-सेना मुख्यालयों और वायु सेना मुख्यालयों तथा भर्ती करने वाले पदाधिकारियों को यह अनेक बार बताया जा चुका है, कि न केवल इस में सारे समुदायों के लोग ही लिये जायं, वरन् भारत के प्रत्येक भाग के लोग हों। मैं नहीं चाहता कि उत्तरी, दक्षिणी अथवा पूर्वी सेना बनाई जाये। इस में सारे भारत के लोग होने चाहिये। शारीरिक स्वस्थता के अतिरिक्त अन्य किसी चीज पर ध्यान न दिया जाये।

किसी भाग से आवश्यकता से अधिक लोगों की भर्ती भी नहीं होनी चाहिये। यह हमारा प्राचीन इतिहास है और कुछ समय चलता रहेगा। अंग्रेजों ने सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट आदि बनाये थे। यह बहुत कुछ वर्ग पर आधारित थे। इन रेजिमेंटों को अपने पर बड़ा गर्व है। उनका इतिहास भी १००–१५० अथवा ८० वर्ष पुराना है। अब यदि मैं इस चीज को एक दम समाप्त कर दूं तो उन के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा, असन्तोष फैलेगा। मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख यह सुझाव रखता हूं कि छात्रों और युवकों में शारीरिक स्वस्थता की वृद्धि हो तथा राष्ट्रीय छात्रसैनिकों और सहायक सेना छात्रों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाये। इन निकायों में किसी भी जाति अथवा धर्म का छात्र सम्मिलित हो सकता है। सरकार इस आन्दोलन को फैलाने की बड़ी इच्छुक है। राष्ट्रीय छात्र सैनिकों की संख्या ३०,००० से अब १२५,००० हो गई है। यदि कालेज का प्रत्येक छात्र राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय में भाग लेने लगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। निधि अधिक न होने के कारण ऐसा होना अभी सम्भव नहीं है। इसी प्रकार सहायक सेना छात्र का प्रश्न भी सैनिक प्रशिक्षण का नहीं है। छात्र बिना किसी प्रकार के जाति पांति के भेद भाव के शिविरों में रहते हैं। वे शिविरों

[डा० काटजू]

में ही रहते और खाना खाते हैं । वे भाइयों की तरह रहते हैं ।

अब सहायक छात्र सैनिक निकायों के छात्र सैनिकों की संख्या लगभग ७$^{१}/_{२}$ लाख है और हमारा विचार इसे और अधिक बढ़ाने का है । मैं यह सुझाव रखता हूं कि माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे, मुझे इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे और इस सूचना को देश के विभिन्न भागों में जाकर फैलायेंगे ।

एक दूसरी बात इस से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । सम्भवतः, माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की स्थापना की है । पहले प्रादेशिक सेनायें थीं जो सभी के लिये खुली थीं । हम ने सोचा कि प्रादेशिक सेनायें कुछ छोटी हैं और उन का विस्तार किया जाना चाहिये क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है । अभी हम अनिवार्य भर्ती नहीं कर रहे हैं । किन्तु हम इस के इच्छक हैं कि जिन लोगों को सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है अथवा जो इस के लिये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उन्हें सब को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । हम स्वेच्छा सिद्धान्तों का पालन कर रहे हैं । किन्तु हमारा विचार है कि यदि कुछ संख्या में स्वयंसेवक आते हैं, तो हम उन्हें नियुक्त करेंगे ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल सैनिक प्रशिक्षण पर आधारित है और जो योजना बनाई गई है उस के अनुसार १ लाख लोगों को प्रति वर्ष अर्थात् १६५५ से १६५६ तक ५ लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । मुझे प्रसन्नता है कि इस की प्रति क्रिया अत्यधिक उत्साहवर्द्धक है । सारे भारत में दो सौ शिविर आयोजित किये जायेंगे । जिन में से प्रत्येक में ५०० व्यक्ति शहरों और गांवों से आयेंगे । मैं पुनः यही कहता हूं कि इस में जाति पांति और धर्म का कोई भेद भाव नहीं होगा । और इस प्रकार प्रतिवर्ष एक लाख लोग प्रशिक्षित किये जायेंगे । शिविर का जीवन माननीय सदस्य जानते ही हैं कि जवानों की भांति सैनिक जीवन व्यतीत करना पड़ता है : उन्हें भाषण और प्राथमिक चिकित्सा के भाषण दिये जाते हैं । उन्हें रायफल चलाने आदि की भी शिक्षा दी जाती है ।

मैं यह सुझाव देता हूं कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों तथा अयुद्धप्रि क्षेत्रों में रुचि रखने वाले लोगों को इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल का पूरा लाभ उठाना चाहिये क्योंकि यदि मांग अधिक और उत्साहवर्द्धक हुई तो हम इसे दुगना कर देने पर विचार करेंगे । प्रति वर्ष प्रशिक्षित किये जाने वाले लोगों की संख्या हम एक लाख से बढ़ा कर दो लाख कर देंगे और ऐसा करना राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अच्छा होगा । वांछित यह है कि काफी रक्षित सेना होनी चाहिये जिस से ईश्वर न करे यदि कोई आवश्यकता आ पड़े तो हम उस का सहारा ले सकें । दूसरे, एक मास के सैनिक प्रशिक्षण से, जिस में शारीरिक व्यायाम व अन्य इसी प्रकार की चीजें शामिल हैं, तथा साथ रहने से अनुशासन की शिक्षा मिलती है । मैं होम गार्ड तथा शान्ति और सुव्यवस्था रखने के लिये इस से बड़ी आशा रखता हूं । अब मैं इस के लिये इस सभा के प्रत्येक सदस्य से राज्य विधान सभा के सदस्यों से तथा जनता से राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय, सहायक छात्र सैनिक निकाय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल तथा प्रादेशिक सेना की सफलता के लिये ठोस सहायता चाहता हूं । प्रादेशिक सेना शहरों और गांवों दोनों के लिये खुली हुई है । मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल और राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय को अधिक महत्त्व देता हूं क्योंकि अस्पृश्यता और भेद-भाव का अभिशाप गांवों में अधिक है और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक

दल में अधिकांशत: गांवों के ही लोग हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल में सम्मिलित हो कर एक मास शिविर में व्यतीत करता है, वह अस्पृश्यता के कलंकों से और अस्पृश्यता से बिल्कुल दूर हो जाता है।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा --रक्षित–अनुसूचित जातियां): जिस राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं मैं समझता हूं कि उस में एक प्रति शत तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग भर्ती नहीं किये गये हैं।

डा० काटजू: मेरे मित्र ने मेरी बात को सुनने का कष्ट ही नहीं किया। मैं ने कहा कि उन लोगों को अपनी सेवायें प्रस्तुत करनी चाहियें।

श्री वैलायुधन: जो लोग भर्ती कर रहे हैं वे अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों को लेंगे ही नहीं।

डा० काटजू: आप मुझे बताइये, मैं इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि): क्या मेरी एक बात का स्पष्टीकरण किया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय: अभी नहीं। अभी तो माननीय मंत्री को बोलने दीजिये।

डा० काटजू: इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के लिये एक लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत में दो सौ शिविर लगाये जायेंगे। एक ही साथ एक समय में २०० शिविर लगाना असम्भव होगा। अत: प्रति मास वर्षा ऋतु को छोड़ कर २० या २१ शिविर लगाये जाया करेंगे। ३०–४० शिविर पहले ही लगाये जा चुके हैं। इन शिविरों को लगाने में हम ने इस बात की सावधानी रखी है कि वे देश के विभिन्न भागों में लगें। मैं इस की पुनरुक्ति करता हूं कि ये शिविर समुदाय के प्रत्येक विभाग के लिये खुले रहेंगे। यदि किसी माननीय सदस्य को यह पता चलता है कि कोई भर्ती करने वाला पदाधिकारी जाति के आधार पर भेद-भाव कर रहा हो अथवा किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ भेद-भावना रखता हो, तो उस की सूचना सीधे मुझे दी जाये और मैं इस चीज को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं।

जहां तक सेना का सम्बन्ध है, और असंयोधियों की संख्या का प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों की संख्या कहीं १७ प्रतिशत है तो कहीं १८ प्रतिशत, जो बहुत काफी है। जिन्हें हम असैनिक कर्मचारी अथवा असंयोधी कहते हैं उन की संख्या भी लगभग ५० प्रतिशत है किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि इस की आलोचना हो सकती है कि यह केवल निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की है और पदाधिकारियों की जितनी संख्या होनी चाहिये उतनी नहीं है। किन्तु मैं पुन: सुझाव देता हूं कि चूंकि अब विद्यार्थियों की संख्या अधिक है इस कारण उन्हें राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय में सम्मिलित हो कर अपना कौशल दिखाना चाहिये क्योंकि राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय से बिना किसी परीक्षा के, १० प्रतिशत छात्र सैनिक लिये जाते हैं और उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, कडकवासला में प्रशिक्षित किया जाता है। इस इच्छाशक्ति की कमी नहीं है। मेरी बलवती इच्छा यह है कि मैं जितने विस्तृत आधार पर सम्भव हो सके एक सेना बनाऊं जिस में अनुसूचित जाति, उच्च जाति, हिन्दू अथवा मुसलमान बिना किसी भेद-भाव के सम्मिलित हों और यह कह सकें कि "यह हमारी सेना है, भारतीय सेना है।"

श्री कामत (होशंगाबाद) : क्या माननीय मंत्री द्वारा कार्य-भार सम्हाले जाने के बाद जावड़ा में विशेष रूप से और मध्य भारत में सामान्य रूप से भर्ती सम्बन्धी स्थिति में, सुधार नहीं हुआ है ? दूसरे, नौ-बल में, जहां तक कि नाविकों और पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, तथा वायु-बल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति कैसी है ?

डा० काटजू : उनकी संख्या कम है क्योंकि इस के लिये शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें रखी गई हैं । शारीरिक स्वस्थता को प्रमुख स्थान दिया जाता है । मुझे कहते हुए खेद होता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग इस समय उस स्तर तक नहीं पहुंच पाये हैं । नौ-बल अभी बहुत छोटा है । वास्तव में महत्वपूर्ण तो सशस्त्र सेनायें है अर्थात् थल सेना ।

श्री कामत : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैं यह जानना चाहता था कि विशेषकर जावड़ा के लोगों और सामान्य रूप में मध्य भारत के लोगों की भर्ती की स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

डा० काटजू : जहां तक मैं जानता हूं मेरे राज्य की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि भर्ती का तरीका, प्रक्रिया, जांच—शारीरिक तथा अन्य प्रकार की—मनोवैज्ञानिक परीक्षायें आदि अंग्रेजों द्वारा अपनाये गये तरीके अनुसार ही होती हैं, जिस का परिणाम यह होता है कि संवरण राष्ट्रीय सेना बनाने के लिये नहीं किया जा रहा है जैसा कि पहले किया जाता था ? क्या माननीय मंत्री अथवा मंत्रालय द्वारा कोई जांच की गई है । क्या माननीय मंत्री को भर्ती की इस पद्धति के विषय में कोई जानकारी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कितने प्रश्न पूछेंगे ?

श्री वेलायुधन : मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं जो पहले से सम्बन्धित है । पदाधिकारियों द्वारा भर्ती इन सब जांचों के अधीन की जाती है । सरकार को पदाधिकारी धोखा देते हैं और पक्षपात आदि खूब चलता है मैं इस का एक उदाहरण बता सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को इस प्रकार की चीजें कहने के लिये अनुमति नहीं दे सकता । उन का कहना है कि भर्ती की वर्तमान पद्धति जिस उद्देश्य को दृष्टि में रखा गया है उस की पूर्ति करने वाली नहीं है ।

डा० काटजू : मैं इस से पूर्णतया सहमत हूं क्योंकि मैं ने स्वयं मेरठ में संवरण बोर्ड के कार्य को चार घंटे देखा है और यह पाया कि उस का जाति-पांति से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उसे इस बात से वास्ता है कि कोई उम्मीदवार देश के किस भाग का रहने वाला है । बोर्ड उन से प्रश्न पूछता है, मनोवैज्ञानिक जांच करता है और ये सारे प्रश्न उम्मीदवार के व्यक्तित्व से सम्बन्धित होते हैं । सेना की नौकरी जीवन मरण की समस्या होती है इसी कारण वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं ।

भर्ती का तरीका यह है कि पहले संघ लोक सेवा आयोग एक लिखित परीक्षा लेता है । इस परीक्षा में लगभग ४,००० लोग बैठते हैं । जिस में उम्मीदवार के मौखिक परीक्षा (इन्टरव्यू) में बुलाये जाने से पूर्व उसे कुछ निश्चित अंक पास करना अनिवार्य होता है । अंकों का योग लगभग ९०० होता है जिसमें से मौखिक परीक्षा (इन्टरव्यू) में बुलाये जाने से पूर्व उसे कम से कम ४० प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है । इस के पश्चात बहुत से उम्मीदवार संवरण बोर्ड द्वारा ली जाने वाली मनोवैज्ञानिक परीक्षा आदि में पूरे

नहीं उतरते। इस के बाद बहुत से उम्मीदवार डाक्टरी बोर्ड के सामने रह जाते हैं क्योंकि डाक्टरी बोर्ड शारीरिक स्वस्थता पर अत्यधिक जोर देता है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारे बहुत से नौजवान चाहे वे ब्राह्मण हों अथवा मुसलमान, अथवा किसी और जाति के, जिस शारीरिक स्तर की आशा की जाती है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतः मैं अपने मित्र के मस्तिष्क से यह बात निकाल देना चाहता हूं कि भर्ती का तरीका अनुसूचित जातियों तथा गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध पड़ने वाला एक दकियानूसी तरीका है।

श्री वेलायुधन : मैं ने कहा था कि ऐसा सभी के साथ होता है।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : श्री वेलायुधन ने कहा कि राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय में आने वाले लोगों की संख्या कम है। इस का क्या कारण है ? उम्मीदवार आते नहीं हैं अथवा वे उपयुक्त नहीं होते।

डा० काटजू : मुझे प्रसन्नता है कि छात्रों में बड़ी जाग्रति फैल गई है। प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि छात्र राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं किन्तु वित्तीय कठिनाई उन के मार्ग में आ जाती है। हम इस को दूर करने के लिये भी प्रयत्न कर रहे हैं। इस समय ५० प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार देती है और ५० प्रतिशत राज्य सरकार देती है तथा स्वाभाविक ही है कि राज्य सरकार इस में कुछ आगा पीछा सोचती है। किन्तु मैं स्थिति का अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और आशा करता हूं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय छात्र सैनिक निकाय का बहुत विकास होगा।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या आप अनुसूचित जातियों की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

डा० काटजू : निश्चय ही।

श्री बाल्मीकी (जिला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जब मामूली सिपाही के लिये भरती होती है, तो चूंकि ज्यादातर रिक्रूटिंग आफिसर्स मार्शियल रेसेज के होते हैं, इसलिये भी ज्यादातर हरिजनों को फौज में नहीं लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में माननीय मंत्री का क्या विचार है ?

डा० काटजू : मुझे मालूम नहीं कि रिक्रूटिंग आफिसर्ज कौन सी रेस के हैं—वे सभी रेसेज के होते हैं और उन को हिदायत दी जाती है कि रिक्रूटिंग के वक्त वह सिर्फ आदमी को देखें और कौमियत या जात बिरादरी को न देखें। अगर आनरेबल मैम्बर इस बारे में मुझे लिखेंगे तो मैं तवज्जह करूंगा।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य—दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज भी सिख और राजपूत रेजीमेंट के नाम से रेजीमेंट्स हैं और अगर हैं, तो क्यों ?

डा० काटजू : मैं ने कहा है कि सिख रेजीमेंट भी है और जाट रेजीमेंट भी है और पिछले डेढ़ सौ बरसों से हैं। आप के पास सोलजर साहब बैठे हैं। आप उन से पोशीदा तौर पर पूछ लीजिये कि उन की क्या हिस्टरी है और क्या कारहाए-नुमायां हैं।

श्री पी० एल० कुरील (जिला बांदा व जिला फतहपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पिछले बार जब मैं सभा में बोला था तो लोगों ने मुझ को कटु भावनायें व्यक्त करने के लिये बुरा भला कहा था। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि हम अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि होने के नाते जो कुछ अनुभव करते हैं उसे सभा में व्यक्त कर देते हैं। यदि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना हमारे लिये न्यायोचित था तो आज के हिन्दू समाज में

[श्री पी० एल० कुरील]

फैली हुई दासता के विरुद्ध लड़ना भी पूर्ण न्यायोचित है ।

मैं नहीं समझता कि मंत्री अनुसूचित जातियों की समस्याओं में क्यों रुचि नहीं ले रहे हैं । वे इस के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं ? यह राष्ट्रीय समस्या है और यदि देश में वे राष्ट्रीय एकत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अनुसूचित जातियों को अन्य जातियों के स्तर तक उठाना पड़ेगा । इस समस्या को वे इतनी साधारण क्यों समझते हैं ? योजना मंत्री से मुझे एक ज्ञापन का उत्तर डेढ़ वर्ष बाद मिला था जिस में कहा गया था कि 'आप के विभिन्न सुझाव विचाराधीन हैं और यथा-समय उन पर कार्यवाही की जायेगी' । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इतनी उदासीन क्यों है ? हम भला फिर जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन की भावनायें क्यों न व्यक्त करें ?

मैं विद्यमान गृह-कार्य मंत्री को संघ लोक सेवा आयोग में एक अनुसूचित जाति का सदस्य नियुक्त करने के लिये धन्यवाद देता हूं । मंत्रालयों तथा अन्य स्थानों में अनुसूचित जातियों का उचित प्रतिनिधित्व करने के सम्बन्ध में विभिन्न परिपत्र जारी करने के लिये भी मैं उन का आभारी हूं । उन्होंने हाल ही में एक परिपत्र भेजा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है । इस सभा में तथा बाहर भी समय समय पर किये गये प्रयत्नों के बावजूद भी सेवाओं में उन की उचित संख्या नहीं है । केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या बहुत कम है । साथ ही भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भी उस की संख्या नगण्य है। १६५४–५५ में बहुत बड़ी संख्या में उपर्युक्त सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लोग बैठे किन्तु उन में से एक को भी खास भारतीय प्रशासन सेवा या भारतीय पुलिस सेवा में नहीं लिया गया ।

इस सम्बन्ध में मैं दो बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा । पहली तो यह कि अनुसूचित जातियों में शिक्षा का चलन बहुत बाद में हुआ है और अभी उन लोगों को अन्य जातियों से होड़ करने में कुछ समय लगेगा । दूसरी यह कि सामाजिक वातावरण आदि के परिणामस्वरूप कुछ जातियों के नवयुवकों के लिये परीक्षा पास करना तुलनात्मक रूप से अधिक सरल होता है । गरीब आदमी के लड़के का पालनपोषण ऐसे वातावरण में होता है कि वह एक धनी व्यक्ति के लड़के के मुकाबले आसानी से सफल नहीं हो सकता । तो इस स्वाभाविक अन्तर पर गौर किया जाना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान भारत सरकार के १६३४ के संकल्प की ओर दिलाऊंगा । उसमें कहा गया था कि दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये इन वर्गों के अर्हताप्राप्त सदस्यों को सरकारी नौकरियों में नामनिर्देशन द्वारा लिया जाय, चाहे उन नौकरियों में भरती प्रतियोगिता द्वारा ही क्यों न की जा रही हो । तो जब १६३४ में तत्कालीन सरकार अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का चुनाव नामनिर्देशन द्वारा कर सकती थी तो वर्तमान सरकार को अनुसूचित जाति के योग्य उम्मीदवारों का नौकरी के लिये नामनिर्देशन करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं जानता हूं कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति के कुछ उम्मीदवारों को नामनिर्देशन द्वारा लिया गया और आज वे अत्यन्त कुशल पदाधिकारी सिद्ध हुए हैं ।

जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है यह दो आधारों पर की जाती है—कार्य-

कुशलता और ज्येष्ठता । यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ज्येष्ठ होता है तो उसे अदक्ष कह कर अस्वीकृत कर दिया जाता है । मुझे ऐसे बहुत से मामलों का पता है जिनमें अनुसूचित जाति के ज्येष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति न करके कनिष्ठ व्यक्तियों को उनके ऊपर चढ़ा दिया गया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रत्येक मामले पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति विचार करे ।

जब कभी हम यह मांग करते हैं कि उच्च कूटनीतिक पदों पर भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाये तो प्रायः उत्तर यह मिलता है कि अनुसूचित जातियों में अपेक्षित अर्हता वाले व्यक्ति नहीं मिलते । मेरा कहना यह है कि इस प्रकार का उत्तर देना तो वास्तव में अनुसूचित जाति के लोगों का तथा अनुसूचित जातियों का उद्धार करने वाले लोगों का अपमान करना है । यदि वास्तव में उन लोगों को इन पदों पर नियुक्त करने की मंशा हो तो कोई कारण नहीं है कि ऐसे लोग न मिलें । यदि आप कोशिश करें तो आप उनमें से भी योग्य व्यक्ति ढूंढ निकाल सकते हैं ।

सेना में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं के समान है । १९४३ में मैंने केन्द्रीय विधान सभी में यह संकल्प रखा था कि सेना में अनुसूचित जातियों के लोगों की भी भरती की जाये । वह संकल्प सरकार द्वारा पारित कर लिया गया था । आयुक्त के प्रथम प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान में भी मैंने इस संकल्प की ओर ध्यान दिलाया था । मैंने पूछा था कि अनुसूचित जातियों के कई रेजीमेंट युद्ध के बाद भंग क्यों कर दिये गये और यह कि राष्ट्रीय सरकार ने सेना में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व जारी रखने का प्रयत्न क्यों नहीं किया । इतना कुछ कहने पर भी सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया ।

संबंधी आयुक्त क १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

एक बात मुझे यह कहनी है कि जिन रेजीमेंटों में अधिकांशतः अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके नाम बदल दिये गये हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इनके वर्त्तमान नाम बदल दिये जायें । जहां तक युद्ध करने की क्षमता का प्रश्न है, अनुसूचित जातियां किसी से पीछे नहीं हैं । अतः मैं सरकार से, विशेष रूप से रक्षा मंत्री से, यह निवेदन करूंगा कि वह प्राधिकारियों को यह निदेश दें कि सेना में अनुसूचित जाति के लोगों की भरती करें । इस प्रयोजन के लिये एक विशेष समिति की नियुक्ति की जाये । यदि ऐसा नहीं किया गया तो अनुसूचित जाति के लोगो को सेना में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता ।

डा० कामले (नान्देड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां): शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ी और उस पर गोर किया और मैं इस नतीजे पर आया कि कमिश्नर की की हुई सिफारिशों पर अगर सरकार ने चौथाई भी अमल किया तो हरिजनों की समस्या हल हो जायेगी । परन्तु सरकार निहायत सुस्त है और इस मामले में लापरवाही कर रही है और अगर इसी धीमी और सुस्त चाल से वह कदम उठाती रही तो दस साल तो क्या सौ साल में हरिजनों का प्रश्न हल न होगा ।

१९३२ में पूना पेक्ट हुआ और २० साल में हरिजनों की समस्या को हल करने का वायदा किया था परन्तु आज तक यह सवाल हल होना बाकी है । महात्मा जी ने पूना पेक्ट के वक्त हिंदू समाज पर बड़ा उपकार किया । उन्होंने हरिजनों पर कोई उपकार नहीं किया । बल्कि पूना पेक्ट में एक राजकीय दृष्टिकोण था, जिसकी वजह से हरिजनों को स्वतंत्र मतदान संघ नहीं मिला । अगर पूना पेक्ट न होता और हरि-

संबंधी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

[डा० कामले]

जनों को स्वतंत्र मतदान संघ मिलता तो आज पाकिस्तान की तरह दलित स्थान भी क़ायम हो जाता, परन्तु महात्मा गांधी ने देश पर और हिंदू समाज पर बड़ा उपकार किया है लेकिन दुःख की बात है कि हिंदू समाज पूना पैक्ट भूल गया है।

जहां तक सरकारी नौकरियों में हरिजनों के लिये सुरक्षित स्थान रखने का प्रश्न है उसके लिये मेरा कहना यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट देखने से साफ ज़ाहिर होता है कि हरिजन और हरिजनों के लिये जो कोटा मुकर्रर होता है, उस पर कोई मुहकमा अमल नहीं करता और वह कोटा सिर्फ कागज़ पर ही लिखा धरा रह जाता है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार का इधर ध्यान ही नहीं है। अगर हरिजनों को उनका मुकर्रर कोटा मिला होता तो उन का आर्थिक प्रश्न हल होता, परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार का कोई भी मुहकमा इस पर अमल नहीं करता और हरिजनों को उनके लिए रक्षित कोटा नहीं मिलता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार के किसी भी मुहकमे में रक्षित कोटे पर अमल नहीं होता है। जब रिज़रवेशन है तब यह हाल है, रिज़रवेशन खत्म होने के बाद उनका क्या हाल होगा, यह परमात्मा ही जाने। गवर्नमेंट विचार कर रही है कि हरिजनों को जो सुरक्षित कोटा दिया जा रहा है, वह किस तरह कम किया जाय।

जनरल एलैक्शन में हैदराबाद असैम्बली में हरिजनों की ३१ सीटें थीं और इस हिसाब से कौंसल आफ स्टेट में हरिजनों के दो सदस्य थे, परन्तु हाल में जो जनगणना हुई है उस में ३१ की बजाय २९ सीट्स कायम की गई और राज्य सभा में हैदराबाद से एक भी हरिजन प्रतिनिधि नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर दीपक के नीचे घोर अन्धकार है और जहां अंधेरा ही अंधेरा हो, वहां पर क्या हाल होगा, यह आप समझ सकते हैं।

अस्पृश्यता हिन्दू धर्म पर कलंक है और यह हमारे दुर्भाग्य के सिवाय और क्या हो सकता है कि हमारे देश और समाज में इतने अवतार, संत, महात्मा और समाज सुधारक पैदा होने के बावजूद यह कलंक अभी तक कायम है। अस्पृश्यता हिन्दू समाज की अध्यात्मिक प्रवृत्ति है और यह उस को माता के दूध के साथ विरासत में मिली है। और जब तक हिन्दुओं के प्राचीन धर्म ग्रन्थों की रचनाओं को बदला न जाय अस्पृश्यता का नष्ट होना असम्भव है। रामायण में भगवान राम ने शंबुक को सिर्फ इस लिये मारा क्योंकि वह अछूत था। मनोस्मृति में मनु ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ और शूद्र कनिष्ठ, इसलिये शूद्र को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य ने अद्वैत मत का प्रचार किया परन्तु वह सिर्फ कागज की हद तक ही रहा, व्यवहार में द्वैत भाव कायम रक्खा, अर्थात् मैं ब्राह्मण हूं और तू शूद्र है यह व्यवहार रहा है और अभी भी है। रामायण के रचियता गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। जब इन बड़े-बड़े महा पुरुषों और संतों का यह हाल है तो सामान्य हिन्दू जन से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। हिन्दू तो लकीर का फकीर है। मैं हिन्दू धर्म मार्तण्डों से पूछना चाहता हूं कि उन के पास इस का क्या उत्तर है कि जिस तरह ईसाई लोग एक चर्च में जा कर प्रार्थना करते हैं, मुसलमान लोग एक मस्जिद में जा कर नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं उसी तरह क्या हिन्दू जाति के सारे लोग मिल कर

एक साथ मंदिर में भगवान की प्रार्थना करते हैं ? एक सनातनी ब्राह्मण एक अछूत हिन्दू को देख कर उसी तरह झिझकता है जिस तरह एक पागल कुत्ता पानी को देख कर झिझकता है, ऐसी सूरत में एक साथ पूजा व प्रार्थना करना तो एक नामुमकिन सी बात हो जाती है । इस के विपरीत हरिजन लोगों को परधर्मियों से आदर और सम्मान मिलता है परंन्तु स्वधर्मी हिन्दू से घृणा और अपमान ही उस को मिलता है और सवर्ण हिन्दुओं के इस तरह के व्यवहार के कारण हमारे बहुत से हरिजन भाई हिन्दू धर्म छोड़ कर ईसाई हो रहे हैं । असल बात यह है । परन्तु विघ्न संतोषी धर्म के ठेकेदार यह पसन्द नहीं करते । उन की मनोवृत्ति है कि हरिजन जिस हालत में पहले थे, उसी हालत में रहें और वह हिन्दू समाज का आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक गुलाम बना रहे और हमेशा हिन्दू के द्वार पर याचक जैसा पड़ा रहे । हरिजन समाज की उन्नति हिन्दू व्यक्ति फूटी आंख से देखना भी पसन्द नहीं करते । यह है हरिजनों के प्रति हिन्दू समाज की मनोवृत्ति, जो हिन्दू व्यक्ति को अपनी माता के दूध के साथ मिली है । इस का सरकार के पास क्या इलाज है और शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने इस को दूर करने के लिये क्या सुझाव दिया है ? रोजाना अखबारों में खबरें आती हैं कि यहां पर हरिजनों पर यह अत्याचार हुआ, उस गांव में हरिजनों को होटल से निकाल दिया, इस जगह मंदिर में नहीं जाने दिया । परन्तु अफसोस है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने इस जुल्म व अत्याचार का कहीं भी जिक्र नहीं किया है । जहां पर विनोबा भावे जैसे संत को जूते मिलते हैं वहां पर गरीब व बेजबान हरिजनों का क्या हाल होगा, यह बयान से बाहर की बात है ।

अमरीका में भारतीय हाई कमिश्नर को अमेरीकन हवाई अड्डे के होटल से निकाल देने से दुनिया के अखबारों में खबरें छापी गईं और उन से माफी मांगी गई, परन्तु भारतवर्ष के ग्राम के होटलों में रोजमर्रा कितने हरिजनों को अपमानित कर के बाहर निकाल दिया जाता है और बेइज्जती की जाती है, इस पर सरकार ने कभी विचार ही नहीं किया । अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के साथ अस्पृश्य जैसा व्यवहार करते हैं, उन पर तो हर भारतीय को गुस्सा आता है, परन्तु हमारे भारत में अपने घर में हरिजनों के प्रति कैसा बरताव होता है इस पर भारतवासी कभी गौर ही नहीं करते ।

हरिजनों का मसला एक राष्ट्रीय मसला है । सरकार ने जिस तरह रिफ्यूजियों का मसला राष्ट्रीय मसला समझ कर हल किया उसी तरह इस मसले को भी हल करना चाहिये । इस के लिये एक स्वतन्त्र मंत्रालय कायम करना चाहिये । मैं जब पार्लियामेंट का मेम्बर चुना गया, उसी वक्त राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंत जी और प्रधान अध्यक्ष आल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और प्लैनिंग मिनिस्टर श्री गुलजारी लाल नन्दा की सेवा में हरिजन उन्नति के लिये एक योजना तैयार कर के रवाना की गई थी कि हरिजनों का मसला हल करने के लिये एक पंचवर्षीय योजना बनाई जाय और कम से कम १०० करोड़ रुपये मंजूर कर के एक स्वतन्त्र मंत्रालय कायम किया जाय । परन्तु उस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । रिजर्वेशन की मुद्दत सिर्फ ६ साल बाकी है । और हरिजन कार्य अभी ४ आने भी नहीं हुआ है ।

साबिक् गृह मंत्री काटजू साहब ने अलग मंत्रालय का घोर विरोध किया था और एक सभा में उत्तर दिया था कि मैं खुद हरिजन हूं और हरिजन मंत्री के नाते इतना ही हरिजनों का कल्याण कर सकता हूं। बल्कि उस से ज्यादा कर सकता हूं। मैं खुद अपने आप को हरिजन समझता हूं । पूज्य काटजू साहब के प्रति हमारे दिल में आदर है । वह हरिजन मंत्री से ज्यादा हरिजनों का कल्याण कर सकते हैं, इस बारे में सन्देह नहीं

[डा० कामल]

परन्तु मैं उन को नम्रता से जवाब देना चाहता हूं । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज कहते हैं :

'पाण्यांतला मासा, निद्रा घेतो कसा ।
जावें त्या च्या वंशा, तेहां कड़े ।।

पानी में जो मछली रहती है वह किस तरह नींद लेती है, अगर यह मालूम करना हो तो मछली के पेट में जन्म लो तभी मालूम होगा। पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था मुझे स्वर्ग नहीं होना चाहिये, मुझे मोक्ष नहीं होना चाहिये, मुझे एक भंगी के घर जन्म मिलना चाहिये ताकि मैं हरिजनों की परिस्थिति पूर्ण रूप से मालूम कर सकूं और उनकी योग्य सेवा कर सकूं । जब तुकाराम महाराज और महात्मा गांधी हरिजनों की परिस्थिति का एहसास नहीं कर सकते तो हमारे साबिक गृह मंत्री काटजू साहब कैसे हरिजन बन सकते हैं, यह आश्चर्य है । वन्ध्या क्या जाने प्रसूति वेदना ? हरिजनों का दर्द सिर्फ हरिजन ही जानते हैं । जिस तरह डा० अम्बेडकर और जगजीवन राम महसूस कर सकते हैं उस तरह काटजू साहब नहीं महसूस कर सकते । इसलिये इस मामले को हल करने के लिये एक हरिजन मंत्री नियुक्त करना चाहिये । अपना अनुभव आप को बताता हूं । मैं खुद टैरीटोरियल आर्मी में चुनाव के लिये गया था । मेरठ में सेलेक्शन का काम होने वाला था । मैं मेडिकल टैस्ट, फिजीकल टैस्ट वगैरह सब में फिट (योग्य) आया था, मेरे साथ २४ और लड़के भी थे । मेरा बैच नं० १८२० था और चैस्ट नं० १३ था । उन २४ में से सिर्फ मैं ही हरिजन था और बाकी २३ नान-हरिजन थे । उन में से ३ एन० सी० सी० का सर्टिफिकेट पाये हुए भी थे । उन में से ७ आदमियों को आखिरी चुनाव के लिये छांटा गया, लेकिन बाद में सेलेक्शन बोर्ड ने, जिस के चेअरमैन कर्नल दूबे थे, एक भी आदमी नहीं लिया । मैं ने इस के लिये बड़ी दौड़ धूप की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा० काटजू और श्री त्यागी तक भी पहुंचा, लेकिन इस में कुछ नहीं हो सका ।

महाशय, इस लिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक आप से कहता हूं कि इस काम के लिए एक अलग मंत्रालय खोलना चाहिये । अगर ९० लाख निर्वासितों का मसला हल करने के लिये अलग मंत्रालय कायम किया जा सकता है तो ६ करोड़ हरिजनों का मसला हल करने के लिये, जो कि हजारों साल से निर्वासित और दलित हैं, क्यों न अलग मंत्रालय बनाया जाय ? इस सदन में जितने गिरिजन और हरिजन सदस्य हैं सब इस के अनुकूल हैं और यह सब हरिजन और गिरिजन सदस्यों की मांग है । जनाबआली, जब गुलाम को उस की गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक ही वह अपने मालिक का गुलाम रहेगा, जिस वक्त उस को अपनी गुलामी का ज्ञान होगा उसी वक्त वह बंगावत करेगा और गुलामी के बन्धन को तोड़ देगा । इसलिये जब तक यहां हरिजन प्रतिनिधि बैठे हुए हैं तब तक ही सरकार दया और उपकार की भावना को छोड़ कर इस काम को एक राष्ट्रीय कार्य समझ कर और हरिजनों का सामाजिक अधिकार मान कर उन के लिये कम से कम १०० करोड़ रुपये की एक पंचवर्षीय योजना बनाये और एक स्वतन्त्र मंत्रालय खास इस काम के लिये कायम किया जाय । इसी में हरिजनों और देश का कल्याण होगा । वर्ना बाद में बिगड़ी हुई हालत को बनाने में देश का बड़ा नुकसान होगा । महाशय, जब रजाकार गवर्नमेंट जो सब से बुरी गवर्नमेंट कही जाती थी उस ने हरिजनों की उन्नति के लिये हैदराबाद में १ करोड़ रुपया दिया था, तो हमारी भारत सरकार के लिये १०० करोड़ रुपया खर्च कर देना कोई बहुत बड़ी

बात नहीं है और उसको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि सरकार हरिजन उन्नति के लिये पानी की तरह रुपया उदारता से खर्च कर रही है, हरिजनों के हितों की रक्षा करने वाली कई संस्थायें हैं जिनको सरकार मुक्त हाथ से मदद दे रही है, परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के औदार्य की यह गंगा गरीब हरिजन की झोंपड़ी तक पहुंचने के पहले ही सूख जाती है । ऊपर से हरिजनों के हितों की रक्षा करने वाली संस्थायें वास्तव में कफनचोरों को जमातें हैं । यह संस्थायें पहला और आखिरी मौका समझ कर उससे खुद फायदा उठा रही हैं । सरकार को सावधान होकर ऐसी संस्थाओं को कोई रकम न देनी चाहिये, और यदि दी भी हो, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिये । और इनके तवस्सुत से मदद देने के बजाय योग्य हरिजनों की सीधी मदद करनी चाहिये ।

हिन्दू समाज की तरह से हरिजनों में भी अलग अलग जातियां हैं और अज्ञान की वजह से उनमें काफी मतभेद है । इनके आपसी झगड़ों की वजह से सयासी जमातें और उनके लीडर बन्दर के इन्साफ की तरह फायदा उठा रहे हैं । जिस तरह बन्दर के इन्साफ में दो बिल्लियां आपस में मक्खन के डले के लिये लड़ती हैं और उसको तकसीम के लिये बन्दर के हवाले करती हैं, और वह बन्दर जिधर वजन ज्यादा होता है उस बाजू का मक्खन खाता है और आखिरकार सारा मक्खन हड़प कर लेता है, और दोनों बिल्लियां बैठी मुंह ताकती रह जाती हैं । यही हाल हैदराबाद में हुआ है । मराठवाड़े के एक भी जिले को अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिये सरकार से कोई रकम नहीं मिली, न अस्पृश्यता निवारण पैम्फलेट या पत्रक मिले और न प्रचार किया गया । गृह मंत्रालय से मेरी नम्र विनती है कि इस की निगरानी रक्खी जाय और जो भी रकम सरकार से मंजूर हो वह किसी संस्था या व्यक्ति को न दे कर, एक सलाहकार समिति कायम की जाय और उस कमेटी की सलाह से रकम दी जाय, तभी हरिजन समाज को फायदा पहुंचेगा ।

सरकार ने जो अनटचेबिलिटी आफेन्स बिल पास किया है, उस की इत्तला अभी तक कलेक्टर और डी० एस० पी० जैसे जिम्मेदार अफसरों को नहीं है । हैदराबाद के मराठवाड़ा इलाके में अधिक अस्पृश्यता कायम है । श्रीमान्, दातार साहब को, जब वह परभनी के दौरे पर आये थे तो यह परिस्थिति बताई गई थी ; वहां के होटलों में अभी तक चाय के कप हरिजनों के लिये बाहर रखे हुए हैं । हज्जाम हजामत नहीं बनाता, धोबी कपड़े नहीं धोता, बावलियों पर हरिजन पानी नहीं ले सकते । यह हाल है । इस लिये इस बिल पर अमल करने का हुक्म तमाम माल और पुलिस अफसरों को देना चाहिये और उस की माहवारी रिपोर्ट देखनी चाहिये । साथ ही देश में काफी प्रचार और प्रोपैगन्डा करना चाहिये । जो सरकारी बावलियां हैं वह सब के लिये खुली करनी चाहियें । होटल, हेयर कटिंग सैलून व लांड्री वाले अगर छूतछात मानते हैं तो उन को लाइसेंस भी नहीं देना चाहिये । इस से काफी असर पड़ेगा ।

आखिर में, मैं पंडित पंत से, जो हमारे गृह मंत्री हैं और अब्राहम लिंकन और प्रिंस बिस्मार्क जैसे कुशल राजनीतिज्ञ हैं, नम्र विनती करूंगा कि हिन्दुस्तान हरिजनों की गुलामी नष्ट कर के उन को समता का और सामाजिक दर्जा दिलाने के लिये, मुकर्रर मुद्दत में अपृश्यता नष्ट करने के लिये व स्वतन्त्र भारत के नागरिक होने के नाते इज्जत और मान का दर्जा दिलाने के लिये उचित कदम उठायें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि अब समय नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उपमंत्री तथा रक्षा मंत्री दोनों को मिला कर १ घंटा दिया गया था; परन्तु रक्षा मंत्री ने ही आधा घंटा से अधिक समय ले लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्हों ने आधा घंटा लिया है ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : मैं समझता हूं कि यदि अन्य सदस्यों को कुछ समय दे दिया जाये तो माननीय उपमंत्री को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मेरा सुझाव है कि एक अनुसूचित जाति के सदस्य को और एक गैर-अनुसूचित जाति के सदस्य को बोलने की इजाजत दे दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है, श्री रामानन्द शास्त्री ।

स्वामी रामानन्द शास्त्री (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली–पश्चिम व जिला हरदोई–दक्षिण-पूर्व–रक्षित—अनुसूचित जातियां) इस रिपोर्ट पर काफी बहस हो चुकी है और बहुत से सदस्यों ने उस में भाग भी लिया है और करीब करीब सभी पहलुओं पर अपने विचार भी प्रकट किये हैं । मैं समझता हूं कि अब कोई विशेष बात कहने को नहीं रह गई है लेकिन फिर भी दो चार बातें हैं जिन की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । भारत जो जनता रूपी एक शरीर है और उस में जो पिछड़े वर्ग हैं, जब तक उन का उत्थान नहीं किया जाता, हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है । मैं समझता हूं कि केवल अस्पृश्यता मिटाने से ही ये लोग उन्नति नहीं कर सकते और उन की समस्यायें हल नहीं हो सकतीं । मैं मानता हूं कि अस्पृश्यता को मिटाना एक बहुत जरूरी चीज है लेकिन इस के साथ साथ और भी बहुत से काम हैं जो हम ने करने हैं । उन की जो आर्थिक अवस्था है वह बहुत ही शोचनीय है और आप जब तक उन की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं बनाते, तब तक आप छुआछूत को भी नहीं मिटा सकते । आप दूसरी पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि उन में बेकारी बहुत बढ़ रही है और उन की आर्थिक दशा को भी सुधारने की आवश्यकता है । मेरा सुझाव है कि उन में से बेकारी को दूर करने के लिये और उन में छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाने के लिये सरकार एक अरब रुपये की व्यवस्था इस योजना में करे ।

एक माननीय सदस्य : दो अरब रुपया ।

स्वामी रामानन्द शास्त्री : यदि आप इतना रुपया नहीं रखते हैं तो मैं समझता हूं आप उन की सहायता जिस हद तक करनी चाहिये आप नहीं कर सकेंगे और उन की दशा नहीं सुधरेगी । जो भाषण इस सदन में हुए हैं और जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, मुझे मालूम है उन का उत्तर आप देंगे, लेकिन केवल उत्तर देने से और आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा । जब तक हम सक्रिय रूप से उन की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न नहीं करते वे ऊंचे नहीं उठ सकते और जो उन की समस्यायें हैं वे हल नहीं हो सकतीं ।

जो उन की छोटी-छोटी समस्यायें हैं लेकिन जिन को मैं बहुत गम्भीर समझता हूं, उन की तरफ मैं आप का ध्यान खींचना चाहता हूं। गांव के अन्दर एक एक घर में १०–१० और १२–१२ आदमी रहते हैं । १०–१५ फुट के मकान में यदि १०–१२ आदमी रहें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस घर में उस का लड़का भी रहता है, उस की बहू भी रहती है, उस के दूसरे बाल बच्चे भी रहते हैं, उन की कैसी बुरी हालत होती होगी । इस तरह से

वंधी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

एक तो समस्या उन के रहने के लिये मकानों की है। इस के बारे में मेरा सुझाव है कि जो जमीनें इन जमींदारों के पास हैं और जिन पर इन्होंने किसी तरीके से भी अधिकार किया हुआ है वह जमीन इन लोगों को दे दी जाए और अगर वह जमीन कम है तो इन को और जमीन दी जाय ताकि ये लोग छोटा मोटा मकान बना कर रह सकें। मकान बनाने के लिये भी, मेरा सुझाव है, कि इन को आर्थिक सहायता दी जाये।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह इन में जो बेकारी फैली हुई है उस के बारे में है। इस के लिये मेरा सुझाव है कि जोतने के लिये इन लोगों को कुछ जमीन दिलाई जाये और साथ ही साथ इन को आर्थिक सहायता दी जाय। ऐसा करने से एक तो इन में से बेकारी दूर हो सकेगी और दूसरे कुछ अस्पृश्यता भी मिट सकेगी। मेरा ख्याल है आप के पास अभी बहुत सी जमीन पड़ी हुई है और अगर उस में से इन लोगों को जोतने के लिये और मकान बनाने के लिये जमीन दे दी जाय तो एक तो ये लोग जमींदारों के पंजे से निकल सकेंगे और दूसरे इन की आर्थिक हालत भी अच्छी हो सकेगी जिस से अस्पृश्यता भी कुछ हद तक दूर हो जायेगी।

पिछले दिनों मैं राजस्थान गया था और आज ही वहां से आया हूं और वहां के लोगों से मुझे मालूम हुआ कि राजस्थान में तो हरिजनों की बहुत ही बुरी हालत है। वहां की जो मिनिस्ट्री है उस की भी कुछ ऐसी ही हालत है। वह मिनिस्ट्री ऊपर से कुछ और है और भीतर से कुछ और ही है। भाई बारूपाल ने अपने भाषण में कई बातें बताई हैं। परसों पन्त जी भी वहीं पर थे। मुझे वहां के जो लोग हैं उन से मालूम हुआ है कि राजस्थान में यह हालत है कि कलेक्टरों को उस कानून के बारे में जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है कि अस्पृश्यता एक अपराध है, सरकार की तरफ से कोई सर्कलर ही नहीं अभी तक भेजा गया है। इस का नतीजा यह हुआ है कि वहां पर कोई केस ही रजिस्टर नहीं किये जा रहे हैं और जो लोग जाते हैं उन को निराश वापस आना पड़ता है।

नौकरियों में जो हरिजनों की हालत होती है वह आप को मालूम ही है। १९५४ में मैं ने एक रामजी दास जो ईस्टर्न कोर्ट में काम करता है और जिस ने सुराही को छू लिया था उस की बात बतलाई थी। उस को खूब मारा और पीटा गया था। एक डी० डी० गुप्ता असिस्टेंट इंजीनियर है उस को दरख्वास्त भी दी गई थी और उन्होंने उस को फाड़ दिया। आनरेबल संचार मंत्री का ध्यान भी आकर्षित किया गया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि यह अफसर इतने कमीन हैं कि ये रिपोर्ट का जवाब तक नहीं देते।

श्री बाल्मीकी (जिला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : कर्महीन कहिये।

स्वामी रामानन्द शास्त्री : दोनों का एक ही मतलब है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि दफ्तरों में इन लोगों को पानी पीने या पिलाने के लिये लोटा छूने नहीं दिया जाता है। मेरे कहने के कारण अगर किसी को दुख हुआ हो तो मेरी उस से प्रार्थना है कि वह उस गलती को सुधार कर के आगे से ठीक तरह के काम करे और जो वह कहता है वही करे :

मेरी प्रार्थना यह है कि जब तक आप उन की आर्थिक दशा सुधारते नहीं हैं तब तक यह समस्यायें हल हो नहीं सकती हैं। मैं ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक अरब रुपया अलग रखने की मांग की है और मैं चाहता हूं कि यह कम से कम धन राशि है जो कि जरूर ही रखी जाये। इस रुपये से उन में छोटे-छोटे जो घरेलू

संबंधी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

[स्वामी रामानन्द शास्त्री]

धंधे हैं उन को चलाने में मदद मिलनी चाहिये। साथ ही साथ उन की सामूहिक रूप में कोआपरेटिव सोसाइटीज बना दी जायें जिन में आधा रुपया सरकार का हो और बाकी का आधा रुपया सोसाइटी को इकट्ठा करना चाहिये। ऐसा करने से उन की जो आर्थिक दशा है उस में सुधार लाया जा सकता है।

छुआछूत के सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि हमारी सरकार छुआछूत दूर करने के लिए काफी रुपया दे रही है लेकिन मैं समझता हूं कि यह रुपया आटे में नमक के बराबर है। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि केवल रुपया दे देने से ही काम नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी गांव हैं और जितनी भी पंचायतें हैं या शहर हैं उन सब में जो कानून हम ने अस्पृश्यता के बारे में पास किया है उस को हर एक प्रांतीय भाषा और हिन्दी में छपवा कर बांटा जाय और यह भी कहा जाय कि जिस अफसर के हल्के में किसी किस्म का भी किस्सा होगा उस अफसर को बर्खास्त कर दिया जायगा। जब तक आप इस तरह के सख्त कदम नहीं उठायेंगे तब तक अस्पृश्यता दूर नहीं हो सकती।

इन शब्दों के साथ मैं और समय न लेता हुआ कमिश्नर साहब को उन की रिपोर्ट के लिये धन्यवाद देता हूं और उपाध्यक्ष महोदय आप का भी मैं आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी बातें मैं ने कही हैं उन पर ध्यान दिया जायेगा और उन पर अमल करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री बोगावत : मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यन्त इन जातियों के कल्याण के लिये कार्य किया है।

यद्यपि संविधान के अनुच्छेद ४६ में इन जातियों के कल्याण के लिये बहुत कुछ किये जाने का उपबन्ध है, सरकार ने इस दिशा में कोई पग नहीं उठाया है। अभी हाल में ही माननीय गृह-कार्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि देश के विश्वविद्यालयों, कालिजों, हाई स्कूलों, आदि में इन जातियों के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। पंचवर्षीय योजना में २,२०० करोड़ रुपयों में से केवल ४ करोड़ रुपये इन पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिये रखे गये थे। इन चार करोड़ में से भी १.६५ करोड़ रुपये ही अब तक व्यय किये गये हैं। इस प्रकार हम इन लोगों की कोई भलाई नहीं कर सकते। मैं गृह-कार्य मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ कम से कम १० करोड़ रुपये रखे जायें।

सात करोड़ लोगों में से एक करोड़ ऐसे मकानों में रहते हैं जहां जानवर तक नहीं रखे जा सकते। मेरा सुझाव है कि यदि वास्तव में इन लोगों की दशा में सुधार करना है तो कम से कम १०० करोड़ रुपये की राशि इन एक करोड़ लोगों के लिये मकान बनाने के लिये रखे जायें।

मुझे खेद है कि कई राज्यों ने अपनी रिपोर्टें नहीं दी हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

जहां तक सरकारी नौकरियों में ऐसे लोगों की नियुक्ति का प्रश्न है, उन्हें परीक्षाओं में प्राप्त नम्बरों के विषय में कुछ रियायतें दी जानी चाहियें।

पिछले युद्ध में चमार रेजीमेंट आदि ने बड़ा अच्छा काम किया था। फिर, इन रेजीमेंटों को भंग क्यों कर दिया गया ?

मंत्रालयों की रिपोर्टों से पता चलता है कि केवल रेलवे और संचार मंत्रालयों में पर्याप्त

संख्या में अनुसूचित जाति के लोग सेवायुक्त हैं। परन्तु वे भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में हैं—उच्च श्रेणी में नहीं।

हमें इन लोगों को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना चाहिये। हमारे पदाधिकारियों द्वारा तथा अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि उन लोगों के साथ अन्याय न हो।

श्री रनदमन सिंह (शाहडोल-सीधी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : शिड्यूल्ड कस्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विषय में जो रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की गई है, उस के लिये मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूं। गृह मंत्री महोदय ने आदिवासियों और हरिजनों के लिये जो सहानुभूति दिखाई है, उस के लिये मैं उन को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। किन्तु साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों और हरिजनों के हितों की रक्षा और उन की उन्नति के विषय में जो विचार यहां पर प्रकट किये गये हैं, उन को बहुत जल्दी कार्यान्वित करने और एक योजना बना कर उन के अनुसार चलने की बहुत आवश्यकता है। रामायण की एक चौपाई में कहा गया है :

का वर्षा जब कृषि सुखाने,
समय चूकी पुनि का पछताने।

अगर कोई कार्य उचित समय पर किया जाय, तब ही वह लाभप्रद हो सकता है, किन्तु समय बीतने पर उस का कोई फायदा नहीं हो सकता है। आज कल जिस प्रकार काम हो रहा है, उस से मुझे एक घटना का स्मरण हो आया है। एक मर्तबा हमारे यहां जंगल में मई के महीने में आग लग गई और इस विषय में जंगल डिवीजन को रिपोर्ट की गई। अक्तूबर के महीने में आदेश दिया गया कि आग को बुझाने का जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाये। इस तरह से काम नहीं होना चाहिये। कागजों और फाइलों पर तो आदिवासियों के लिये बहुत कुछ काम किया जा चुका है और किया जा रहा है, लेकिन अगर आदिवासियों के क्षेत्रों में जा कर उन की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखा जाये, तो पता चलता है कि उन की क्या हालत है। जब तक आदिवासियों और हरिजनों में फैली हुई बेकारी और बेरोजगारी को कम करने का प्रबन्ध न किया जायगा, तब तक वे शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

आदिवासियों की आर्थिक अवस्था के बारे में मैं पहले भी इस सदन में बहुत कुछ कह चुका हूं, लेकिन उन की आर्थिक दशा को सुधारने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वे लोग ऋण में फंसे हुए हैं और दिन रात परिश्रम करने और हल जोतने के बावजूद भी ऋण से मुक्त नहीं हो रहे हैं। क्या इस विषय में कुछ सोचा जा रहा है? आज जबकि ७५ परसेन्ट आदिवासी बेकार और बेरोज़गार हैं और ऋण की ज़ंजीरों में फंसे हुए हैं, तब उन की उन्नति का क्या रास्ता हो सकता है और उन के बाल-बच्चों का क्या कल्याण हो सकता है?

अभी हाल की बात है कि कुछ ज़मींदारों और पूंजीपतियों ने रात के समय एक जगह के हरिजनों और आदिवासियों को उन के घर में जा कर जगाया और डरा-धमका कर कहा कि चलो, हमारे यहां हल जोतो, नहीं तो तुम को जान से मार डालेंगे। इस तरह उन को डरा धमका कर उन से हल जुतवाया गया और काम लिया गया। एक त्योहर एक आदिवासी को धोखा दे कर घर में ले गया और खम्भे से बांध कर खूब पिटाई किया था, थाने में भी सुनवाई नहीं

[श्री रनदमन सिंह]

हुई । हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों को स्कूलों में धमकाया जाता है और कहा जाता है कि अगर हरिजन और आदिवासी ही स्कूलों में पढ़ने लग जायेंगे, तो बाकी लोग कहां जायेंगे । इस बारे में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्ज़ का ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है । गो सरकार यहां से उन लोगों को स्कालरशिप और वज़ीफा देने के लिये बहुत रुपया भेजती है, लेकिन पता नहीं, उस रुपये का कैसे उपयोग किया जाता है और कहां पर खर्च किया जाता है ? मैं ने समाज कल्याण विभाग के वैलफ़ेयर आफिसर के आफ़िस में दो चार स्कूलों का रिकार्ड देखा, जिस से पता चला कि बहुत से बच्चों के लिये साल भर का वज़ीफ़ा मन्जूर कर लिया गया और खर्च कर दिया गया था, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि किसी बच्चे को दो महीने और किसी को तीन महीने का वज़ीफ़ा दे कर फिर बन्द कर दिया गया ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : उस स्कूल का नाम तो बतला दीजिये ।

श्री रनदमन सिंह : वह सीधी स्कूल है और मड़वास स्कूल है । यह तो मेरे सामने की बात है । कोई सुनी हुई बात नहीं है ।

बहुत से हरिजन और आदिवासी बच्चों को वज़ीफ़ा नहीं मिलता, उन के पास खर्चा नहीं होता । यद्यपि वे पढ़ने के इच्छुक होते हैं पर अपनी आर्थिक हालत के कारण उन को मजबूर हो कर दूसरे काम में लग जाना पड़ता है और वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते । उन में से अक्सर को मजदूरी करनी पड़ती है । इस विषय में मैं मंत्री महोदय और पिछड़े वर्ग के कमिश्नर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं चाहता हूंकि वे इस विषय पर गौर करें और इस समस्या को हल करने के लिये ठोस कदम उठावें ।

कहा जाता है कि बहुत से उद्योग धन्धे खोले जा रहे हैं जिन से बेकारी दूर होगी और लोगों को काम मिलेगा जिस से कि उन की आर्थिक समस्या हल होगी । लेकिन आज तक हमारे प्रदेश में कोई ऐसा उद्योग नहीं खोला गया है जिस से कि हरिजनों और आदिवासियों की आर्थिक समस्या हल हो सके ।

नौकरियों के सम्बन्ध में भी यही हालत है । मैं आप के सामने सन ५४ की रिपोर्ट से कुछ आंकड़े पेश करता हूं । पहली और दूसरी श्रेणी के तो इन लोगों को योग्य ही नहीं समझा गया । तीसरी श्रेणी में अनुसूचित जातियों के ५२ और आदिवासियों के तीन आदमी लिये गये हैं । चौथी श्रेणी में हरिजन ७६९ और आदिवासी ८५ लिये गये हैं । जहां आदिवासियों की आबादी करीब ५ लाख है वहां सरकारी विभागों में ८५ लिये गये हैं । इस तरह से हिसाब लगाइये तो मालूम होगा कि उन की जितनी संख्या ली जानी चाहिये उस का सौवां हिस्सा भी नहीं लिया जाता । इस बारे में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि उन को नौकरियों में लिया जाय और ज्यादा रियायत दी जाय । ये लोग भूखे रहते हैं और बचपन ही से काम में लग जाते हैं इसलिये इस का कद इतना लम्बा नहीं होता जितना कि और जातियों का होता है । मैं चाहता हूं कि उन को कद के बारे में भी कुछ रियायत दी जानी चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल : उन को चाहिये कि दंड बैठक करें ?

श्री रनदमन सिंह : यह तो आप करायेंगे तभी हो सकता है ।

तो मेरा कहना यह है कि जब तक इन की आर्थिक और सामाजिक अवस्था में

सुधार नहीं किया जायगा तब तक ये शिक्षा की दिशा में भी आगे नहीं बढ़ सकते । हम आजकल देखते हैं कि हमारे कुछ हरिजन भाई आदिवासियों की अपेक्षा अधिक संख्या में शिक्षा पा गये हैं लेकिन उन को सरकारी विभागों में नहीं लिया जाता है । हमें डर है कि जब आदिवासी तैयार होंगे तो उन की भी यही दशा होगी ।

आखिरी विषय यह है कि बहुत से आदिवासियों की गणना आदिवासियों में नहीं की गई है । यह किसी भूल के कारण हुआ है । मैं चाहता हूं कि इन लोगों को भी आदिवासियों में लिया जाय । खास तौर से मध्य प्रदेश में २४ लाख आदिवासी हैं, इसी तरह से बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में ३२ लाख आदिवासी हैं इन को नहीं गिना गया है । उत्तर प्रदेश में तो आदिवासियों का जिक्र ही नहीं किया गया है । ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, चिल्लाते हैं और अपनी मांग पेश कर रहे हैं कि इन को आदिवासियों में गिना जाय । वे कहते हैं कि उन के पड़ोसी प्रान्तों में विवाह सम्बन्ध दूसरे आदिवासियों से हैं । इस के बारे में एक कमीशन द्वारा जांच भी हो चुकी है और शायद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है । इस बारे में मैं ने पिछड़े वर्ग के कमिश्नर साहब को जबानी भी कहा है और लिखा भी है । पता नहीं कमिश्नर साहब ने इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया । और उन गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है ।

आखिर में मैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : कितनी बार आखिर हो सकता है ?

श्री रनदमन सिंह : एक मिनट ।

अब जो मंजूर शुदा रकम आदिवासियों के लिये दी जाती है उस के बारे में मुझे कुछ कहना है । वह रकम जाती तो आदिवासियों और हरिजनों के नाम से है पर ज्यादातर बैकवर्ड लोगों पर खर्च हो जाती है । मैं इस बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यदि यह रकम आदिवासियों पर खर्च न हो पावे तो उस को वापस सरकारी खज़ाने में लैप्स होना चाहिये, नहीं तो नाम होता है दूसरों का और खर्च होती है दूसरों के लिये । इस बारे में ख्याल किया जाना चाहिये ।

साथ साथ एक विषय और है । खास तौर से मध्य प्रदेश में आदिवासियों को ईसाई मिशनरी ईसाई बना रहे हैं । इस बारे में आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ये आदिवासी ईसाई ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और इसलिये जो रुपया आदिवासियों के लिये मंजूर किया जाता है उस में से अधिकांश वे पा जाते हैं । दूसरे आदिवासी अभी उतने जाग्रत नहीं हैं । इसलिये वे इस रुपये को नहीं पा सकते । इस के अलावा जो आदिवासी पढ़ कर तैयार भी होते हैं उन को शेड्यूल्ड ट्राइब कोई तसदीक नहीं करता । एक आदिवासी मेम्बर होने के नाते बिहार से और उत्तर प्रदेश से पचासों मेरे पास रिपोर्टें आई हैं जिन में कुछ आदिवासियों ने बतलाया है कि वे पढ़ कर तैयार हो गये हैं पर उन को कोई जगह नहीं दी जाती, न कोई उन की तसदीक ही करता है । इसलिये धीरे धीरे इन लोगों में बेकारी बढ़ रही है । इसलिये मैं मंत्री महोदय और कमिश्नर महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरी, प्रार्थना है कि वे इस ओर ठोस कदम उठाने का प्रयत्न करें । यह नहीं होना चाहिये जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं । कागज की नाव हमेशा नहीं चल सकती ।

इसलिये मैं नम्रता से अर्ज करूंगा कि इस ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

[श्री दातार]

जातियों के सम्बन्ध में, पूरे बारह घन्टों तक विस्तृत चर्चा हो चुकी है। हमारे पास १९५३ तथा १९५४ के प्रतिवेदन हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कोई सदस्यों तथा अन्य जातियों के सदस्यों ने भी यथा सम्भव शीघ्रता से ही इस अस्पृश्यता तथा पिछड़ेपन के अभिशाप को दूर करने के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं इन सभी माननीय सदस्यों के प्रति जिन्हों ने चर्चा में भाग लिया तथा सचाई से अपने विचार व्यक्त किये, कृतज्ञ हूं यद्यपि कभी कभी वे सरकार के कार्यों का पूरा मूल्यांकन नहीं कर सके। मेरे पास राज्य सरकारों के द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये कार्यों पर प्रकाश डालने के लिये बहुत कम समय है। मैं ने आयुक्त से १९५२ के प्रतिवेदन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा १९५० के पश्चात् से पांच वर्षों में किये गये कार्यों की भी पूर्ण जानकारी मांगी है। यदि यह जानकारी सभा-पटल पर रखी जाये तथा सभा के सदस्य राज्य सरकारों द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का अध्ययन करें तो सभा को यह ज्ञात होगा कि यहां कही गई बातों के प्रतिकूल राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में पूर्ण उत्साह से कार्य कर रही हैं। इसलिये यदि उनके प्रति कृतज्ञता न भी प्रगट की जाय, तो भी उन का कार्य प्रशंसनीय रहा है। निस्सन्देह सरकारों ने यथाशक्ति प्रयत्न किया है तथा वे हमें पूरी सहायता दे रही हैं। शब्दों को उपयुक्त ढंग से समझना चाहिये। यह विश्वास कर लेना कि राज्य सरकारों ने बिल्कुल कार्य नहीं किया है अथवा बहुत कम कार्य किया है ठीक नहीं है। मैं इस समस्या को इस दृष्टि से देख रहा हूं कि हमें आगे क्या करना चाहिये ? हम ने जो कुछ भी किया है वह आप के समक्ष प्रस्तुत है तथा उस पर सभा के अन्दर या बाहर जनमत प्रगट हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कार्य की गति, वह धीमी भले ही हो, निश्चित और दृढ़ है। उन कई राज्यों के सम्बन्ध में जो इस ओर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मुझे यही कहना है।

मैं सभा को यह भी बता दूं कि हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की अवस्था के सुधारने का प्रयत्न अगली पंच वर्षीय योजना में और भी तेजी से करेंगे। राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया है, हम उन्हें उस से भी अधिक निधि तथा स्थान देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कारण हमें कभी कभी असुविधा होती है। विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकारें ही क्रियान्वित करती हैं। केन्द्र केवल राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करता है।

श्री धुसिया : राज्य सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं।

श्री दातार : मैं सभा से निवेदन कर रहा हूं कि यह सारी बात तब समझ में आयेगी जब कि सभा के सम्मुख अगला प्रतिवेदन तथा उस के साथ राज्य सरकारों द्वारा पिछले पांच वर्षों में इस सम्बन्ध में किये गये कार्य की जानकारी रखी जायेगी। माननीय सदस्यों ने कार्य न करने का जो आरोप लगाया है। उस के सम्बन्ध में मुझे केवल यही कहना है। सरकार को पूरी तरह ज्ञात है कि यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। मैं उस माननीय सदस्य को, जिन्हों ने इस पर यह आरोप लगाया है कि हम आत्म-सन्तोष तथा आत्म-तुष्टि की भावना से बैठ गये हैं, यह कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई भावना हम में नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि इस समस्या का राष्ट्र के भाग्य से घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि आबादी का पांचवां भाग पिछड़ा हुआ तथा अभाव एवं निर्योग्यता पूर्ण रहे तो भारत में प्रजातन्त्र अथवा लोक कल्याण राज्य सफल नहीं हो सकता है। इसलिये देश के व्यापक हित

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

तथा इन अभागे व्यक्तियों की रक्षा करने की गम्भीर समस्या का सरकार को पता ह । तथा सरकार इस निर्योग्यता को दूर करने तथा प्रगति को पिछले पांच वर्षों की अपेक्षा द्रुत वेग से बढ़ाने के लिये यथासम्भव प्रयत्न करेगी।

दूसरे, कई लोगों के मन में एक प्रकार का भ्रम है कि यह सब दस वर्षों के अन्दर हो जाना चाहिये। इस के पश्चात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सुधार की सभी योजनायें व्यपगत हो जायेंगी। यह बिल्कुल गलत है। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि संसद् तथा विधान सभाओं में दस वर्ष के लिये स्थानों का रक्षण होगा। साथ ही संविधान ने राष्ट्र तथा देश की सरकार पर यह भी दबाव डाला है कि इन लोगों की अवस्था में यथासम्भव शीघ्रता से सुधार होना चाहिये। इसलिये माननीय सदस्यों को अधीर नहीं होना चाहिये कि दस वर्ष के अनन्तर यह कार्य बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। आवश्यकता होने पर इस की अवधि दस वर्ष से अधिक भी बढ़ाई जा सकती है ।

कुछ विशेष बातों का उल्लेख करने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा के हरिजनों तथा अन्य हिन्दुओं के सम्मुख इस के समर्थन में जनमत प्राप्त करना चाहिये। सरकार चाहे कितना ही धन व्यय करे, बिना जनता के क्रियात्मक तथा सजग सहयोग के यह कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये इस कार्य के लिये हमें न केवल विभिन्न राज्य सरकारों तथा पदाधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता है, अपितु माननीय सदस्यों तथा जनता के सहयोग की आवश्यकता है। यह कार्य सरकार तथा ग़ैर-सरकारी संस्थाओं दोनों के सहयोग तथा सामंजस्य से ही सम्भव है। यदि जनता भी इस ओर उतनी ही सजग हो जितनी कि राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार हैं तो यह समस्या माननीय सदस्यों के द्वारा अनुमानित समय से पूर्व ही हल हो सकती है। मैं उन की अधीरता तथा सदिच्छा की प्रशंसा करता हूं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि उन की दशा को यथा संभव शीघ्रता से सुधारने में कोई कसर नहीं उठाई जायेगी। मैं केवल माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वे इसे अतीत का अभिशाप समझें और वे जिस विषमता तथा निर्योग्यता के शिकार हैं उस का कारण प्राचीन इतिहास है। हमें उन का डट कर सामना करना है और उन्हें हरा देना है। इस रूढ़िवादिता तथा पिछड़ेपन की दीवार को अवश्य गिराना है। इसलिये हम जनता का सहयोग चाहते हैं। मुझे यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई है कि कुछ माननीय सदस्यों, जो कि इस अभागी जाति के नहीं हैं, ने भी सरकार तथा जनता के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में पूरी सहानुभूति प्रगट की है तथा सहयोग दिया है।

अब मैं केवल कुछ एक बातें कहूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा समय है। यह कहा गया है कि यद्यपि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम संसद् में पिछले सत्र में पारित हुआ था तथापि अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क है कि जब कभी भी कोई इस प्रकार का अपराध किया जाय तो तत्काल कार्यवाही की जाये। सभा को ज्ञात है कि यह हस्तक्षेप अपराध है तथा राज्य सरकार को ऐसे अनुदेश दिये गये हैं कि इस अधिनियम के उपबन्धों को तुरन्त लागू किया जाय, किन्तु आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि समस्त प्रशासन प्रणाली को इस अधिनियम के अधीन जांच तथा अभियोजन के लिये सन्नद्ध करने में कुछ समय लगेगा। यह एक दण्डात्मक उपाय है इसलिये हम ने राज्य सरकारों को यह अनुदेश भेजे हैं कि

सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

[श्री दातार]

उक्त अधिनियम की प्रतिलिपियां विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में मुद्रित की जायं तथा अधिनियम के पाठ को ग्रामीण क्षेत्रों के सभी भागों में प्रसारित किया जाय । मैं अखिल भारतीय संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं से भी जो कि इस समस्या से सम्बन्धित हैं इस कार्य में सहयोग देने तथा इस का सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिये प्रार्थना करूंगा । जहां तक पुलिस के पदाधिकारियों तथा सरकारी पदाधिकारियों का सम्बन्ध है उन का कर्तव्य है कि वे अपराधों की जांच करें क्योंकि इस अधिनियम के अधीन अपराध हस्तक्षेप्य अपराध हैं । यदि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के ध्यान में कोई ऐसा उदाहरण आता है जहां कि कर्तव्य-पालन में विलम्ब अथवा त्रुटि हुई हो तो वहां पर सरकार पदाधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करेगी । आप जानते हैं कि संसद् ने एक अधिनियम पारित किया है तथा यदि कोई पदाधिकारी उस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन तथा उन को लागू करने में असावधानी बर्तता है तो यह उस पदाधिकारी का दोष है । मैं देखूंगा कि राज्य सरकारें इस मामले में पुनः अनुदेश जारी करें किन्तु अन्ततः जनता का सहयोग अनिवार्य है किन्तु जनता को भी सतर्क रहना चाहिये । ऐसा होने पर आप देखेंगे कि पुलिस पदाधिकारी ऐसे मामले में हस्तक्षेप करते हैं, तथा जांच पड़ताल करते हैं और व्यक्तियों को उचित दंड मिलता है । मैं चाहूंगा कि यथासंभव शीघ्रता से कार्य किया जाय तथा जनता को इस संविधि की दंडनीय व्यवस्था से अवगत कराया जाय । लेकिन श्रीमान्, आप इस बात से सहमत होंगे कि कई मामलों में लोग ऐसी व्यवस्थाओं का लाभ उठाने में बहुत ढ़ील करते हैं क्योंकि कई अन्य असुविधायें हो जाती हैं ।

श्री वेलायुधन : ये उपबन्ध निरर्थक हैं । न्यायाधीशों तथा वकीलों ने अपनी कठिनाई व्यक्त की है ।

श्री दातार : इस अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में, किसी भी निर्णय में मैं ने ऐसी बात नहीं सुनी है । यदि कुछ कठिनाइयां हों तो हम संशोधन रखने को प्रस्तुत हैं किन्तु हम चाहते हैं कि इस अधिनियम के उपबन्धों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाय जिस से कि हिन्दुओं की अन्य जातियों के हृदय में भय उत्पन्न हो । उन्हें यह जानना चाहिये कि अस्पृश्यता का न केवल निवारण हो चुका है बल्कि ऐसा करना एक अपराध है । यदि वे तब भी ऐसा करें तो उसका दंड भुगतें ।

मैं सेवा के प्रश्न पर विस्तार से नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उस विषय पर राज्य सभा में पर्याप्त कह चुका हूं तथा माननीय मंत्री भी इस प्रश्न के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में कह चुके हैं । हम नौकरियों में लियेजाने वाले हरिजनों की संख्या में यथासम्भव वृद्धि कर रहे हैं किन्तु वृद्धि क्रमशः ही होगी । यह वृद्धि अकस्मात नहीं हो सकती । मैं केवल सभा को यह बता दूं कि यह समस्या बहुत बड़ी है । प्रश्न पदों के वितरण का नहीं वरन् उपयुक्त पदाधिकारियों के चुनाव का है । हम चाहते हैं कि यथासंभव बड़ी से बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को नौकरियों में लिया जाय तथा इस सम्बन्ध में हमारी ओर से जितना भी सम्भव होगा, किया जायेगा । जैसा कि मैं ने इस सभा को बताया, हमारे यहां एक विशेष विभाग है जिस में भर्ती के प्रश्न पर बारम्बार ध्यान दिया जाता रहा । इस ओर एक माननीय सदस्य ने मुझ से पूछा कि जहां तक सरकार की नीति लागू नहीं की जाती उस संबंध में हम क्या कर रहे हैं । विभिन्न मंत्रालयों के ऊपर मंत्री

लोग हैं और जहां कहीं यह दिखाई पड़ता है कि पद वृद्धि के किसी मामले में, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के किसी सदस्य के अधिकार की उपेक्षा की गई है, तो वह मामला मंत्री के पास भेजा जाता है और मंत्री को इस बात का समाधान करना होता है कि वह उचित था। यदि वे इस निर्णय पर पहुंचे कि वह गलत था, तो उसे रद्द कर दिया जाता है। अतः हमारी सरकार यथासंभव प्रत्येक कार्यवाही कर रही है। सभा इस ख्याल में न रहे कि सरकार अछूतों अथवा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के खिलाफ है। सरकार चाहती है कि जहां तक हिन्दू जाति के इन भागों का सम्बन्ध है, उन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

अब मैं वाद-विवाद के दौरान में उठाई गई कुछ बातों का विवेचन करूंगा। १९५५ की जनगणना के फलस्वरूप, कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। सरकार ने इन कठिनाइयों पर विचार किया है और कुछ मामलों में उन का हल भी निकाला है। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि १९५१ के चुनावों के पहले सरकार ने १९४९ या १९५० में यह नीति निर्धारित की थी कि जहां व्यक्तिगत जातियों की गणना का प्रश्न है, कोई गणना ही नहीं होनी चाहिये क्योंकि सरकार का दृष्टिकोण और उस की इच्छा यह थी कि जाति-विहीन और वर्ग-विहीन समाज होना चाहिये। अतः १९५१ के चुनावों की तैयारी के समय यह नीति निर्धारित की गई थी कि जातियों, वर्गों आदि की कोई गणना नहीं की जानी चाहिये। किन्तु सरकार ने एक अपवाद बनाया क्योंकि आखिर संविधान में भी एक अपवाद बनाया जा रहा था। इन वर्गों के लिये तीन कालम थे, एक अनुसूचित जातियों के लिये, दूसरा अनुसूचित आदिम जातियों और तीसरा कुछ पिछड़े वर्गों के लिये था जिन्हें विभिन्न राज्यों ने स्वीकार कर लिया था। इस आधार पर, संविधान लागू किये जाने के बाद, राष्ट्रपति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में आदेश जारी किये। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हमें दी गयी सामग्री के आधार पर ये आदेश तैयार किये गये थे। यद्यपि अनेक जातियों का उल्लेख किया गया था, फिर भी कुछ प्रचलित नामों का, उदाहरणार्थ पर्यायवाची नामों का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया था। अतः आदेश द्वारा स्वीकृत किसी विशिष्ट अनुसूचित-जाति का नाम देने के बजाय उन्होंने सर्वसाधारण नाम दिया। उदाहरणार्थ, कुछ मामलों में "हरिजन" नाम दिया गया। दक्षिण में वे कभी कभी आदि कर्नाटक, आदि आन्ध्र अथवा आदि द्रविड़ कहते हैं; ये नाम नहीं दिये गये थे और अन्त में जब गणना का प्रश्न उपस्थित हुआ तब वे उन नामों को स्वीकार न कर सके क्योंकि "हरिजन" अथवा अन्य नाम वहां नहीं रखे गये थे। इस-प्रकार कुछ कमी रह गई और कुछ जातियों के नाम बिल्कुल ही सूची में दर्ज न किये जा सके। उदाहरणार्थ मध्य भारत राज्य में, मैं ने यह देखा कि चुनावों के पहले एक जाति के सदस्यों का यह मत था कि वे अपने को अनुसूचित जाति के सदस्य न कहें। एक बहुत बड़ी और अच्छी जाति ने भी अपने को "अछूत" कहलाने से इन्कार कर दिया। पिछड़े वर्गों के कालम में भी, अनेक जातियों का कोई उल्लेख नहीं है और सब पिछड़ी जातियों के सभी लोगों को एक साथ रख दिया गया था। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को भी एक साथ रख दिया गया था। अतः कुछ मामलों में संख्या नीचे गिर गई और राज्य सरकारों ने भी यह प्रश्न हमारे सम्मुख रखा। हैदराबाद सरकार, सौराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और अन्य दूसरी सरकारों ने भी यह प्रश्न उठाया। उदाहरणार्थ, धोबी

[श्री दातार]

जाति के अनेक नाम हैं; दक्षिण के कुछ भागों में और बम्बई राज्य में उन्हें परीट, धोबी, रजक, अगासिका आदि कहा जाता है। इन में से कुछ नामों का, खास कर बहु-भाषी नामों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये शिकायतें आने के तुरन्त बाद सरकार ने सम्पूर्ण विषय की जांच की। सौराष्ट्र और हैदराबाद के मामले में इन जातियों के संबंध में, अब गणना ठीक कर दी गई है। बिहार और यू० पी० के बारे में हम प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। खास कर बिहार के दरभंगा जिले में समस्या बहुत कठिन हो गयी। इस जिले के सम्बन्ध में किसी प्रकार आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। हम ने संख्या में कमी के कारण ढूंढ़ निकालने के लिये सुपरिन्टेंडेंट से कहा है। इस जिले में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या भी बहुत कम थी। मैसूर और मद्रास के मामले में भी, जहां संख्या बहुत काफी है हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं। सरकार ने पहले ही कुछ कार्यवाही की है और जहां तक सौराष्ट्र और हैदराबाद का संबंध है, अब परिसीमन आयोग ने भी हमारे निर्णय स्वीकार कर लिये हैं। अन्त में आप देखेंगे कि संख्या बहुत अधिक नहीं है। मेरे पास यहां आंकड़े हैं और उन से यह स्पष्ट होगा कि यह संख्या इतनी अधिक नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य विश्वास करते हैं। मैं बताऊंगा कि संख्या की कमी बहुत बड़ी नहीं है। संपूर्ण बिहार राज्य के सम्बन्ध में संख्या ३,३७,००० कम हो गई। वह मद्रास में ८ लाख और हैदराबाद में ३,७३,००० थी। मैसूर के सम्बन्ध में वह १,३०,००० कम हो गई। ये सभी आंकड़े अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में हैं। दिल्ली राज्य के सम्बन्ध में स्थिति थोड़ी अधिक विचित्र थी। विगत सामान्य निर्वाचनों के लिये निर्वाचक-सूचियों और निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, उन्हें १९४१ की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्भर रहना पड़ा। १९५१ की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के कारण, दिल्ली के मामले में उन्होंने पंजाब सम्बन्धी आंकड़ों को ध्यान में रखा। वह सूची शुद्ध सूची नहीं थी। सारे मामले की जांच की गई और यह मालूम हुआ कि १९५१ की जनसंख्या के अनुसार भी ये आंकड़े बहुत अधिक नहीं होंगे। मूलतः ये २ लाख के लगभग थे। फिर इन की संख्या २,६८,००० अथवा २,६९,००० हो गई। इस मामले में भी इस की संख्या अधिक नहीं है। सदन को मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी कोई न्यायिक आधार मिला है सरकार ने सभी उचित कार्यवाही की है, और कुछ मामलों में कमियों को ठीक भी किया है। सरकार इस बात की इच्छुक है कि कमियों और भूलों के सभी प्रमाणित मामलों में उचित सुधार किया जाना चाहिये। उन को इस प्रकार किया जायेगा कि साधारण निर्वाचन के समय सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को या तो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के रूप में घोषित कर दिया जायेगा।

पिछड़े वर्गों के आयोग के प्रतिवेदन के बारे में भी एक प्रश्न था। उस प्रश्न को मैं नहीं ले रहा हूं। किन्तु जैसा कि आप जानते हैं कि पिछड़े वर्गों के आयोग से हमने प्रार्थना की थी कि राष्ट्रपति के इन तीन आदेशों के सम्बन्ध में यदि भूल से अथवा कृति से कोई कमी है तो वे हमें बतायें। उन से हमें कुछ सूचियां मिली हैं और वे सूचियां हमारे विचाराधीन हैं। हम राज्य सरकारों से परामर्श ले रहे हैं। जैसे ही राज्य सरकारों से हमें सूचना मिलती है और इस के बारे में अंतिम निर्णय होता है, तो यहां एक संशोधन प्रस्तुत करके राष्ट्रपति के आदेशों के बारे में उचित कार्यवाही की जायेगी। क्योंकि अनु-

सूचित जातियों और आदिम जातियों के बारे में कोई संशोधन करने में सदन को प्रसन्नता होगी।

श्री राने (भुसावल) : यह प्रतिवेदन जनता को कब तक मिल जायेगा ?

श्री दातार : कुछ समय लगेगा। हम इस की जांच कर रहे हैं और हमें राज्य सरकारों से परामर्श करना होगा।

आंग्ल भारतीयों के बारे में मैं कुछ और नहीं कहूंगा। इस के बारे में शीघ्र ही विचार किये जाने की संभावना है। किन्तु इन सभी बातों के बारे में मैं यह बता देना चाहूंगा कि हमारे पास इस बात के आंकड़े हैं कि कुछ मामलों में उपलब्ध प्रार्थियों की संख्या वास्तविक पदों पर नियुक्त किये जाने वालों की अपेक्षा बहुत ही कम थी। दूसरी बात जहां तक कि लोक सेवा आयोगों, रेलवे लोक-सेवा आयोगों अथवा अन्य आयोगों, का सम्बन्ध है, गैर-सरकारी संस्थाओं की सिद्धान्त के आधार पर, आसानी से उन तक पहुंच हो सकती है। वे कुछ व्यक्तियों के नाम निर्देशन करने के लिये नहीं पहुंच सकते और उन्हें नहीं पहुचना चाहिये। जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विचार करना पड़ता है तो आयोगों के लिये उस समय स्थिति बड़ी भद्दी हो जाती है। तब तक आप देखेंगे कि जिस प्रकार संघ लोक-सेवा आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति के हैं उसी प्रकार रेलवे आयोगों में भी एक सदस्य हरिजन हैं। अगर मैं भूल नहीं करता हूं तो रेलवे आयोगों में से एक आयोग के अध्यक्ष एक आंग्ल भारतीय हैं। इस से आपको यह प्रकट हो जायेगा कि सरकार पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है। अनुदानों की कमी के सम्बन्ध में की गई शिकायत के बारे में भी सरकार यह देखेगी कि कोई कमी न की जाये। एक सरकार के मामले में भी जहां आंग्ल भारतीयों सम्बन्धी संविधान के उप-बन्धों के बारे में हुई भ्रान्ति के आधार पर कुछ धन नहीं दिया गया था--आप देखते हैं कि अनुच्छेद ३३६ के अधीन अनुदान को धीरे धीरे दस प्रतिशत कम करना है--वहां इस मामले विशेष में भी एक वर्ष जहां विधि के अनुसार भ्रान्ति के आधार पर कुछ अनुदान कम दिया गया था। वहां अगले वर्ष उस अनुदान में कोई भी कमी नहीं की गई। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक आंग्ल भारतीयों का सम्बन्ध है संविधान में दिये गये सभी आश्वासनों को सरकार पूरा करेगी। सरकार की यह कभी भी इच्छा नहीं रही कि उस ने जो आश्वासन दिये हैं उन से अलग हटे अथवा उसे उन से छुटकारा पाये। वे केवल १० वर्ष के लिये हैं। सभी मंत्री, रेलवे मंत्रालय और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड इस बात के इच्छुक हैं कि हम ने जो कुछ भी वचन दिये हैं में अनुसूचित जातियों के हित में उन को पूर्ण रूप में कार्यान्वित करना चाहिये।

माननीय मित्र श्री नवल प्रभाकर की शिकायतों के बारे में भी कुछ कहा गया है। दिल्ली सम्बन्धी इन सभी शिकायतों के बारे में मैं जांच करूंगा। मैं यह भी बताऊंगा कि एक समय एक माननीय सदस्या ने एक सार्वजनिक संस्था के बारे में जिसे सरकार द्वारा सहायता दी गई थी, कुछ आरोप लगाये हैं, यह वह संस्था है जो पीपिल सोसायटी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जाती हैं। यह संस्था स्वर्गीय लाला लाजपत राय द्वारा चलाई गई थी। कुछ सदस्य जैसे, श्री टंडन, श्री बी० जी० मेहता, और श्री अल्गू राय शास्त्री इस समिति के सदस्य हैं। विमुक्त जाति संघ की अध्यक्षा श्रीमती रामेश्वरी नेहरू हैं। जब कभी कोई अनियमितता होती है तो उन की ओर इन का ध्यान आकर्षित किया जाता है और उन को दूर करने के लिये कार्यवाही की जाती है। दुर्भाग्य से यहां एक ऐसे व्यक्ति का नाम बहुत बड़े समाज कार्य कर्ता के रूप में लिया गया है जिस के विरुद्ध एक अभियोग निलम्बित है। जब कि उस के विरुद्ध अभियोग निलम्बित

[श्री दातार]

है तो उस की निन्दा करना अथवा उस की प्रशंसा भी करना भूल होगी। मैं निवेदन करता हूं कि विशेषतया भारतवर्ष में, ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के सम्मान के बारे में हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यह संस्थायें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सदन में इन संस्थाओं के बारे में, कुछ तत्वों के आधार पर जो एक प्रकार से इकतरफा कही जा सकती हैं, कुछ कहने का अभिप्राय यह होगा कि जनता में इन संस्थाओं के विरुद्ध प्रभाव पड़ सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि किसी सार्वजनिक संस्था के बारे में माननीय सदस्य यहां कोई बात न करें। यदि कोई उन्हें शिकायत है कि उन का कार्य ठीक रूप से नहीं चल रहा है तो इस सदन को मैं आश्वासन देता हूं कि हम उचित कार्यवाही करेंगे। इस विशेष मामले में भी सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिये हम ने यह किया है कि हम इस संस्था को दिल्ली सरकार के द्वारा सहायता दे रहे हैं। विमुक्त जाति संघ द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उस की पूरी पूरी देखभाल दिल्ली सरकार कर रही है।

श्री रामानन्द दास : क्या सरकार सेवक राम के चरित्र के बारे में जांच करने के लिये कोई जांच समिति की स्थापना करेंगी ?

श्री दातार : जो कुछ भी आवश्यक है वह कर दिया गया है। यदि माननीय सदस्य को कुछ कठिनाइयां हैं, यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वे किसी भी समय मेरे पास आयें और मैं पूरी जांच करने के लिये तैयार हूं और देखूंगा कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा कोई भूल अथवा अन्याय नहीं किया जाता है।

और बहुत से सुझाव दिये गये हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम ने कार्यवाही की है। शिक्षा मंत्रालय को दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में वांछित प्रमाण पत्रों के बारे में हम ने निश्चय किया है कि ये प्रमाण पत्र पदाधिकारियों द्वारा दिये जाने चाहियें। ये प्रमाण-पत्र ग़ैर-सरकारी पदाधिकारियों द्वारा नहीं दिये जा सकते क्योंकि कुछ जांच करनी होती है। मान लीजिये कुछ प्रमाण-पत्र सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिये जाते हैं तो वे रोक लिये जायेंगे और उन के विरुद्ध विभागीय जांच की जायेगी। ग़ैर-सरकारी पदाधिकारियों के बारे में यह बात नहीं उठती। इसलिये हमें पदाधिकारियों के प्रतिवेदन और पदाधिकारियों के प्रमाणपत्रों पर निर्भर रहना होगा क्योंकि उन के पास कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन से यह मालूम किया जा सकता है कि अमुक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिये अथवा नहीं दिया जाना चाहिये।

जहां तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुदान देने में विलम्ब का प्रश्न है, विलम्ब हो ही जाता है। यह समस्या बहुत विशाल है। जहां तक मैट्रिक, स्कूल फाइनल तथा तत्स्थानी परीक्षाओं का सम्बन्ध है, जून में परिणाम निकलता है। इस के तत्काल पश्चात् ही आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। इस वर्ष आप को ज्ञात होगा कि ५४,००० आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। सरकार १,३०,००,००० रुपये छात्रवृत्ति में देगी। इन सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। कुछ विशेष कर्मचारियों को इस कार्य के निमित्त नियुक्त किया गया है। कभी हम से इन प्रतिवेदन-पत्रों को लेने की तारीख बढ़ाने की प्रार्थना की जाती है। इसलिये हम ने ऐसे अनुदेश जारी कर दिये हैं कि उन सभी मामलों में जहां आवेदन पत्र प्रत्यक्षतः, स्वीकार किये जाने योग्य हों, तो उसवि शेष विद्यार्थी को शुल्क न चुकाने

के कारण प्रवेश अथवा अध्ययन जारी रखने से न रोका जाये। इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है और जहां तक संभव होगा, कार्य किया जायेगा ।

कई माननीय सदस्य मंत्रणादाता निगमों के भी प्रतिनिधि हैं, जब कि इतनी बड़ी राशि अर्थात् १,३०,००,००० रुपये दिये जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि यथासम्भव शीघ्र ही इस राशि का उपभोग हो और यह व्यक्तियों को मिल सके ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पिछले वर्ष और इस वर्ष भी सभा में यह शिकायत की गई है कि जितना रुपया आप अनुसूचित आदिम जातियों को देते हैं उस का बड़ा भाग ईसाइयों को दे दिया जाता है । आप इस प्रश्न की यर्थाथता की जांच कीजियेगा ।

श्री दातार : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं सभा में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं । जहां तक अनुसूचित जातियों का प्रश्न है, वे तो हिन्दू ही होने चाहियें । यदि वे कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो वे अनुसूचित जातियों के नहीं रह जाते और इसीलिये वे सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं । पर जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का प्रश्न है, वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं, क्योंकि अनुसूचित आदिम जातियों की गणना के सम्बन्ध में कोई रक्षण नहीं किया गया है और इसलिये माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, वह एक जटिल प्रश्न है । जैसे यदि, अनुसूचित आदिम जातियों के ईसाई विद्यार्थी आवेदन पत्र देते हैं और उन के आवेदन पत्र सब प्रकार से ठीक हैं, तो यह सरकार का अन्याय होगा कि वह केवल इस आधार पर उन अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं देती कि वह ईसाई हैं । यह सच है .....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह शिकायत नहीं करता हूं । जो लड़के हैं, चाहे वे हिन्दू हों, या ईसाई, उन को जरूर दीजिये । लेकिन शिकायत तो यह है कि जो नान-क्रिश्चियन हैं, उन को उन का हिस्सा तो क्या, उस का इश्रे-अशीर भी नहीं मिलता है । एक आनरेबल मेम्बर ने इस बारे में फिगर्ज दिये हैं जो कि बड़े रिवीलिंग हैं । आप उन की स्पीच को पढ़िये और इस मामले को एग्जामिन कराइये ।

श्री दातार : अच्छा । माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं समझ गया उनका कहना है कि अनुसूचित आदिम जातियों के गैर-ईसाई बच्चों को उन का पूरा हिस्सा नहीं मिलता । उन्होंने अनुसूचित आदिम जातियों का एक और विभाजन कर लिया है । अनुसूचित आदिम जातियों में इस प्रकार का कोई वर्ग-विभाजन नहीं किया जा सकता और हम अनुसूचित आदिम जातियों के लड़कों और लड़कियों के सभी आवेदन पत्र .....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : पर एक जाति एक वर्ग या एक उपवर्ग को ही सारा धन नहीं दिया जा सकता ।

श्री दातार : अनुसूचित जातियों के अन्दर हम वर्ग विभाजन नहीं कर सकते । हम केवल इतना कर सकते हैं कि राज्य सरकारों से अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को अधिक अनुदान देने के लिये कहें, यदि दोनों को दिये जाने वाले अनुदानों में बहुत अन्तर है । पर आप ध्यान रखें कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को योग्यता के आधार पर ही निश्चित किया जायेगा और शिक्षा मंत्रालय के लिये यह काम बहुत कठिन होगा कि वह अनुसूचित आदिम जातियों के ईसाइयों और गैर-ईसाइयों में कोई भेद कर सके ।

एक माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के सम्बन्ध में हम यह कर रहे हैं ।

[श्री दातार]

एक तो जगहें ही बहुत कम होती हैं, दूसरें उन लोगों की शिक्षा के लिये ठीक वातावरण न मिलने के कारण उन में से अधिकांश लोग व्यक्तित्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जब अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों का कोई लड़का या लड़की लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा दोनों में उत्तीर्ण हो जाती है तो हम उसे अवश्य ले लेते चाहे हैं उस का क्रामिक स्थान कुछ भी हो। यह बात हम उसे एक विशेष मामला मान कर करते हैं। अन्यथा, हम योग्यतानुसार उम्मीदवारों को लेते हैं पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मेदवारों के मामलों में हम सफल लोगों की सूची को काफी बढ़ा देते हैं। अतः माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सच नहीं है।

व्यक्तित्व परीक्षा एक आवश्यक परीक्षा है। आप इसे साधारण बात कह कर टाल नहीं सकते। इन उम्मीदवारों को पूरे जिले का अधिकार सौंपा जाता है अतः हमें ध्यान रखना चाहिये कि यह पदाधिकारी ठीक प्रकार प्रशिक्षित हों। इसलिये हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि लिखित या मौखिक (व्यक्तित्व) परीक्षा म बैठने से पूर्व उन्हें एक शिक्षण कक्षा की परीक्षा पास करनी होगी जहां उन्हें समुचित शिक्षा दी जायेगी। यदि ऐसा किया जायेगा तो लिखित और व्यक्तित्व दोनों परीक्षाओं में अधिक उम्मेदवार सफल होंगे। सरकार के सामने बहुत सी योजनायें हैं और सरकार ऐसे विद्यार्थियों की मदद प्रसन्नतापूर्वक करेगी क्योंकि हम उन की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। अतः एक परीक्षा पूर्व शिक्षा या प्रशिक्षण की बात पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामानन्द दास : इस सम्बन्ध में कमिश्नरों को काफी अधिकार दिये जाने चाहियें।

श्री दातार : इस बात का अधिकार संसद् को है। अनुच्छेद ३३८ के अनुसार कमिश्नर को केवल रिपोर्ट की जांच करनी होती है। उसे या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई कार्यपालिका अधिकार नहीं है। हमें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है और राज्य सरकारें अपना कार्य संतोषजनक ढ़ंग से कर रही हैं।

जहां तक आदिम जातियों के कल्याण का प्रश्न है, सरकार इस सम्बन्ध में, बहुत ध्यान दे रही है। आज के इण्डियन एक्सप्रैस समाचार-पत्र में एक सम्पादकीय टिप्पणी में कहा गया है कि यद्यपि यह आवश्यक है कि हम उन्हें अपने स्तर पर ले आवें, पर हमें उन की संस्कृति की भी रक्षा करनी है। हमें धैर्य से काम करना चाहिये, क्योंकि तेजी से उन्नति करने में सम्पूर्ण स्थिति के खराब हो जाने का भय है।

श्री बल्मीकी : उस दिन माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का संशोधन किया जायेगा और सरकार उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व देने का विचार कर रही है। क्या सरकार ने चुनाव आयोग को आदेश भेजा है कि वह अधिक चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था करे ?

श्री दातार : यह कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। हमें पिछड़ी जाति आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का मत जानना है। और किसी विशेष जाति या आदिम जाति को सरकार मिलाना चाहेगी या निकालना चाहेगी, यह निश्चय करने के बाद सरकार परिसीमन आयोग को इस की सूचना देगी और अन्य कार्यवाही करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्तावों को लूंगा। जो माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव रखना चाहते हैं वह कृपा कर के बतायेंगे।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १३ पर आग्रह करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन संख्या १३ का प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री कामत : मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १५ पर आग्रह करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री कामत के संशोधन संख्या १५ का प्रस्ताव रखा गया और अस्वीकृत हुआ

श्री नवल प्रभाकर : मैं अपने प्रस्तावों पर जोर नहीं देता हूं ।

श्री के० के० बसु : हम स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २५ मतदान के लिये रखवाना चाहते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा संख्या २५ रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्य प्रस्तावों को अस्वीकृत मान लेता हूं, क्योंकि उन पर जोर नहीं दिया गया है । मूल प्रस्ताव का कोई संशोधन स्वीकृत नहीं हुआ ।

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार सम्बन्धी श्वेत पत्र पर विचार किया जाये ।"

सभा से गैट पर विचार करने के लिये कहते समय मैं इस की पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं क्योंकि उस के बिना बहुत से माननीय सदस्यों के लिये उस पर ठीक दृष्टिकोण से विचार करना बहुत कठिन होगा ।

युद्ध के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के चलाने के लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय करार नहीं था । सभी देश अपने पक्ष के देशों को प्रशुल्क देने की बात आपसी करारों के आधार पर तय कर लेते थे । प्रत्येक देश प्रशुल्क तथा अभ्यंशों के सम्बन्ध में किसी भी राज्य को प्राथमिकता देने या उस के साथ पक्षपात करने के लिये स्वतन्त्र था । और माल को लागत-व्यय के कम मूल्य पर बेचने या सहायता प्राप्त निर्यातों पर भी कोई रोक नहीं थी ।

युद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र द्वारा राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में केवल राजनैतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक सद्भावना बढ़ाने के लिये एक प्रयत्न किया गया । व्यापार और नियोजन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में १९ राष्ट्रों को जिस में हमारा राष्ट्र भी था, आमन्त्रित किया गया । इस समिति को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के लिये घोषणा पत्र बनाने के लिये बुलाया गया था । इस समिति की पहली बैठक लन्दन में १९४६ के अन्त के लगभग हुई थी । उस समिति ने तय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के बनने के पूर्व प्रशुल्क कम करने, अन्य व्यापारिक प्रतिबन्धों को हटाने और प्राथमिकताओं को समाप्त करने के लिये बातचीत और सन्धियां की जानी चाहियें । इस के परिणामस्वरूप १९४७ में प्रशुल्क संधि के लिये २३ राष्ट्रों का सम्मेलन जेनेवा में हुआ और उस में भाग लेने वाले देशों ने बहुत सी वस्तुओं के सम्बन्ध में तय किया कि अमुक वस्तुओं का आयात-शुल्क कम कर दिया जाय और भविष्य में बढ़ाया न जाय ।

यद्यपि प्रशुल्क संधि केवल आपसी राष्ट्रों की सुविधा के लिये की गयी थी पर उस से राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को लाभ हुआ । इन सन्धियों के परिणाम स्वरूप भारत को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी चीजों के निर्यात पर जैसे संयुक्त राज्य अमरीका, कैनेडा न्यूजीलेंड, आस्ट्रेलिया, आदि

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

से जूट की रस्सी या जूट के सामान पर; आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा आदि से सूती कपड़े पर; संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया आदि से नारियल के जटा से बने सामानों पर; संयुक्त राज्य अमरीका, कैनेडा, फ्रांस आदि से चाय पर; संयुक्त राज्य अमरीका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि से ऊनी दरियों और कम्बलों पर; आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमरीका आदि देशों से लाल मिर्च, अदरक और अन्य मसालों पर, काफी प्रशुल्क रियायत मिली ।

मैं यहां पर उन सभी रियायतों की गणना नहीं करूंगा जो भारत के निर्यात व्यापार को जेनेवा सम्मेलन या गैट के अन्य सम्मेलनों के आधार पर मिलीं क्योंकि उन का पूरा विवरण अभी हाल में प्रकाशित हो चुका है और सभा में दिया जा चुका है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जैनेवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रशुल्क घटाना था; साथ ही यह भी विचार था कि यदि यह नियम लाभदायक सिद्ध हुए तो कुछ व्यापार नियम बनाये जायेंगे ताकि अभ्यंशों या अन्य किन्हीं प्रकारों से इन रियायतों को रोका न जा सके । यह भी आवश्यक था कि एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित की जाये जो इस बात का ध्यान रखे कि क्या करार पर हस्ताक्षर करने वाले देश प्रशुल्क संबंधी वादों का ठीक ठीक पालन कर रहे हैं । उसी समय यह निश्चय किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन इन सब बातों के लिये जिम्मेदार बनाया जाय और इसी कारण इन सब मामलों के सम्बन्ध में एक स्थायी करार की आवश्यकता समझी गयी । इसी कारण व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार बनाया गया ।

गैट में तीन भाग हैं । भाग १ में, प्रशुल्क रियायत संबंधी बातें हैं, भाग २ में, सामान्य व्यापार नियम और भाग ३ में प्रशासन सम्बन्धी मामले । भाग ३ में यह स्पष्ट बताया गया था कि हवाना घोषणा पत्र के लागू होने के समय तक यह करार एक अस्थायी करार माना जायेगा और यदि हवाना करार कार्यान्वित नहीं होता तो इस करार का पुनर्विलोकन किया जायेगा । सभा को पता है कि मार्च १९४८ का हवाना घोषणा पत्र वैसे ही रह गया अतः गैट ही तब से चलता आया है । पहले की संसद् के जो सदस्य हैं, उन्हें स्मरण होगा कि हम ने गैट के उपबन्धों और १९४९ के हवाना घोषणा पत्र पर विचार किया था और भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने गैट को कार्यान्वित करने के लिये प्रशुल्क का संशोधन करने के लिये एक विधेयक का प्रस्ताव किया था । गैट के उपबन्धों के अनुसार उस के अन्तर्नियमों का पुनर्विलोकन आवश्यक था । गत जाड़ों में जेनेवा में उस का पुनर्विलोकन किया गया । इस का अभिप्राय गैट को आवश्यकतानुसार संशोधन करना और उसके प्रशासन के लिए एक संगठन स्थापित किया जाना था क्योंकि हवाना घोषणा पत्र कार्यान्वित नहीं किया गया था।

पुनर्विलोकन की तैयारी करते समय हमारे मंत्रालय ने महत्वपूर्ण व्यापारियों और उद्योगपतियों से, मान्य अर्थशास्त्रियों से और सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों से परामर्श किया । भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ तथा संगठित वाणिज्य मंडल से भी इस मामले पर विचार मांगे गये थे । मेरे माननीय मित्र श्री बंसल, जो संघ के महामंत्री हैं जनेवा जाने वाले भारतीय शिष्टमंडल द्वारा तैयार किये जाने वाली सामग्री के अध्ययन करने वालों में से एक थे और शिष्टमंडल के सदस्य भी थे । अन्तिम अवस्था में योजना आयोग तथा प्रशुल्क आयोग दोनों ने पूरे सहयोग से संक्षिप्त जानकारी तैयार की । यह सभी परामर्श गोपनीय था । यदि गैट (व्यापार तथा

प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) के अनेक पहलुओं पर हमारा दृष्टिकोण अन्य देशों को पहले से ही मालूम होता तो हमारे प्रतिनिधि-मंडल को अपने कार्य में बहुत सी बाधायें आ जातीं ।

हम ने जो इस का सविस्तार अध्ययन किया उस से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गैट के उपबन्ध मोटे तौर पर हमारी अपनी विचार-धारा और हितों के ही अनुकूल थे । किन्तु इस में कई ऐसी बातें थीं जिन में न केवल हमारे दृष्टिकोण से अपितु उन अनेक देशों के हितों में, जो हमारे देश के समान ही अपनी अर्थ-व्यवस्था को तीव्र गति से विकसित करने के इच्छुक हैं, परिवर्तन किया जाना आवश्यक था ।

विशद रूप से गैट के तीन उद्देश्य हैं :— प्रथम, विभेद नीति को दूर कर देना; द्वितीय, सभी प्रकार के अनुचित व्यवहार का उन्मूलन करना; और तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की निर्बाधता में बाधा बनने वाली बातों को कम करना । बुनियादी तौर पर हम प्रथम दो उद्देश्यों में पूरे हृदय से रुचि रखते हैं । हमारा भेद नीति में कोई विश्वास नहीं । सच यह है कि हमारे अपने व्यापार की व्यवस्था और व्यापार को शासित करने वाले नियमों में केवल एक बात को अपवाद मान कर इस साधारण नियम का पालन किया है, और जिस समय हम ने गैट के मूल रूप से सहमति प्रकट की, हम ने केवल एक देश के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३५ के उपबन्धों से काम लिया, किन्तु यह सब उन कारणों से हुआ जो प्रस्तुत विषय की चर्चा की वस्तु नहीं ।

दूसरे मोटे तौर पर हमारे आयात लाइसेन्स सभी जगत के लिये मान्य हैं, हां, केवल डालर क्षेत्र को छोड़ कर, क्योंकि डालरों के अभाव में हमें इस सम्बन्ध में अधिक कठोर रहना पड़ता है । इसी तरह, प्रशुल्कों के सम्बन्ध में हम उन देशों पर कोई अलग दर लागू नहीं करते जिन का हमारे साथ सर्वाधिक पक्षपातपूर्ण राष्ट्र करार नहीं हुआ है । हम राष्ट्र मंडल और उस से बाहर के कुछ विशेष देशों से मिलने वाली कई विशिष्ट वस्तुओं को अवश्य प्राथमिकता देते हैं । हम विशद रूप से इन प्राथमिकताओं को चलने दे रहे हैं क्योंकि जब तक कई देशों को कुछ एक विशेष बाजारों में प्राथमिकतायें मिलती हैं, तब तक हम अपनी प्राथमिकतायें छोड़ नहीं सकते । यह गैट नई प्राथमिकताओं के बनने पर रोक लगाता है और गैट के अन्तर्गत प्रशुल्क सम्बन्धी वार्ताओं के परिणाम-स्वरूप प्राथमिकता का क्षेत्र बहुत हद तक संकुचित हुआ है ।

अब मैं गैट के दूसरे उद्देश्य, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य को नियमित रूप देने के लिये व्यापार नियमावली का उपबन्ध करना, के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा । इस श्रेणी में माल के आने जाने की स्वतन्त्रता, आगम शुल्क प्रयोजनार्थ मूल्यांकन विधियां और आयात निर्यात से सम्बद्ध औपचारिकतायें, आदि मामले आते हैं । साहाय्य और कम मूल्य पर विदेशों में विक्रय जैसी आपत्तिजनक प्रथाओं के सम्बन्ध में भी उपबन्ध हैं । ये सभी ऐसे मामले हैं जिन के लिये हम निसंकोच गैट के सिद्धान्तों से सहमत हो सकते हैं । वास्तव में, वे हमारे ही हित में बहुत आवश्यक बातें हैं । हम अपने इस देश में यहां के निर्यात पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षत: रूप में कोई भी सहाय्य नहीं देते । हम अन्य बाजारों में कम मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय नहीं करते किन्तु यदि अन्य देश इसी नियमावली का अनुसरण नहीं करते, तो स्पष्ट है कि हमारे निर्यात तथा हमारे घरेलू उद्योगों को धक्का लगेगा । इस समस्या के अध्ययन से हमें इस बात का विश्वास हुआ कि जहां तक भेद न करने तथा व्यापार के नियमों का सम्बन्ध था, गैट को न केवल हमारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

था बल्कि इस के उपबन्धों को दृढ़ता प्रदान की जानी चाहिये थी ।

व्यापार की रुकावटों को कम करने के प्रश्न के साथ ही हम ने यह अनुभव किया कि गैट के उपबन्धों में संशोधन करने की आवश्यकता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक धन का नियोजन करने के नाते हमारा देश स्वभावतः इस सिद्धान्त का समर्थन करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निर्बंध हों और उस में न्यूनतम रुकावटें हों । हमारे बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिन का अस्तित्व निर्यात बाजारों पर निर्भर है । पटसन, चाय, अभ्रक और नारियल की जटा उद्योग इन में से कुछ हैं । हम यह नहीं चाहते हैं कि अनुचित प्रतिबन्धों के कारण इन उद्योगों को हानि उठानी पड़े । जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास होता जाता है यह अनिवार्य हो जाता है कि हम कुछ ऐसी वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन दें जिस से कि उन का उत्पादन करने वाले हमारे अपने उद्योगों को बढ़ने का अवसर मिले । वास्तव में औद्योगीकरण के प्रारम्भ में लगाये गये ऐसे प्रतिबन्धों से अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण अधिक बढ़ जाता है क्योंकि जैसे जैसे निर्वाह स्तर बढ़ता जाता है आयात की मांग भी बढ़ती जाती है । व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार का मूल प्रारूप जब तैयार किया गया था उस समय भी इस बात को माना गया था और इसीलिये अनुच्छेद १८ में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष उपायों का उपबन्ध किया गया था । इस सम्बन्ध में औद्योगिक रूप से आगे बढ़े हुए देशों की समस्या उन देशों की समस्याओं से बहुत भिन्न है जो कि अभी विकास के प्रारम्भिक प्रक्रमों में हैं और पुराने करार ने इसी बात पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उन के द्वारा व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्धों और उद्योगों के संरक्षण के सम्बन्ध मे जो भी रियायतें दी गई थीं वे प्रधानतः युद्धोत्तर संक्रमण काल को पार करने के प्रयोजन से दी गई थीं । इसलिये हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कहीं ऐसा न होने पाये कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्बंध संचालन को प्रोत्साहन देने की कोशिश में उन देशों को जो अभी अपने यहां नये उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं ऐसे प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाये जो कि उन के आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक हैं ।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार पर हस्तक्षेप करने वालों को प्रशुल्कों के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई थी, यदि कोई बंधन था तो केवल उस हालत में था कि किसी देश ने प्रशुल्क वार्तालाप के दौरान में उन रियायतों के बदले में जो उस ने मांगी हों और प्राप्त की हों, प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें देने की सहमति प्रकट की थी । इस में कोई बुराई नहीं थी । आवश्यकता केवल इतनी ही थी कि उन देशों के लिये जो शीघ्रता के साथ आर्थिक विकास कर रहे हों, अपने आर्थिक विकास के हित में बिना किसी विलम्ब या कठिनाई के उन रियायतों को वापस ले सकने का अधिकार हो, यदि ऐसा करना उन के आर्थिक विकास के हित में हो । इस करार में दूसरी शर्त यह रखी गई थी कि जब तक किसी देश के सामने भुगतान शेष सम्बन्धी कोई कठिनाई न हो तब तक व्यापार पर कोई मात्रात्मक प्रतिबन्ध न लगाये जायें । जैसा मैं कह चुका हूं इस रियायत के पीछे बहुत बड़ा मर्म है । अधिकांश उद्योग आयात नियंत्रण से प्राप्त होने वाले संरक्षण का स्वागत करते हैं, परन्तु यदि प्रतियोगिता को बिल्कुल न रहने दिया जाये तो उद्योगपति उपभोक्ता के हितों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं यह हमारा दिन प्रति दिन का अनुभव है । परन्तु कम विक

सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव

सित देशों में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब कि आयात संबंधी प्रतिबन्धों के बिना नये उद्योग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिये इस के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने का भार सरकार पर रखा जाना चाहिये। भुगतान शेष सम्बन्धी कठिनाइयों, जिन को इस करार ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाने के लिये पर्याप्त औचित्य माना है, उन देशों के लिये होती हैं जो आर्थिक विकास के कार्यक्रम को प्रारम्भ करने वाले होते हैं, परन्तु यह कठिनाइयां जल्दी समाप्त होने वाली नहीं हैं अपितु चिर कालिक होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कम विकसित देशों की अर्थ व्यवस्था के इस विशेष पहलू पर इस करार में विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। भुगतान शेष सम्बन्धी कठिनाइयों पर कोई ध्यान दिये बिना हम ने एक दो उद्योगों के सम्बन्ध में मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाये थे और उसके परिणाम स्वरूप हमें आश्चर्यजनक सफलता मिली थी। मैंने इस सभा में बाईसिकिल उद्योग का उल्लंघन किया था जिस का उत्पादन १९५२ में ६०,००० एकक था और आशा की जाती है कि इस वर्ष का उस का उत्पादन लगभग ४,९०,००० एकक हो जायेगा। नकली रेशम के उद्योग के सम्बन्ध में पहले केवल दो कारखाने थे और उन की भी हालत डांवाडोल थी परन्तु अब न केवल उन का विकास हो रहा है वरन् और भी कारखाने खुल रहे हैं। हमारा यह अनुभव है कि अब भी मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं मृतप्रायः उद्योगों का विकास हुआ है। साथ ही साथ भुगतान शेष की कठिनाई, जिस के संबंध में मैं ने अभी कहा था, कम विकसित देशों के लिये एक प्रकार का पुराना रोग है, हो सकता है कि बाहर वालों को ऐसा न जान पड़े। हम १९५३ और १९५४ के कुछ भाग में पौण्ड पावना एकत्रित कर रहे थे और हमने लगभग १०० करोड़ रुपये की राशि अपने पौण्ड पावने में बढ़ाई थी। उस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि या कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कह सकता था कि आप विदेशी मुद्रा का संगठन कर रहे हैं तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप के समक्ष भुगतान शेष की कठिनाइयां हैं। हम वास्तव में सोचते यह थे कि यह लाभ वाला काल अस्थायी है। हम औद्योगीकरण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आरम्भ करने वाले हैं इसलिये जैसे जैसे समय बीतता जायेगा भुगतान शेष की कठिनाइयां बढ़ती जायेंगी।

इसी के अनुसार हम ने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल को स्पष्ट आदेश भेजा था कि दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इस करार के अनुच्छेदों में संशोधन किये जाने पर जोर दें : पहला यह कि आर्थिक विकास के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये तथा कुछ विशेष उद्योगों के विकास में सहायता पहुंचाने के लिये भारत जैसे कम विकसित देशों को आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाने की स्वतन्त्रता दी जाये और दूसरे नये उद्योगों के विकास के साथ साथ कम विकसित देशों को बन्धनकारी दरों में परिवर्तन करने के लिये कुछ अनाम्यता रखी जाये।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के पुनर्विलोकन सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के दृष्टिकोण का सभी कम विकसित देशों द्वारा जोरदार समर्थन किया गया था, और अधिक प्रगतिशील देशों ने भी हमारे कथन से सहमति प्रकट की थी। वास्तव में मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि यह हमारे लिये संतोष का विषय है कि संसार के प्रायः सभी पिछडे हुए देश नेतृत्व के लिये हमारी ओर देखते थे और उन को अपनी आशाओं में निराशा नहीं हुई। इस के परिणाम स्वरूप इस करार में बहुत से परिवर्तन किये गये हैं।

हमारी वास्तविक चिन्ता इस करार के उन उपबन्धों के सम्बन्ध में है जो

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

आयातों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को प्रभावित करते हैं । अन्य देशों के समान चाहते तो हम भी यह हैं कि हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिले और उनमें कोई रुकावट न पड़े । परन्तु अभी हमें मुख्य चिन्ता इस बात की है कि हमारी आर्थिक विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिये हमें जो उपाय करने आवश्यक हैं उन में इस करार के कारण कोई रुकावट न पड़ने पाये ।

इस के लिये अनुच्छेद १८ का पूर्णरूप से पुनरीक्षण किया गया ह । सब से पहले उसमें यह बात स्वीकार की गई है कि उन आर्थिक व्यवस्थाओं को जो केवल निम्न कोटि के निर्वाह स्तर को ही घोषित कर सकती हैं तथा जो विकास के प्रारम्भिक प्रक्रम में हैं, विकास के लिये विशेष सुविधायें होनी चाहियें। इस प्रकार इन विशेष उपबन्धों के प्रयोग के लिये जांच करने के दो तरीके रखे गये हैं । एक तो यह कि यदि कोई देश इन अर्थों में कम विकसित है कि उस के पास बड़े बड़े संसाधन हैं जिन का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु जिस का निर्वाह स्तर उच्च कोटि का है, जैसे आस्ट्रेलिया, तो वह देश अनुच्छेद १८ के कुछ उपबन्धों का लाभ उठा सकता है सब का नहीं । यही बात उन देशों पर भी लागू होती है जिन का आर्थिक विकास संपूर्ण रूप से हो चुका है परन्तु उस का निर्वाह-स्तर निम्न कोटि का है जैसे जापान । यह अनुच्छेद वास्तव में उन देशों के लिये है जिन के सामने दोनों प्रकार की समस्यायें हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, ब्रह्मा, हिन्देशिया तथा अनेक दक्षिणी अमरीकी राष्ट्र । इन के उपबन्ध इस अनुच्छेद की धारा क, ख, और ग में किये गये हैं । धारा घ उन देशों के सम्बन्ध में है जो अभी विकसित हो रहे हैं परन्तु जिन का निर्वाह-स्तर नीचा नहीं है ।

अनुच्छेद १८ की धारा क में यह उपबन्ध है कि औद्योगिक विकास के साधन के रूप में प्रशुल्कों का और अनाम्य उपयोग किया जा सके । मैं यह बता चुका हूं कि इस करार का आरम्भ बहुत सी वस्तुओं पर प्रशुल्कों के घटाये और अनिवार्य किये जाने से हुआ था । यह करार उन वस्तुओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता है जो कि इस वार्तालाप के अन्तर्गत नहीं लाई गई थीं । जो वस्तुयें संसीमित नहीं हैं उन के सम्बन्ध में कोई भी देश ऊंचे से ऊंचे प्रशुल्क आरोपित कर सकता है । परन्तु ऐसा हो सकता है कि किसी वस्तु विशेष के सम्बन्ध में कोई रियायत देने के बाद वह देश यह देखे कि उस पर लगाये गये शुल्क में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । ऐसी आकस्मिक परिस्थिति किसी भी देश के सामने आ सकती है, परन्तु इस समस्या के उन देशों के सामने आने की अधिक संभावना है जो आर्थिक विकास के कार्यक्रम में लगे हुए हैं । इस के लिये अनुच्छेद १८ में संशोधन किया गया है जिस से ऐसे परिवर्तन अधिक अनाम्यता के साथ किये जा सकें । पुनरीक्षित अनुच्छेद २८ में एक निर्वाचन सम्बन्धी टिप्पणी बढ़ाई गई है ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि वह देश जो सापेक्षतः थोड़ी सी प्राथमिक वस्तुओं पर निर्भर होते हैं तथा अपनी आर्थिक व्यवस्था के अग्रेतर विभिन्नता के लिये या राजस्व के प्रमुख साधन के रूप में प्रशुल्क पर निर्भर रहते हैं उन को उस अवधि के भीतर ही जब कि इन रियायतों को किसी भी अभिवृद्धि के विरुद्ध बन्धनकारी कर दिया गया है, प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतों के वापस लिये जाने या रूप भेदित किये जाने के सम्बन्ध में वाद विवाद करने की अनुज्ञा दी जाये ।

अनुच्छेद १८ की धारा क में इस के अतिरिक्त कम विकसित देशों को यह सुविधा भी दी गई है कि कुछ विशेष उद्योगों के संस्थापन

को प्रोत्साहन देने के लिये बंधी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रशुल्क बढ़ाये जा सकते हैं। इस धारा के अन्तर्गत प्रशुल्क संबंधी परिवर्तन न केवल तभी किये जा सकते हैं जब कि इस के लिये सहमति हो वरन् उस दशा में किये जा सकते हैं जब कि तत्संबंधी पक्षों के मध्य कोई करार न हो, तो यह करार यदि वह देखे कि आवेदक देश प्रयाप्त प्रतिकर देने को तैयार है इन रियायतों के वापस ले लेने के प्राधिकार दे दिये जाने वाले प्रतिकर के अपर्याप्त होने पर भी, यदि तत्संबंधी देश में ऐसी रियायत देने का युक्तियुक्त प्रयास किया हो, तो भी वह रियायत को वापस ले सकता है, परन्तु ऐसी दशा में वह देश जिस के हितों को इस प्रकार की वापसी से आघात पहुंचता है अपनी हानि की पूर्ति करने के लिये लगभग इसी समान रियायत को वापस ले सकता है।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ऐसी आकस्मिक आवश्यकता प्रायः प्रत्येक वर्ष हमारे सामने आयेगी। जहां तक हमारा संबंध है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ उद्योग जो ऊंची ऊंची प्रशुल्क प्रचारों तथा कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अन्तर्गत विकसित हुई हैं इस योग्य हो गये हैं कि प्रतियोगिता का सामना कर सके। ऐसी अवस्था में जिस देश के साथ हम ने किसी वस्तु विशेष को बांध दिया है उस से हम कह सकते हैं कि हम कोटा का प्रतिबन्ध हटाने को तैयार हैं। आप कौनसी रियायतें देने को तैयार हैं इस करार का महत्वपूण गुण यह है कि कुछ विशेष समस्याओं का सामना करने के लिये इस का तरीका बहुत ही यथार्थवादी है। अभी हाल ही में हमें कई प्रकार के कोलतार रंगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क बन्धन से छूट प्राप्त करने के लिये बातचीत करनी पड़ी थी। १९४७ में हम ने इस के संबंध में यह रियायत उस समय दी थी जब कि अपने देश में कोलतार के रंगों को तैयार करने का हमारा कोई विचार ही नहीं था। वस्त्र उद्योग विषयक प्रमुख कच्चा माल होने के कारण हम ने थोड़े प्रशुल्क पर कोलतार से बने रंगों के आयात पर कोई आपत्ति नहीं की थी। चूंकि अब हमने स्वयं अपने देश में रंग रोगनों का तैयार करना आरम्भ कर दिया है इस लिये हम ने इस बद्धता से मुक्ति प्राप्त कर ली। तिस पर भी हम ने अम्यंश सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा रखा है, क्योंकि प्रशुल्क प्राचीर पर्याप्त नहीं है। कोलतार रंगों का हमारा आयात १२ करोड़ रुपये प्रति वर्ष का है। इस विमुक्ति को प्राप्त करने के लिये हम इस बात से सहमत हो गये हैं कि रंगों को बनाने में काम आने वाली कुछ वस्तुओं, होम्योपैथिक औषधियों, बच्चों और अपाहिजों के पेटेन्ट खाद्यों तथा वैज्ञानिक तथा चीर फाड़ के यंत्रों पर जो शुल्क आरोपित है वह बंधनकारी कर दिये जायें।

अनुच्छेद १८ की धारा ख आयात संबंधी उन मात्रात्मक प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में है जो कि देश के वैदेशिक भुगतान शेष के परित्राण की दृष्टि से लगाये गये हैं। इस करार के अनुच्छेद ११ में उपबन्धित है कि सामान्यतः मात्रात्मक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जायें। अनुच्छेद १२ में इस के मुख्य उपवादों का उपबन्ध किया गया है और उस में उपबन्धित है कि देश की रक्षित मुद्रा में भारी कमी होने के तात्कालिक खतरे का सामना करने के लिये या उसे रोकने के लिये आयात प्रतिबन्ध कायम रखे जा सकते हैं। अनुच्छेद १८ की धारा ख, अपने वर्तमान प्रारूप के अनुसार, आरम्भ में ही इस बात को स्वीकार करती है कि कम विकसित देश मुख्यतः अपने देश की बाजारों को बढ़ाने के प्रयास के कारण तथा उन की व्यापार शर्तों के अस्थिर होने के कारण भुगतान सम्बन्धी शेष कठिनाइयों का अनुभव करे। इस लिये ऐसे देश अपनी वैदेशिक वित्तीय स्थिति का परित्राण करने तथा अपने

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

आर्थिक विकास के कार्यक्रम को पूरा करने के हेतु एक निश्चित सीमा तक रक्षित निधि कर संग्रह करने के हेतु जिन वस्तुओं के आयात की अनुज्ञा है उन की मात्रा तथा मूल्य पर प्रतिबन्ध लगा कर आयात के सामान्य स्तर पर नियंत्रण कर सकते हैं । यह प्रतिबन्ध ऐसे होना चाहिये जो कि देश की रक्षित मुद्रा में भारी कमी होने के खतरे का सामना करने के लिये और यदि रक्षित निधि अपर्याप्त हो तो इस में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करने के लिये आवश्यक हों । यह भी उपबन्धित किया गया है कि इन प्रतिबन्धों को लागू करने में विभिन्न उत्पादों के आयात की मात्रा को इस प्रकार निर्धारित किया जाय जिस से कि वस्तुओं के आयात को प्राथमिकता मिले जो कि उस की आर्थिक विकास नीति के अनुसार अधिक आवश्यक हों ।

इस बात का सुनिश्चय करने के लिये कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, प्रत्येक देश थोड़े थोड़े समय के पश्चात् इस करार से सम्बन्ध रखे जाने वाले अन्य देशों के साथ परामर्श करता रहेगा । जहां तक विकसित देशों का संबंध है, निर्धारित की जाने वाली एक तिथि के बाद, यह परामर्श वार्षिक रूप से किये जाया करेंगे । परन्तु कम विकसित देशों के लिये यह परामर्श इतनी अवधि के बीतने पर होंगे जो कि दो वर्ष से कम हों । मंत्रणाओं से देश द्वारा अनुसारित की जाने वाली विकास नीति की कोई आलोचना की जायेगी, और वह नीति विकास की सुविधा दिये जाने के मुख्य प्रयोजन के अनुसार रहेगी—जिस के लिये कि अनुच्छेद १८ बनाया गया है ।

अनुच्छेद १८ की धारा ग का सम्बन्ध प्रशुल्क के अतिरिक्त उन उपायों से है जो कि किसी उद्योग विशेष की स्थापना के लिये आवश्यक हों । इस के द्वारा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाये जाने तथा अन्य इसी प्रकार के कार्य करने का अधिकार दिया गया है चाहे वह देश भुगतान शेष सम्बन्धी कठिनाइयों में न हो । मैं चाहता हूं कि सभा इस बात पर ध्यान दे । ऐसे उपाय किये जाने से सम्बद्ध देश द्वारा उस व्यापार विशेष में अभिरुचि रखने वाले अन्य देशों से समझौता करने की आशा की जायेगी, किन्तु अन्तिम रूप में इसे स्वयं कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता होगी जब तक कि वह कोई ऐसी मद न हो जिस पर प्रशुल्क प्रतिबन्ध हों ।

मैं ने अनुच्छेद १८ के बारे में माननीय सदस्यों की रुचि न होते हुए भी पर्याप्त कहा है । मैं ने अनुच्छेद २८ के बारे में भी थोड़ा बहुत कहा है क्योंकि उन के उपबन्ध कम विकसित देशों के लिये बड़े लाभदायक हैं । इन के अतिरिक्त प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के और भी ऐसे उपबन्ध हैं जो उन सभी देशों के लिये हैं जो यह सुनिश्चिय कर लेते हैं कि हम करार के आभार किसी देश की गतिविधि में उस समय रुकावट पैदा नहीं करते हैं जब कि शीघ्र कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । अब मैं अनुच्छेद १६ की ओर निर्देश कर रहा हूं जिस में विशेष उत्पादों के आयात के बारे में आपात कार्यवाही करने का उपबन्ध है । इस अनुच्छेद के अधीन यदि अकल्पित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप तथा उक्त प्रशुल्क सम्बन्धी करार के आभारों के कारण, जिनमें प्रशुल्क की रियायतें भी सम्मिलित हैं । यदि किसी वस्तु की इतनी अधिक मात्रा तथा ऐसी परिस्थितियों में आयात की जा रही हो जिस से कि देशीय उत्पादकों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो सम्बद्ध देश इस बात के लिये स्वतन्त्र होगा कि ऐसी मात्रा तक तथा इतने समय तक जो कि उस बात को रोकने के लिये आवश्यक हो, उस आभार को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निलम्बित कर सकता है अथवा रियायत

को वापस ले सकता है अथवा उस में परिवर्तन कर सकता है ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन सात वर्षों में केवल एक देश को छोड़ कर किसी ने भी इस रियायत विशेष का प्रयोग नहीं किया है। और जिस देश ने इस का प्रयोग किया है वह है संयुक्त राज्य अमरीका । उस ने चार बार इस का प्रयोग किया है ।

इस करार की हमारी वाग्बद्धतायें हमें किसी प्रकार से बाध्य नहीं करती हैं । निस्सन्देह यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यदि इतने अधिक अपवाद किये गये तो फिर इस करार का क्या रहेगा। हमारी वाकबद्धतायें हमें दायित्व मालूम होंगी किन्तु अन्य देशों द्वारा दी गई इसी प्रकार की वाग्बद्धतायें हमारी आस्तियां हैं। इसलिये यह विचार भी उत्पन्न हो सकता है कि क्या इतने अधिक अपवाद हैं जो कि नियमों को निरर्थक बना देते हैं ।

इस के मैं दो उत्तर देना चाहता हूं । पहले तो मैं यह कहूंगा कि जो अपवाद कम विकसित देशों के बारे में बनाये गये हैं, उन का वास्तविक प्रयोजन उन रुकावटों को दूर करना है जिन का इन देशों को सामना करना पड़ रहा है । आखिर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसे कि यह प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार उन्नति देना चाहता है, स्वतः कोई उद्देश्य नहीं है, किन्तु वह तो समस्त विश्व की समृद्धि के लिये एक साधन मात्र है । इसलिये जब आर्थिक विकास तथा लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिये ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जाने आवश्यक हों, तो केवल यह बात, कि ऐसा करने से पर्याप्त समय तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संकुचित हो जायेगा, इस कार्यवाही के विरुद्ध कोई विशेष तर्क नहीं है । यदि भारत जैसे देशों का जीवन स्तर उन्नत किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि हम मुक्त व्यापार की परिस्थितियों में किये गये आयात की अपेक्षा और भी अधिक आयात करेंगे ।

इस प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अध्ययन में इस दूसरी बात पर भी ध्यान रखा जाये कि यह कोई ऐसी विधि नहीं है जिसे किसी स्वतन्त्र न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाये और जो केवल अनुच्छेदों के शब्दों को ही देखती हो और उन की भाव की उपेक्षा करती हो । यह एक ऐसा साधन है जिस का प्रयोग उस के बनाने वाले करेंगे । सौभाग्य से हमारी अवस्था संविधान के कारण अधिक अच्छी है । उक्त करार ने यह बात सदैव स्वीकार की है कि कई बार किसी देश के सामने अपनी वाग्वद्धताओं से मुंह मोड़ लेने के लिये बहुत से कारण हो सकते हैं । इस ने ऐसे उपबन्ध न केवल अपने अनुच्छेदों के शब्दों में ही किये हैं बल्कि विमुक्ति देने की प्रक्रिया में भी ऐसे उपबन्ध किये गये हैं । किन्तु संगठन को वास्तविक रूप में शक्ति अनुच्छेदों में रखे गये उपबन्धों से ही नहीं मिलती है, किन्तु वास्तविक शक्ति विचार विनिमय से, यदि उक्त करार की टेक्नीकल शब्दावली का प्रयोग किया जाये, अथवा परामर्श करने के अवसरों से ही मिलती है । प्रत्येक वर्ष प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी समाचार करार के वार्षिक सत्र में उस के समक्ष बहुत सी शिकायतें लाई जाती हैं । उनमें से बहुत सी शिकायतों को तो दोनों में समझौता करा कर के ही निपटा दिया गया है और यह जानने की चेष्टा नहीं की जाती है कि अमुक देश गलती पर है । इस सभा के माननीय सदस्यों को सम्भवतया यह ज्ञात होगा कि हमें स्वयं अपने एक पड़ौसी देश की शिकायत जी० ए० टी० टी० में करनी पड़ी थी । जी० ए० टी० टी० ने कोई निर्णय नहीं किया, किन्तु कठिनाइयों को दूर करने में सहायता दी और सौभाग्य से वह दूर हो गई । इस प्रकार के समझौते के लिये ऐसा तरीका आवश्यक है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कोई स्थिर मामला नहीं है । उक्त करार के अन्तर्गत आने वाले देशों की परिस्थितियां

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

बदलता रह सकती हैं, और जब तक कि उस समझौते में गुंजाइश न हो वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशाल क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विभिन्न दबावों से दब कर चकनाचूर हो जायेगा ।

इसलिये यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस संगठन के सम्बन्ध में यह प्रस्थापना की गई है कि वह इस करार का प्रबन्ध करे, उस का नाम व्यापार-सहकारिता संगठन रखा गया है । यदि इस प्रशुल्क सम्बन्धी करार को सफल बनाना अपेक्षित है तो इस में सहकारिता तथा सहयोग का तत्व होना चाहिये न कि अधिकार अथवा प्रभुता का ।

हमारे सामने अब यह प्रश्न है कि क्या हमें प्रस्तुत किये गये संशोधन का अनुमोदन करना चाहिये तथा प्रस्थापित व्यापार सहकारिता संगठन में सम्मिलित हो जाना चाहिये । जसा कि मैं ने कहा है, इन संशोधनों के तैयार करने में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया है और मैं समझता हूं कि जो संशोधन अब सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किये गये हैं उन में से कोई भी ऐसा नहीं है जिस के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल पुनरीक्षण अधिवेशन में मतदान न कर सकता । व्यापार सहकारिता संगठन भी हमें एक अच्छी वस्तु प्रतीत होती है, और यदि इसे पर्याप्त देश का समर्थन प्राप्त हो गया, जिस के बिना इस का निर्माण नहीं हो सकता है तो हमारा विचार इस में सम्मिलित होने का है ।

जो माननीय सदस्य प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार अधिवेशनों की चर्चा को देखते रहे हैं वह यह प्रश्न पूछ सकते हैं; कि इस करार के नवीन ढ़ांचे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की क्या स्थिति रहती है ? मुझे खेद है कि श्री अशोक मेहता यहां नहीं हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा ही एक प्रश्न उस दिन पूछा था । यद्यपि जिनिवा में हुई पिछली बैठक में अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया था किन्तु इस के परिपोषकों ने प्रस्थापित नये संगठन की कोई ठीक ठीक रूप रेखा प्रस्तुत नहीं की थी । हाल ही में हम ने सुना कि इंग्लैंड के चांसलर आफ दि एक्सचैकर ने इस विचार का समर्थन किया है । संभवतया दोनों निकायों में अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर देने के बारे में उन्हों ने योरोपीय आर्थिक सहकारिता संगठन के कार्यकरण से पर्याप्त अपने अनुभव से ऐसा कहा था । जब तक कि प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का संगठन सम्बन्धी ढ़ांचा सहकारिता पर आधारित है तब तक इस संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को जोड़ने वाली यह श्रृखला उस से अधिक प्रतिबन्ध नहीं रख सकती है जितना कि यह प्रस्थापित व्यापार सहकारिता संगठन रखेगा । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि एक अन्तःसरकारी संगठन है जिस का क्षेत्राधिकार मुद्रा विनिमय प्रतिबन्धों पर है । प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के वर्तमान अनुच्छेदों के अनुसार भी दोनों में कतिपय सम्बन्ध अपेक्षित है ।

अनुच्छेद १५-४ यह कहता है कि "संविदा करने वाले पक्ष किसी विनिमय कार्यवाही से इस करार के उपबन्धों के आशय को मग्न नहीं करेंगे और न किन्हीं व्यापार सम्बन्धी कार्यवाहियों से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के करार सम्बन्धी अनुच्छेदों के उपबन्धों के आशय को मग्न नहीं करेंगे ।" इसी अनुच्छेद के पैरा २ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से परामर्श करने के निश्चित तरीके दिये गये हैं । इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अविभेदात्मक प्रतिबन्धों को हटाये जाने की मांग करने के अधिकारों को स्थगित रखा गया है क्योंकि

अनुच्छेद १४ सदस्यों को युद्धोत्तर संक्रमण काल में, जो कि अभी समाप्त नहीं हुआ है, कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है ।

इसलिये अन्तर्राष्ट्राय मुद्रा निधि तथा प्रस्तावित व्यापार सहकारिता द्वारा संयुक्त नियंत्रण किये जाने में कठिनाइयां हैं । गैट्ट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) के पुनरीक्षित अनुच्छेद १८ के उपबन्ध कम विकसित देशों को कार्यवाही करने के लिये अधिक स्वतन्त्रता देते हैं । ऐसे देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अनिवार्य नियंत्रणों के लिये गैट्ट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) के सहकारी ढांचे के बदले जाने के लिये कभी तैयार नहीं होंगे । न कम विकसित देश इस तथ्य से आंख बन्द कर सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि में एक देश विशेष का, जिस का इन मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के हटाये जाने में विशेष रूप से हित है, विशेष प्रभाव है । कम विकसित देश गैट्ट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) के गत सत्र में ऐसी व्यापार प्रणालियों के, जो उन के विकास में सहायक हों, उपबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में अपनी बात मनवा चुके हैं । इसलिये यह संभावना नहीं है कि वह इस सुविधा को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा किये जाने वाले कठोर निरीक्षण के लिये सहमत हो कर अपने हाथों से निकल जाने देंगे । इसलिये इस प्रश्न पर चर्चा करना अभी समय से बहुत पहले की बात है ।

पुनरीक्षित गैट्ट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार) किसी भी प्रकार से एक अत्युत्तम साधन नहीं है । कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय करार कभी भी ऐसा नहीं होता है । वास्तव में यह विभिन्न हितों तथा आदर्शों और वास्तविकताओं के मध्य एक समझौतामात्र है। पुनरीक्षित करार अधिक उत्तम होगा और इसलिये सरकार प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने की प्रस्थापना करती है ।

इस अवसर पर मैं जिनिवा में इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट मंडल के प्रति अपनी शुभेच्छायें प्रकट करता हूं । मेरे और सरकार के लिये यह एक हर्ष का विषय है कि जिस उत्तरदायित्व को उस ने स्वयं अपने ऊपर लिया था उस के सम्बन्ध में उसने उन मित्रों को, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, निराश नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार सम्बन्धी श्वेत पत्र पर विचार किया जाये ।"

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये :

"This House having considered the White Paper on the General Agreement on Tariff and Trade, approves of the revised Agreement and the policy followed by the Government in relation thereto."

["कि यह सभा प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के श्वेतपत्र पर विचार करने के उपरान्त पुनरीक्षित करार और उस के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनायी गई नीति का अनुमोदन करता है ।"]

श्री के० के० बसु ने अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं, उन सदस्यों को, जो अपने दलों के प्रवक्ता हैं, २० मिनट का

सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव

[उपाध्यक्ष महोदय]

समय मिलेगा और अन्य सदस्यों को १५ मिनट का समय मिलेगा ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : मैं भी माननीय मंत्री की भांति अपने भारतीय शिष्ट मंडल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । वास्तव में यह बड़े गौरव की बात है कि अन्य कम विकसित देशों ने हमारे भारतीय शिष्ट मंडल का सहारा लिया है और इसी के नेतृत्व को स्वीकार किया है ।

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार अपनी प्रकार का एक सर्वप्रथम बहु-मुखी और व्यापक करार है जिस में वाणिज्यिक सम्बन्धों के क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाला प्रत्येक विषय अन्तर्निहित है । इस समय इस करार को ३५ देशों की सदस्यता प्राप्त है और संविदाबद्ध पार्टियों का विश्व व्यापार के ८० प्रतिशत भाग पर अधिकार है । इस करार का आधारभूत प्रयोजन एक स्वतन्त्र और भेदभावरहित विश्व व्यापार प्रणाली की स्थापना है जिस में कि अभ्यंशों तथा मात्रात्मक प्रतिबन्धों को कोई स्थान नहीं है । इस का वास्तविक उद्देश्य यह है कि सभी संविदाबद्ध देशों के जीवन स्तर को ऊंचा करने, पूर्ण रोजगार दिलाने और वास्तविक आय तथा माँग को बढ़ाने की दृष्टि से परस्परिक आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किये जायें । ये उद्देश्य इन उपायों से पूर्ण किये जाने को हैं :—

(१) प्रशुल्कों को कम करने और व्यापार पर लगे हुए अन्य बन्धनों को दूर करने वाले पारस्परिक लाभकारी प्रबन्ध करना ।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में भेद-भाव को दूर करना । अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य में भेद भाव को दूर करने तथा व्यापार सम्बंधी नियमों की एक संहिता का उपबन्ध किये जाने के सिद्धान्त का सभी की ओर से स्वागत किया गया है । व्यापारी वर्ग सरकार की इस नीति का पूर्ण रूप से समर्थन करता है । मुझे इस बात को जान कर हर्ष हुआ है कि अब हमारे नये उद्योगों के विकास के मार्ग में कोई भी कठिनाई नहीं आयेगी और हमारे उद्योगों को पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त होगा ।

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार से हमें अनेकों लाभ हैं । यदि हम इस सामान्य करार की सदस्यता को त्याग दें तो इस से हमारे पटसन, सूती कपड़े और चाय के व्यापार को भारी धक्का लगने की संभावना है । इसी की कृपा से भारत को अपने निर्यात व्यापार में अनेकों रियायतें प्राप्त हुई हैं । हमें अपने कुल निर्यात के लगभग २५ प्रतिशत पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रियायतें प्राप्त हुई हैं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इन लाभों के फलस्वरूप हमारे ऊपर भी कुछ आभार आते हैं और उन के सम्बन्ध में भारतीय शिष्ट मंडल ने प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के नवम सत्र में निर्देश किया था । यह प्रशुल्क सम्बन्धी आभार हम को प्रतिबन्धित वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने से रोकते हैं । मात्रात्मक प्रतिबन्धों सम्बन्धी उपबन्धों से भारत के उद्योगों के विकास में रुकावट पड़ी है । सिद्धान्त रूप से ये दोनों आभार भारत जैसे देश के लिये , जो कि सभी संभव उपायों से अपने उद्योगों का विकास करना चाहता है, बड़े अहितकर हैं । परन्तु भूतकाल में मुख्यतः भुगतान शेष सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण हम इस करार के किसी भी उपबन्ध का अतिलंघन किये बिना मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगा सकते थे । सरकारी प्रवक्ता ने कभी स्पष्ट

रूप से यह नहीं कहा कि यह मात्रात्मक प्रतिबन्ध केवल सुरक्षात्मक उपायों के रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। राजकोषीय आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि मात्रात्मक प्रतिबन्धों को कभी कभी प्रयोग में लाया जाना चाहिये। आयात नियंत्रण जांच समिति ने भी यह सिफारिश की है कि सरकार की आयात नीति देशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भुगतान शेष को सुरक्षित रखने के लिये बनाई जानी चाहिये। तो इस प्रकार से आज भारत में ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि मात्रात्मक प्रतिबन्धों का प्रयोग केवल कुछ एक विशेष वस्तुओं के सम्बन्ध में ही किया जाये जिन का सम्बन्ध 'आयात आक्राम्य उद्योगों' से है। आगामी वर्षों में उद्योगों के सर्वांग विकास की दृष्टि से भारत मात्रात्मक प्रतिबन्धों के प्रयोग को पूर्ण रूप से छोड़ नही सकता है।

अब देखना यह है कि पुनर्विचार अधिवेशन में इस करार के उपबन्धों को जो नया रूप दिया गया है क्या वह हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल है। इस के बारे में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस करार के उपबन्धों को ऐसा रूप दिया गया है जो कि अत्यन्त लाभकारी है और उस में इतनी आनम्यता है कि यह परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग में लाये जा सकते हैं। अनुच्छेद १८ में किये गये संशोधन भारत जैसे देशों पर लागू होंगे जिन में भुगतान शेष सम्बन्धी स्थिति सुधर गई है। पुनरीक्षित अनुच्छेदों १२ और १४ में जो सावधिक पुनरीक्षण का उपबन्ध किया गया है वह भी कम विकसित देशों पर बहुत कम लागू होता है। मैं यह अनुभव करता हूं कि जहां तक हमारे औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, आवश्यक संरक्षण प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्यवाही से किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

इसलिये भारत के दृष्टिकोण से यही आवश्यक है कि वह करार के अधीन लाई गई वस्तुओं के सम्बन्ध में ही मात्रात्मक प्रतिबधों का प्रयोग करे। यह तो एक सर्व स्वीकृत बात है कि हमारे द्वारा दी गई कुछ एक रियायतें स्वदेशी उद्योगों के विकास के हित में नहीं हैं। और कुछ एक उद्योगों पर जिन के लिय हम ने शुल्क की दरें निश्चित कर दी हैं मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाये बिना हमें हानि उठानी पड़ेगी। इस से यह प्रश्न उठता है कि अपनी कतिपय वाक् वद्धताओं से उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये जायं। यद्यपि इस करार का यह भाग हमारे दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं है तथापि समग्र रूप से इस करार के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है।

अब मैं उस उन्मुक्ति के बारे में निर्देश करना चाहता हूं जिस के सम्बन्ध में २४ जुलाई, १९५४ को एक प्रेस नोट द्वारा घोषणा की गई थी। इस उन्मुक्ति को प्राप्त करने के लिये भारत ने इन वस्तुओं पर शुल्क कम कर दिया है : प्लास्टिक का कच्चा सामान, छोटे औजारों और विशेष प्रकार के संकर इस्पात बनाने के काम में आने वाला कच्चा माल आदि। इस से ज्ञात हो सकता है कि उन्मुक्ति प्राप्त करने में कितनी कठिनाई होती है। सरकार से यह पूछा जा सकता है कि क्या सरकार वस्तुओं के सम्बन्ध में भी उन्मुक्ति प्राप्त करने की स्थिति में है।

जापान को भी ११ अगस्त से इस सामान्य करार का सदस्य बना लिया गया है। वे देश जो जापान को रियायतें नहीं देना चाहते हैं, अब अनुच्छेद ३५ के अधीन ऐसा कर सकते हैं। मैं भारत सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उस का जापान की सदस्यता के बारे में क्या दृष्टिकोण है। अब सोचना यही है कि क्या जापान उक्त सामान्य करार में निर्धारित उचित व्यापार सम्बन्धी नियमों को निष्ठा पूर्वक स्वीकार करता है।

अतः मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस सामान्य करार में जापान की सदस्यता

[श्री जी० डी० सोमानी]

के प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे और हमें आश्वासन देंगे कि इस के सम्बन्ध में सरकार सदैव सजग रहेगी ताकि हमें कोई क्षत्ति न उठानी पड़े ।

श्री के० के० बसु : मैंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिस में मैंने स्पष्टतया बताया है कि सिद्धान्त रूप में तो हम किसी भी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के विरोधी नहीं हैं । परन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता ऐसी न हो जो कि हमारे अपने देश की अविकसित अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाले । इस सम्बन्ध में हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता तो बढ़े परन्तु वह हमारे देश के औद्योगीकरण के मार्ग में कोई रुकावट न डाले । प्रो० के० टी० शाह ने भी १९४० में राष्ट्रीय योजना समिति में काम करते समय यही विचार व्यक्त किया था । मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि हमें इसी नीति को अपनाना चाहिये । जब तक हमें अग्रतर रियायतें नहीं मिलतीं हैं हमें यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि उक्त सामान्य करार की सदस्यता हमारे लिये लाभदायक होगी । मंत्री महोदय ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी आयात नीतियों को उदार बनाने का वचन दिया था । परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है । पटसन, चाय अथवा अभ्रक के सम्बन्ध में हमें एकाधिकार या अर्ध-एकाधिकार प्राप्त है और जहां तक हमारे निर्यात बाजारों का सम्बन्ध है हम लाभप्रद स्थिति में हैं । ऐसा कहा गया है कि इस सामान्य-करार की कृपा से हमें इन वस्तुओं पर बहुत लाभ हुआ है । परन्तु मैं तो यही कहूंगा कि इस लाभ का कारण यह नहीं था कि अमरीका अथवा ब्रिटेन ने हमारी सहायता करने के लिये अपनी आयात नीति को उदार कर दिया था, अपितु कारण यह था कि उन देशों के उद्योगों को इन वस्तुओं की आवश्यकता थी और उन देशों में इन के काफी स्टाक थे ।

इसलिये हमारा दृष्टिकोण यही होना चाहिये कि इस से हमारे देश के उद्योगीकरण में सहायता मिलेगी ।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या हम ने अपने पौंड पावने का उपयोग अपने देश के आर्थिक विकास के लिये किया है ? नहीं, हम ने ऐसा नहीं किया है । इस का कारण यह है कि जिन देशों से हमें मशीनें इत्यादि मिल सकती थीं उन्होंने हमारी इसलिये सहायता नहीं की क्योंकि उन्हों ने यह सोचा कि ऐसा करने से उन के आर्थिक हितों को धक्का पहुंचेगा । उन्हों ने इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उपयोग इस प्रकार किया जिस से कि उन के हितों को किसी प्रकार से धक्का न लगे ।

मंत्री महोदय का यह कथन है कि इसे सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था और इसे संसद् की स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी । परन्तु वास्तव में यह बात गलत है । इस सामान्य करार की सदस्यता का तो भारतीय व्यापारी प्रारम्भ से ही विरोध करते आ रहे हैं । क्योंकि ऐसा करना भारतीय हितों के विरुद्ध था । हो सकता है कि यह मामला संसद् के सम्मुख उस समय आया हो जब कि सत्ता हस्तान्तरण हुआ ही था और संभव है कि इस के बारे में पूरा विचार किये बिना ही इसे स्वीकार कर लिया गया हो । ऐसा कहा गया है कि इस से देश के निर्यात व्यापार को बहुत लाभ पहुंचा है, परन्तु पटसन और सूती कपड़े के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के निर्यात में कोई लाभ नहीं हुआ है । आंकड़े बताते हैं कि अब तो देश का निर्यात व्यापार पहले की अपेक्षा कम हो गया है । बहुत सी वस्तुओं के मूल्य भी गिर गये ह ।

मैं कहना यह चाहता हूं कि इस संगठन में रहने से हमें निर्यात व्यापार में भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इस संघ में अमरीका और इंगलैंड का ही प्रभुत्व है। इस से भारत जैसे कम विकसित देशों को कोई भी विशेष लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। यह संगठन तो वास्तव में अमरीका द्वारा ही स्थापित किया गया था। अतः इस संगठन के द्वारा एक अधिक विकसित देश और एक छोटे से कम विकसित देश में व्यापार सम्बन्धी स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती। मैं अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता का पक्षपाती हूं परन्तु इस में भी यह ध्यान रखा जाय कि कम विकसित देशों को हानि नहीं पहुंचती है और उन का औद्योगिक विकास होता है। क्योंकि इस सामान्य करार की सदस्यता से इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस संगठन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया जाय।

इस के अतिरिक्त सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सामान्य करार के साथ अपना सम्बन्ध रखते हुए हमें ब्रिटेन, अमरीका जैसे विकसित देशों से अपना व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ना पड़ा है और इन देशों के अतिरिक्त हम अन्य किसी भी ऐसे देश से अपना सम्बन्ध नहीं रख सके हैं जिन के साथ रह कर हमारा आर्थिक और औद्योगिक विकास हो सकता है। इस प्रकार से हम तो अपनी स्वतन्त्रता खो देंगे। हमें उन देशों के साथ सम्बन्ध जोड़ने चाहियें जिन से व्यवहार करना हमारे देश के हित में हो। यह सामान्य करार तो वास्तव में अमरीका तथा अन्य पूर्ण विकसित देशों के हित के लिये है। विश्व बैंक के प्रधान द्वारा दिये गये भाषण से भी, जो 'कामर्स' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, यही प्रतीत होता है। वही अमरीका जिस ने आयात नीति को उदार बनाने का वचन दिया था, उस ने

सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव'

रैन्डैल आयोग के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया है। अमरीका में तो कृषि वस्तुओं में मूल्य सहायता सम्बन्धी नीति को अपनाया जा रहा है। अमरीका और कनाडा में एक संस्था ऐसी है जो ऋण देकर अथवा किसी अन्य प्रकार से आयातों में अर्थ सहायता देती है। यह बात इस सामान्य करार के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

इन्हीं दिनों अमरीका में साइकिलों पर प्रशुल्क बढ़ा दिया गया था क्योंकि इस के बारे में यूरोपीय देशों से एक प्रतियोगिता सी चल रही थी। तो इस से स्पष्ट है कि ये देश तो परिस्थितियों से लाभ उठाने वाले और अपने ही व्यापार को बढ़ाने वाले हैं। इस सामान्य करार का जो दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में रहा है और उस की जो आलोचना की गई है उस को ध्यान में रखते हुए मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार इस संगठन से अपना सम्बन्ध जोड़ने के लिये इतनी लालायित क्यों है।

नये करार में वास्तव में कुछ एक रियायतें दी गई हैं जिन्हें मैं पूर्व की अपेक्षा अधिक उत्तम समझता हूं। किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के सर्व प्रमुख बात यही देखनी होती है कि उस में दोनों देशों के पारस्परिक हित कहां तक अंतग्रस्त होते हैं। ऐसे दो देशों में कभी भी समझौता नहीं हो सकता जिन में से एक तो आर्थिक दृष्टि से पूर्ण रूपेण विकसित हो और दूसरा अविकसित। हमारी समस्यायें अन्य देशों से भिन्न हैं। जहां तक इन पूर्ण विकसित देशों का सम्बन्ध है ऊंचे प्रशुल्क जारी हैं। और हम से कहा जाता है कि हमें कुछ लाभ प्राप्त हुए हैं। हमारा कच्चा माल बेच दिया जाता है और इस से हम को हानि होती है। इसलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि इन देशों के साथ हमारी निभ नहीं सकेगी। हमें कोई भी लाभ न होगा। हमारा सारा पौण्ड पावना समाप्त हो गया है परन्तु हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ है, जो सामान दिया

[श्री के० के० बसु]

भी गया है वह भी ऐसा है जो कि हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है ।

ब्रिटेन अपने अधीनस्थ बस्तियों का कितना शोषण कर रहा है—यह भी हमें ज्ञात है । वह अपने अधीनस्थ देशों, अफ्रीका, मलाया आदि अविकसित देशों के व्यापार पर अपना साम्राज्यवादी अधिकार जमाये हुए है । अतः अमरीका और इंगलैंड के इस प्रकार के व्यवहार से मुझे नहीं विश्वास कि इस सामान्य करार के यह विकसित देश भारत जैसे कम विकसित देश से न्याय पूर्ण व्यवहार करेंगे ।

मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जो कि इन बातों को बताता है । मैं बन्धनकारी दरों पर आग्रह करना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में श्री सोमानी ने कुछ आपत्तियां की हैं । मैं भी यह अनुभव करता हूं कि कुछ लचीला पन होना ही चाहिये क्योंकि व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार करने वाले देशों से भी हमें करार करने हैं । उन के लिये कुछ भिन्न दरें रखी जायें । ऐसा करना कहां तक हमारे लिये संभव है यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, इसलिये मेरा विचार यह है कि बन्धनकारी दरों में कुछ आनम्यता अवश्य होनी चाहिये । मेरा सुझाव यह है कि यदि भारत यह अनुभव करता ह कि किसी देश विशेष तथा किसी वस्तु विशेष के सम्बन्ध में अधिमान्य व्यवहार किया जाय तो भारत को स्थिति में परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिये और इसलिये जहां तक बन्धनकारी दरों का सम्बन्ध है इतनी आनम्यता होनी ही चाहिये । श्री सोमानी ने कहा है कि कतिपय वस्तुओं के बारे में जितनी मांग हम ने की थी निकासी उतनी नहीं हुई है । हम ने निकासी की मांग इसलिये की थी कि इस से हमारे कतिपय उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है और देश के समग्र आर्थिक विकास के लिये यह हितकर है । इसलिये बन्धनकारी दरों में कुछ आनम्यता होनी चाहिये ।

अब प्रश्न आता है मात्रात्मक प्रतिबन्धों का। मेरी राय यह है कि भुगतान शेष के सिद्धान्त के आधार पर इस प्रयोजन के लिये मात्रात्मक प्रतिबन्धों सम्बन्धी खंड का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिये । उदाहरण के लिये उद्योगों के विकास के क्रम में यदि भारत किन्हीं देशों से मशीनरी के आयात के सम्बन्ध में विशेष करार कर लेता है तो यह तथा इस खंड को अप्रवर्तनीय कर दे । इस देश के विकास की अत्याधिक संभाव्यतायें हैं । प्रशुल्कों को बढ़ाने तथा अन्य देश की हानि नहीं होनी चाहिये । मात्रात्मक तरीकों से प्रतिबन्ध हमारे उद्योगों के विकास में सहायक हो सकते हैं । इसलिये मेरा मत है कि इस सम्बन्ध में हमें अधिक अधिकार प्राप्त होने चाहियें ।

अब में राजकीय व्यापार के प्रश्न को लेता हूं । हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस देश के विदेशी व्यापार का एकाधिकार सरकार को प्राप्त होना चाहिये । मैं यह भी जानता हूं कि इस समय सरकार इस विचार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है । व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार से अलग देशों से और कुछ समाजवादी देशों से हमारे करार हैं । जब तक ऐसे करार हैं किसी वस्तु विशेष के सम्बन्ध में राजकीय व्यापार आवश्यक है । परन्तु मुझे निश्चित नहीं है कि व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत हम ऐसा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सोवियत देश के साथ राजकीय व्यापार किया जाये हम उन देशों के साथ राजकीय व्यापार करना चाहते हैं जिन्हों ने अपने व्यापार को राष्ट्रीयकृत कर दिया ह और यदि कोई निजी उपक्रम कोई संविदा करने की स्थिति में न हो तो वह कोई गौण संगठन स्थापित कर सकता है । परन्तु यदि मैं इस संविदा के करने से

रोका जाता हूं तो मैं निश्चय ही व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के इस खंड के रखे जाने के विरुद्ध हूं। आयोजित अर्थ व्यवस्था में राज्य का महत्वपूर्ण भाग होता है। उस की अर्थ व्यवस्था बदलती रह सकती है। राजकीय व्यापार देश और जनता के लाभ के लिये है, इसलिये हमें इसे करना चाहिये। इसलिये मैं ने एक संशोधन प्रस्तावित किया है।

इस के पश्चात् मैं आता हूं विभिन्नता के प्रश्न पर, इस से मेरा आशय यह है कि हमारा व्यापार किसी करार पर आश्रित न हो। हम समाजवादी देशों से व्यापार कर सकें और वह व्यापार देश के हित में होना चाहिये। हमारा एक कल्याणकारी राज्य है, इसलिये हमें उन देशों से सम्बन्ध दृढ़ करने चाहियें जो हमारे प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं चाहे उन देशों की राजनैतिक विचारधारा कुछ भी क्यों न हो। हमें आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये, परन्तु जब तक व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के कुछ अनुच्छेद हम पर लागू होते हैं तब तक हम उन देशों के प्रभाव में रहेंगे जिन का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी है। हम वास्तविक स्वतन्त्रता चाहते हैं। आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनैतिक स्वतन्त्रता निरर्थक है। इसलिये संसद् का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि आर्थिक स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता है। सरकार ने व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार से अपने सम्बन्ध बनाये रखने की जो इच्छा प्रकट की है मैं उस का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर सकता हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : हमारे प्रतिनिधि मंडल शिष्टमंडल ने जनेवा में नवम्बर, १९५४ में हुए सम्मेलन में जो कार्यवाही की थी, मैं उस का सामान्यतः समर्थन करता हूं। साथ ही मैं यह अनुभव करता हूं कि कुछेक मामलों पर भारतीय शिष्टमंडल को अधिक सावधानी से विचार करना चाहिये था।

युद्ध के पूर्वकाल में विश्व के राष्ट्र एक दूसरे से आशंकित रहते थे तथा सुरक्षा के न होने से व्यापार में बाधा रहती थी। स्वभावतः राष्ट्रों ने महसूस किया कि आर्थिक राष्ट्रीयता की भावनाओं को समाप्त किया जाय तथा आर्थिक मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचा जाना चाहिये। हम सरकार से पूर्णतः सहमत हैं कि हमें आर्थिक नीति पर संकुचित भावनाओं से विचार नहीं करना चाहिये।

सम्मेलन इस विचार से बहुत उल्लेखनीय था कि उपस्थित सभी राष्ट्रों ने व्यापार और प्रशुल्क के सामान्य करार का समर्थन किया, सभी पक्षों ने इस समझौते को सुदृढ़ बनाने की भावना व्यक्त की थी। इस समझौते से हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने का अवसर मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक पक्षीय कार्यवाही से बहुत खतरा रहता है।

कुछेक देशों के शिष्टमंडलों ने निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता का वर्णन भी किया था। यह एक बहुत अच्छी बात हुई कि समझौते में अल्प-विकसित देशों के हित में परिवर्तन किये गये। व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते से परामर्श किये बिना हम मात्रा सम्बन्धी निर्बन्धनों में परिवर्तन नहीं कर सकते। और न ही प्रशुल्क में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि भारत ऐसे निर्बन्धन लगायेगा या प्रशुल्क को बढ़ायेगा तो अन्य देश भी प्रक्रिया रूप से कार्यवाही करेंगे। इस से समझौते के अन्तर्गत विभिन्न देशों के परस्पर मतभेद को दूर करना असम्भव हो जायगा जो इस समझौता संस्था का मुख्य कृत्य है।

निर्यात सम्बन्धी आर्थिक सहायता के बारे में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी बहुत कुछ कह चुके हैं। फैसले के अनुसार निर्यात

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

अर्थ सहायता मिलती रहेगी । एक विचार यह व्यक्त किया गया था कि व्यापार के बारे में अत्याधिक रुकावटों के लागू करने से व्यापार में बहुत अस्तव्यस्तता आ जायेगी, परन्तु निर्यात के बारे में भी बहुत अधिक सहायता देने से काफी अस्तव्यस्तता आ सकती है । इस के पक्ष में तर्क यह दिया जाता है कि खपत अधिक हो जायेगी और परिणामतः वस्तुओं के दाम सस्ते हो जायेंगे । परन्तु अन्त में यह सहायता कम विकसित देशों के विकास में बाधक होगी । निर्यात के लिये आर्थिक सहायता देने से मण्डियों में विदेशी वस्तुओं की भरमार हो जायेगी और सरकार कुछ नहीं कर सकेगी । मेरी आशंका यह है कि इस से शक्तिशाली देश अनुचित लाभ उठायेंगे ।

माननीय मंत्री ने इस संस्था के प्रशासी ढांचे का जिक्र किया । दुर्भाग्य से इस संस्था पर अमरीकी कांग्रेस का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है । केवल अमरीका और इंगलिस्तान की ऐसी स्थिति ही स्थायी प्रकार की है । यदि अमरीका और इंगलिस्तान सहमत हो जाते हैं तो यह संघ बन जायेगा, अन्यथा नहीं । व्यापार तथा प्रशुल्क का सामान्य करार एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ माना जाता है जिस का आधार ऐच्छिक सहयोग है और जहां सारे सदस्य समान होते हैं । यदि ऐसा है, तो यह दबाव क्यों ? चाहे हम इसे वीटो अधिकार न कहें, परन्तु वस्तुतः है यह वीटो अधिकार ही । वे इस संघ के संस्थापन को रद्द कर सकते हैं । इस करार का मुख्य उद्देश्य हवाना घोषणापत्र के उद्देश्यों की पूर्ति करना है । परन्तु हम उन की प्राप्ति से बहुत दूर हैं क्योंकि इस ने दो देशों को अत्याधिक अधिकार दे दिया है । वे कह सकते हैं कि हम व्यापार संघ नहीं चाहते ।

अन्त में मुझे यह कहना है कि अब आगे हमें यह देखना चहिये कि क्या यह करार हमारे हित में कार्य करता है या नहीं । अब तक अल्प विकसित तथा अर्ध विकसित देशों को इस से अधिक लाभ नहीं हुआ है । जब तक प्राधान औद्योगिक परस्पर सहयोग नहीं करते और अन्य देशों को अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं का विकास करने में, जनता का जीवन-स्तर ऊंचा करने आदि में सहायता नहीं देते, तब तक इस का रहना बेकार है । इस करार के उद्देश्यों में विस्तार होना चाहिये और वे शीघ्र प्राप्त किये जाने चाहियें । हवाना घोषणापत्र धीरे धीरे परन्तु शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम) : माननीय मंत्री ने उन ऐतिहासिक घटनाओं का, जिन के फलस्वरूप प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी साधारण करार संघ बनाया गया, प्रेरणापूर्वक वर्णन के अतिरिक्त अल्प विकसित देशों की समस्याओं का भी वर्णन किया है; इस के लिये हम उन के कृतज्ञ हैं । करार के महत्व के प्रश्न पर मैं श्री के० के० बसु के मत से सहमत नहीं हूं । वह पूछते हैं यदि करार हमारे प्रभुत्व पर बन्धन लगाता है, तो हम इस में क्यों सम्मिलित हों । इस का उत्तर यह है कि इस करार में ऐसे ३५ देश सम्मिलित हैं जिन के हाथ में संसार का ७५ से ८५ प्रतिशत व्यापार है । दूसरे, किसी भी वस्तु का हमारा एकाधिकार नहीं है । फिर हम नवीन औद्योगिक विकास की प्रथम स्थिति में हैं और इन सब के अतिरिक्त हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये आयात व निर्यात में वृद्धि करना चाहते हैं । यदि हम इस करार में सम्मिलित नहीं होते, तो हमारे प्रतिस्पर्धी पक्ष हमारे घोर प्रतिस्पर्धी बन जाते । अतः, इस करार में सम्मिलित होने का सुझाव दे कर सरकार ने एक बुद्धिमतापूर्ण कार्य किया है ।

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के उद्देश्य क्या हैं ? मेरे माननीय मित्र

ने कहा था कि ये उद्देश्य अनुच्छेद १ में सम्मिलित हैं। ये उद्देश्य हैं : जीवन स्तर का ऊंचा करना, पूर्ण व्यवसाय को सुनिश्चित बनाना और वास्तविक आय व प्रभावी मांग में वृद्धि होना, संसार के संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करना, तथा सम्मिलित पक्षों की अर्थ व्यवस्थाओं का प्रगतिशील विकास करना ।

इस करार का अध्ययन करते समय हमें इस में अनेकों अपवाद मिलते हैं और संदेह होता है कि क्या इन से करार के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। मुख्यकर करार के दो अनुच्छेदों पर मतभेद होगा और वे अनुच्छेद १८ और १६ हैं । अनुच्छेद १८ में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम आर्थिक विकास करने के लिये उन वस्तुओं की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं जिन के बारे में हम ने कोई बन्धन स्वीकार नहीं किये हैं । इस करार से पहिले, हम पूर्ण रूप से अपने भुगतानावशेष के संरक्षण के लिये, मात्रा प्रतिबन्ध लगा सकते थे । प्रभावी वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों ने इसे प्रतिबन्धात्मक माना है। उन्होंने सुझाव दिया था कि मात्रा प्रतिबन्ध आर्थिक विकास के लिये होना चाहिये । वास्तविकता यह है कि जब भुगतानावशेष को संरक्षण के लिये मात्रा सम्बन्धी निबन्धन लगाये जाते थे, उन का प्रभाव संरक्षण होता था। हो सकता है कि सरकार इस बात को स्पष्ट रूप में स्वीकार न करे, क्योंकि वह इस करार का उल्लंघन होगा, परन्तु हम जानते हैं कि ये मात्र निर्बन्धन अनेकों बार उद्योगों के लिये संरक्षणात्मक कार्यवाही सिद्ध हुए हैं । अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें संरक्षण का अधिकार दिया गया है ।

साधारणतया मैं अपने उद्योगों के संरक्षण के लिये प्रशुल्कों के लगाये जाने के पक्ष में हूं । इन से आयातकर्ताओं की 'बंद दुकान' जैसी मनोवृत्ति की वृद्धि नहीं होती । आयात व्यापार में मुक्त प्रवेश को नहीं रोकते, आदि आदि । इन सब से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी प्रशुल्क मार्केट में गड़बड़ी पैदा नहीं करता । मेरा ख्याल है कि यह स्वीकार किया जायेगा कि वस्तुओं का आयात नियंत्रित करने वाले प्रशुल्कों के मामले में, हमें अन्तर्देशीय मांग पर निर्भर रहना पड़ता है जिस से विदेशी मुद्रा के अधिप्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके । हो सकता है कि उपभोक्ता मांग में वृद्धि होने के कारण भारी प्रशुल्क भी विदेशी मुद्रा के वितरण को नहीं रोकते । ऐसे मामलों में यह अधिक अधिमान्य होगा कि कोटा निर्धारित किये जाय क्योंकि कोटा से उपभोक्ताओं के प्राप्य वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है । इस के अतिरिक्त कोटा उद्योगों की रक्षा करने के लिये भी अनिवार्य हो सकते हैं । प्रायः यह गलती की जाती है कि अधिक प्रशुल्क सदैव ही आयात के लिये प्रतिबन्धात्मक ही माना जाता है । प्रशुल्क की अधिकता और उस की प्रतिबन्धात्मकता तनिक भी समान नहीं है । कभी यह होता है कि थोड़ा प्रशुल्क अपेक्षित अधिक प्रतिबन्धात्मक सिद्ध होता है । अतः ऐसे मामलों में यह आवश्यक होगा कि सरकार स्वदेशीय उद्योगों की रक्षा के लिये और औद्योगिक विकास करने के लिये कोटा नियत कर दे । परन्तु यहां यह बात याद रखनी होगी कि इस अधिकार का प्रयोग अविवेकी ढंग में नहीं होना चाहिये । अतः में सरकार से यह ध्यान रखने का निवेदन करता हूं कि प्रभावी रक्षा का यह सामान्य सिद्धान्त आयात न करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है । यदि इस अधिकार का दुरुपयोग होता है तो केवल उपभोक्ता अधिमान्यतायें ही अव्यवस्थित नहीं होंगी बल्कि हमारा औद्योगिक विकास रुक सकता है, और इस से हमारी आर्थिक वृद्धि रुक जायेगी ।

[डा० कृष्णस्वामी]

मैं चाहता हूं कि सरकार यह बात अपने मस्तिष्क में रखे कि कोटा और लाइसेंस व्यवस्था से एकाधिकार प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है । क्योंकि कोटा व लाइसेंस देते समय नये लोगों को वर्जित कर दिया जाता है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री अपने उत्तर में हमें यह आश्वासन देंगे कि जहां कोटा व्यवस्था को अपनाया जाये वह केवल अर्थ व्यवस्था की रक्षा के लिये होगी और स्थायी न होगी ।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अपने भाषण में विदेशी अन्तरों का उल्लेख किया था । मैं उन का ध्यान एक लेख की ओर, जो 'दि कैपीटल' में प्रकाशित हुआ था, आकर्षित करना चाहता हूं । वहां, हमारी अर्थ व्यवस्था में स्फीतिकारी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण करने के लिये सरकार की बड़ी प्रशंसा की गई है । परन्तु विदेशी भुगतनावशेष का प्रयोग करने में हम असफल रहे हैं : अपने देश का औद्योगिक विकास करने के लिये हमें अधिक से अधिक पूंजी आयात करना चाहिए ।

मैं चाहता हूं कि संक्रमण काल, मैं जबकि हम आर्थिक विकास का कार्यक्रम बना रहे हैं, मेरे माननीय मित्र को यह ध्यान रखना चाहिये कि उन के मस्तिष्क में अन्तिम उद्देश्य देश का आर्थिक विकास होना चाहिये और उद्योगों के विकास या उद्योगपतियों के हितों को द्वितीय स्थान दिया जाना चाहिये । यदि इस का ध्यान रखा जाता है तो हम अपनी अर्थ व्यवस्था को कहीं अधिक उदार ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं और अधिक आर्थिक विकास भी हो सकेगा ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : मैं श्री वी० बी० गांधी के संशोधनों का समर्थन करता हूं । मैं सभा के समक्ष केवल यह बात रखना चाहता हूं कि मैं ने प्रशुल्क तथा व्यापार के सामान्य करार के प्रति अपना दृष्टिकोण क्यों बदल लिया है । इस करार की और इस के अग्रसर, हवाना घोषणापत्र की अति अधिक आलोचना जो की गई है, वह भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की फैड्रेशन ने की है । इस आलोचना में यह आधारभूत चार बातें हैं, प्रथम अन्तर्देशीय और आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कट्टरता न अपना कर उसे कुछ अधिक विस्तृत बनाना निश्चय ही अल्प विकसित देशों के विरुद्ध होगी, द्वितीय, सारे सदस्यों से, उनके विकास की स्थिति या आवश्यकताओं की ओर ध्यान न दे कर, एक समान वाणिज्यिक संविधि के अनुसार रहने की आशा की जाती है, तृतीय यद्यपि घोषणापत्र का मूल संबंध विदेशी व्यापार तथा अन्तर्देशीय रोजगार से है, परन्तु पहिली बात पर अधिक जोर दिया गया है जब कि केवल अल्प विकसित देशों के विकास से ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो सकती है, और चतुर्थ भारत जैसे अल्प विकसित देश को स्वदेशीय उद्योग के विकास के प्रत्येक मामले में आई० टी० ओ० से अनुमति मांगनी होगी ।

व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य करार के ८ वें सत्र में इस बात पर व्यापक विचार विमर्श हुआ था कि इस करार का पुनर्विलोकन किस आधार पर किया जाय । उस समय भी भारत सरकार के शिष्ट मंडल ने यही दृष्टि-कोण अपनाया था कि यदि करार की कुछ बातों में संशोधन नहीं होता है तो भारत सरकार करार के उपबन्धों का पालन न कर सकेगी । करार का उस वर्ष संशोधन न होने के कारण हमारे प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया कि यदि हमें उन वस्तुओं के बारे में, जिन पर हम ने रोक लगाई है, कोई कठिनाई हो, और हम संघ के पास जायें, तो हमारी उचित सुनवाई होगी और हमारा मामला शीघ्र

निबटा दिया जायेगा। केवल इस आश्वासन पर भारत सरकार उस रोक को इस वर्ष के मध्य तक बढ़ाये जाने से सहमत हो सकी। यह निर्णय किया गया था कि ९ वें सत्र में करार का व्यापक पुनर्विलोकन और संशोधन होना चाहिये। माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने दो मुख्य उपबन्धों का, जो संशोधित हुए हैं, उल्लेख किया है। यह संशोधन साधारणतया भारत जैसे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हुआ है। यद्यपि माननीय मंत्री ने यह बताया है कि अनुच्छेद १८ में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, परन्तु मैं कहूंगा कि आप इस पर इस दृष्टि से विचार करें कि वे बातें क्या हैं जहां हमारी दृष्टि अपनाई गई है। हमारा मत यह था कि भारत जैसे अल्प विकसित देशों के लिये यह पर्याप्त नहीं है कि केवल भुगतानावशेष कठिनाइयों के लिये ही मात्रा सम्बन्धी निर्बन्धनों के प्रयोग की अनुमति दी जाये। यदि आप मशीनों तथा पूंजी वस्तुओं के आयात पर अधिक शुल्क लगाते हैं तो उन मशीनों तथा पूंजी वस्तुओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बढ़ाते हैं जिस का प्रभाव उपभोक्ता पर ही होगा। अब आप कच्चे माल के प्रश्न को लें। आप जानते हैं कि हम ने कास्टिक सोडे आदि का कच्चा माल बनाना प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु आप यदि इस के आयात पर भी शुल्क बढ़ा देंगे तो मूल्य बढ़ जाने के कारण उपभोक्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा। एक तीसरा प्रश्न भी है। बड़ी मोटर अमरीका में १०,००० रुपये की आती है तथा भारत में वही मोटर १९,००० रुपये की मिलती है परन्तु कुछ धनी लोग इस को इस से भी अधिक मूल्य की खरीदने में आनाकानी नहीं करेंगे। इसलिये हम ने यह सोचा कि उद्योगों के संरक्षण के लिये हमारी मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध की नीति न हो परन्तु फिर भी कुछ उद्योगों के विकास हेतु हमें इस पद्धति को अपनाना पड़ेगा। हम चाहते थे कि सभी उद्योगों के संरक्षण का कोई सिद्धान्त मिल जाये परन्तु हम ऐसा सिद्धान्त ढूंढने में असफल रहे। तथा इसीलिये सामान्य खण्ड १८ पर आये जिस में अन्त में हम ने मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध की व्यवस्था की है। इस के द्वारा विकास के लिये मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाने होंगे तथा सामान्यतः भुगतान अवशेष कठिनाइयों के लिये स्वीकृत होगा। यह धारा (ख) में है। संभव है कुछ देशों में भुगतान अवशेष कठिनाइयां न हों तो उन देशों के लिये अनुच्छेद १८ में धारा (ग) का प्रारूप दिया गया है।

इस के पश्चात् 'विशेष उद्योग के संस्थापन की उन्नति' के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया कि इसका अर्थ क्या है। क्या इस से विशेष उद्योग के विस्तार में अड़चन पड़ सकती है? क्या हम रंग पदार्थ उद्योग के विकास के लिये मात्रा सम्बन्धी निर्बंधन लगाना चाहते हैं? इस सम्बन्ध में श्रमजीवी पार्टी के प्रतिवेदन दिया हुआ है कि किसी उद्योग के संस्थापन में वे सभी वर्तमान उद्योग भी आ जाते हैं जो कि कम उत्पादन करते हैं। इस प्रकार यह ज्ञात हो जाता है कि उद्योग के संस्थापन के लिये ही प्रतिबन्ध नहीं है वरन् वर्तमान उद्योग के विकास के लिये भी है।

मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने प्रतिकारी उपायों के सम्बन्ध में कहा। प्रतिकारी भावना केवल एक प्रकार से ही उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिये भारत किसी वस्तु पर मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध निर्बन्धन लगाता है तथा इस के पश्चात् किसी अन्य देश से ठेका करता है तो जिस वस्तु पर निर्बन्धन लगाया जाता है उसका निर्यात करने वाला देश इस ठेके में अड़चन डाल सकता है तो वह ऐसा करने के लिये स्वतन्त्र भी है। परन्तु भारत भी, ठेका करने वाले देश से यह कह सकता है कि उस देश द्वारा किये गये कार्य हमारे देश के लिये अहितकर थे तथा इस प्रकार समझौता कर सकता है।

[श्री बंसल]

इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सम्मेलन में समझौता किये जाते समय सभी देश एकचित होते हैं तथा अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत करते हैं जिस पर प्रभावित देश उन के आक्षेपों का उत्तर देता है इस प्रकार व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य समझौते में हम स्वतन्त्रापूर्वक प्रत्येक बात की चर्चा करते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की राष्ट्रीय एक-सूत्रता की नीति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समझौता हवाना चार्टर से अधिक सुदृढ़ है । प्रशुल्क तथा व्यापार के सामान्य समझौते के अधिकतर नियम कठिनाइयां आने पर ही बने हैं तथा उन द्विपक्षीय संविदा के आधार पर नहीं हैं । इस प्रकार यह तर्क भी समाप्त हो जाता है ।

हवाना चार्टर इसीलिये बनाया गया कि सब को कच्चा माल बराबर मिले तथा यह प्रश्न प्रथम महायुद्ध के पश्चात् उठा था परन्तु द्वितीय महायुद्ध काल में ही यह प्रश्न सामने आया कि कच्चे माल का पूर्णतया उपयोग किस प्रकार से हो जिसके परिणामस्वरूप प्रशुल्क तथा व्यापार का सामान्य समझौते का अविर्भाव हुआ । इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस समझौते के द्वारा मेरा सुझाव है कि हमें पिछड़े देशों को प्राविधिक समानता देनी चाहिये जिस से अन्य देशों के साथ साथ उनका भी आर्थिक विकास हो सके ।

मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य करार में साम्राज्य अधिमान को लगभग आधा कर दिया गया है तथा इसको धीरे धीरे और कम करने की प्रवृत्ति है । मैं जानता हूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने साम्राज्य अधिमान का सरवेंक्षण कर के, कुछ निर्णय किया होगा । परन्तु वह दो अथवा तीन वर्ष पूर्व की बात है इसलिये मेरा सुझाव है कि साम्राज्य अधिमान की अग्रेतर जांच तथा सर्वेक्षण किया जाये तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस के द्वारा कुछ भिन्न परिणाम प्राप्त होंगे और भारत सरकार साम्राज्यिक अधिमानों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त करने के मामले को अच्छी प्रकार प्रस्तुत कर सकेगी ।

कुछ बातों का अब भी बन्धन है यद्यपि उन को कुछ उदार बना दिया गया है । मेरा विचार है कि अब इस सूची के संशोधन का समय आ गया है । मैं जानता हूं कि इस में कठिनाइयां भी हैं क्योंकि हम अपनी छोटी वस्तुओं जैसे झूठे मोती, रेजर ब्लैड आदि बाहर भेजना चाहते हैं तथा इसलिये हम को संकर धातु तथा संकर इस्पात को भारत में भेजने की रियायत देनी पड़ी है यद्यपि हमें आशा है कि यह दोनों वस्तुयें शीघ्र ही देश में बनने लगेंगी । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने व्यवहार के द्वारा इन कठिनाइयों पर विजय पाने में सफल होंगे ।

मैं व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य करार के आठवें तथा नवें सत्र में भारतीय शिष्ट मंडल के सम्बन्ध में भी कुछ कहूंगा । आप को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अल्प विकसित देशों जैसे ब्राजील, चिली आदि भारतीय शिष्ट मंडल में सम्मिलित हो गये तथा उन्हों ने कहा कि वे अपने मामले भारतीय शिष्ट मंडल को सौंपते हैं । यह हमारे शिष्ट मंडल के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रदर्शन है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि शिष्ट मंडल के कार्यों का श्वेतपत्र प्रकाशित होना बड़ा ही संतोषजनक है ।

श्री वी० बी० गांधी : मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि :

"यह सभा, व्यापार तथा प्रशुल्क, के सामान्य करार सम्बन्धी श्वेत पत्र पर विचार करने के

पश्चात्, इस संशोधित समझौते तथा इस से सम्बन्धित नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रारम्भ में मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम में से बहुत से सदस्य इस विषय को बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं। इसलिये हम इस श्वेत पत्र का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मैं इस पर माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के वक्तव्य की भी सराहना करता हूं। व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य करार की कम जानकारी होते हुए भी सात वर्षों में, इसी के अन्तर्गत १२३ अन्तर्राष्ट्रीय करार हुए हैं।

हम में से बहुत से व्यक्ति यह जानने के इच्छुक होंगे कि हमारी वस्तुओं को अन्य देशों में कितनी प्रशुल्क रियायतें मिलीं तथा हमने अन्य देशों को कितनी रियायतें दीं। संक्षेप में यह आंकड़े इस प्रकार हैं। १९४८-४९ में हमारी वस्तुओं के निर्यात पर ९९,६९,००,००० रुपये की रियायत मिली तथा हमने आयात हुई वस्तुओं पर ८९,८५,००,००० रुपये की रियायत दी। १९५२–५३ में हमारी वस्तुओं के निर्यात पर १५५,४२,००,००० रुपये की रियायत मिली तथा हम ने ९४,२८,००,००० रुपये की रियायत आयात हुई वस्तुओं पर दी। १९५३–५४ में निर्यात पर हम को १३४,९२,००,००० रुपये की रियायत मिली जब कि हम ने आयात पर ८९,३०,००,००० रुपयों की रियायतें दीं। युद्ध के द्वारा संसार में बड़ी गड़बड़ी फैलती है। तथा इसका हमें अनुभव भी है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि और व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य करार के कारण हम उन कठिनाइयों में नहीं फंसे जिन का अनुभव प्रथम युद्ध के पश्चात् हम ने किया था। माननीय मंत्री ने इन दोनों संस्थाओं के एकीकरण के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां बताई थीं। परन्तु हमें इन कठिनाइयों को विशेषज्ञों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिये तथा देशों के आर्थिक लाभ के लिये ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिस से ये संयुक्त हो कर कार्य कर सकें।

लगभग सभी सदस्यों ने जेनेवा सम्मेलन में गये प्रतिनिधियों की सराहना की है तथा उनकी सराहना होनी भी चाहिये क्योंकि उन्होंने अनविकसित देशों को कठिनाइयां होने पर भी मान्यता दिलाई। प्रशुल्क तथा व्यापार के सामान्य समझौते में सभी देश अपने लाभ की आशा से आये इसलिये सब में कुछ न कुछ मत वभिन्नय अवश्य था। परन्तु फिर भी समझौते हुए। उदाहरणतया अमरीका में अन्न अधिक है तथा उस क उपयोग के उपाय निकाले गये तथा मुझे आशा है कि इस उपाय से संतोषजनक कार्य होगा। इस सम्बन्ध में अमरीका के प्रेजीडेंट के उदार विचार सफल होंगे हमें ऐसी आशा करनी चाहिये।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सिद्धान्तों से बचने के लिये बहुत सी धमकियां दी जाती हैं और अन्य बहुत से उपाय किये जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे सद्बुद्धि से काम करेंगे। मैं व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य करार की नवीन बातों पर कुछ न कह कर श्री के० के० बसु द्वारा उद्धृत श्री के० टी० शाह की कंडिका के बारे में कहूंगा कि उस समय यह करार नहीं हुआ था। इसलिये उसका उल्लेख करना निरर्थक है। हाल के सम्मेलन में व्यापारिक सहयोग संगठन (ओ० टी० सी०) की स्थापना का जो विचार किया गया है वह अवश्य मान्य है, क्योंकि कई बार उत्तम की अपेक्षा कम उत्तम को स्वीकार कर लेना अधिक लाभदायक होता है।

इस ओ० टी० सी० की योजना बहुत अच्छे ढंग से की गई है और इस में सब प्रकार के लोगों और हितों का प्रतिनिधित्व होगा– कार्यपालिका समिति में भी और सचिवालय तथा महानिदेशालय के कर्मचारी वृन्द में भी।

[श्री वी० बी० गांधी]

श्री बसु ने इस करार पर संयुक्त राज्य अमरीका का प्रभुत्व होने की शिकायत की है। हमें यथार्थ जगत को यथारूप ले कर इस के अनुसार अपना सर्वोत्तम लाभ देख कर चलना होता है।

यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने खुले व्यापार और भेद भावहीन प्रशुल्कों की नवीन विचारधारा को अपना लिया है। जेनेवा में हमारे प्रतिनिधियों ने जो काम किया है और सरकार ने व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य करार को कार्यान्वित करने के लिये जो काम किया है वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

श्री कासलीवाल (कोटा–झालावाड़) : श्री बसु और वी० बी० गांधी ने प्रश्न किया है कि व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य करार का सदस्य बन कर भारत ने क्या लाभ उठाया है। १९५५ में हम ने कुछ वस्तुओं के बारे में हमारे द्वारा कुछ देशों को दी जाने वाली रियायतों के सम्बन्ध में बात चीत की और ५,३९,००,००० रुपये की रियायतें प्राप्त कीं और उन के बदले केवल १ करोड़ रुपयों की प्रतिकरात्मक रियायतें हम ने दीं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने निर्यात सहायताओं का उल्लेख किया है। नवीन करार की धारा १६ के अधीन १ जनवरी १९५८ से निर्यात सम्बन्धी अर्थ सहायता समाप्त हो जायेगी क्योंकि ये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करती हैं। अनिवार्य वस्तुओं के बारे में एक सीमा से परे ये सहायतायें नहीं दी जायेंगी।

हवाना चार्टर का तो १९४९-५० में नियुक्त आयात-निर्यात संबंधी आयोग ने खूब परीक्षण किया था और इस की घोर आलोचना की थी कि अविकसित देशों के लिये एक रूप वाणिज्यिक संहिता का पालन करना संभव नहीं है, दूसरे यह कि अविकसित देशों के विकास के उपायों की परवा न कर के विदेश व्यापार पर अधिक जोर दिया गया था। आयोग का यह मत था कि जब तक अमरीका और इंगलिस्तान इसे स्वीकार नहीं करते और जब तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो जाती कि इसे स्वीकार किया जाए तब तक हवाना चार्टर का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

माननीय मंत्री ने व्यापार तथा प्रशुल्क के सामान्य करार का सारा इतिहास बताते हुए कहा है कि इस के सात वर्ष के अनुभव के आधार पर इस के वर्तमान उपबन्धों और इसकी प्रशासन व्यवस्था में संशोधन करने और अनुपूर्ति करने का आठवें सत्र में निर्णय किया गया ह। नवें सत्र के उपरांत इस करार के मूल उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार उपबन्धों को अपनाने के लिये तथा इस करार का प्रशासन करने के लिये एक संगठन की स्थापना तथा उस के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने वाली एक विज्ञप्ति जारी की। जिस के परिणामस्वरूप करार का प्रशासन करने के लिये नवीन स्थायी निकाय ओ० टी० सी० स्थापित किया गया है, जो करार का समूचा प्रशासन अपने हाथ में लेगा।

इस व्यापार सहकारिता संघ के विरुद्ध कई आपत्तियां की गई हैं, कि पुराने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के मुकाबले में इस की शक्तियां बहुत कम हैं, और दूसरी आपत्ति यह है कि यह इस करार के वर्तमान सचिवालय की नवीन आवृति है।

यह स्थायी निकाय है और बचाव की नीति का पालन करने वाले देशों से वर्तमान परिस्थितियों में इस से उत्तम संघ की आशा नहीं की जा सकती है। अतः इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्वेत पत्र में इस संघ की रचना और कार्य आदि का वर्णन किया गया है । श्री बंसल ने प्रशुल्क संधि की अवधि के बढ़ाये जाने का उल्लेख किया । यदि यह अवधि न बढ़ाई जाती तो प्रशुल्क युद्ध के कारण समस्त विश्व के व्यापार में खलबली मच जाती । मैं कहूंगा कि नवें सत्र में प्रशुल्क संधि की अवधि का बढ़ाया जाना एक बड़ी बात है । प्रशुल्क अनुसूचियों के संशोधनों के लिये भी नवीन सिद्धान्त बनाया गया है, और इस के द्वारा तीन वर्षों के लिये प्रशुल्क अनुसूचियों के जीवन का स्वतः विस्तार हो जाया करेगा ।

माननीय सदस्यों ने इस करार के संशोधनों तथा विशेषकर धारा १८ की ओर ध्यान दिलाया है । इसमें तीन मुख्य बातें हैं । पहली यह कि विशिष्ट उद्योग की स्थापना के लिये मात्रा संबंधी निर्बन्धन लगाने के लिये प्रशुल्क में कुछ परिवर्तनीयता का उपबन्ध किया गया है । दूसरे भुगतान संतुलन स्थिति के बारे में विदेश विनिमय का संरक्षण है, और तीसरे कोई देश भुगतान संतुलन की कठिनाई में न होते हुए भी यदि अविकसित है, तो वह मात्रा संबंधी निर्बन्धन लगा सकता है । हमारे प्रतिनिधि ने ईमानदारी के साथ व्यापार की स्थापना करने के सिद्धान्त पर जोर दिया था । और क्योंकि धारा १८ द्वारा ईमानदारी का व्यापार स्थापित होगा, इसलिये मैं इन उपबन्धों का स्वागत करता हूं ।

धारा १ में जो नवीन उपबन्ध किया गया है, उस के अनुसार प्रशुल्क घटाना अथवा विदेश व्यापार ही इस करार के उद्देश्य नहीं हैं अपितु अविकसित देशों का विकास करना भी इस करार का उद्देश्य है ।

धारा २८ के अनुसार यद्यपि तीन वर्षों के लिये प्रशुल्क निश्चित होंगे, तो भी संविदा करने वाले पक्ष प्रति व तु आधार पर या अन्य आधार पर प्रशु क कम करने के बारे में बातचीत कर सकेंगे ।

धारा १६ के बारे में मुझे स्वयं समझ में नहीं आता कि अन्तर्राष्ट्रीय धन निधि और यह करार दोनों किस प्रकार मिलाये जायेंगे । किन्तु मैं समझता हूं कि इस करार की बैठक में एक संकल्प पारित किया गया है कि विकसित देशों की ओर से अविकसित देशों में धन लगाये जाने का स्वागत किया जायेगा । इस के लिये दो शर्तें हैं एक यह है कि वह पूंजी सुरक्षित होनी चाहिये और दुसरी यह कि पूंजी लगाने वाले देशों के लिये सूद और लाभ की उचित व्यवस्था होनी चाहिये । मुझे मालूम नहीं कि सरकार इस संकल्प विशेष को किस रूप में लेगी । अन्तर्राष्ट्रीय धन निधि और इस करार को मिलाने के बारे में माननीय मंत्री अच्छी तरह विचार करेंगे, मुझे ऐसी आशा है । इन शब्दों के साथ मैं पूरे दिल से इसका समर्थन करता हूं ।

श्री कामत : सभा में गणपूर्ति नहीं रहती है, इसलिये हमें प्रति दिन देर तक बैठने की अपेक्षा सत्र को एक सप्ताह के लिये बढ़ा देना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय कुल मिला कर ४५ सदस्य हैं । इसलिये सभा में गणपूर्ति न होने के कारण मैं सभा को स्थगित करता हूं ।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार २० सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।